कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध) वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

सी-ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं;-2, तुलसी नगर, भोपाल-462003

क्रमांक/एफ-3/82/387237/0021/16 दिनांक :ई-साइन अनुसार

प्रति,

वन महानिरीक्षक, (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,
जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003

विषय:- जिला नीमच अंतर्गत गंगा बावडी जलाशय परियोजना के निर्माण हेतु 43.149 हे0 वनभूमि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग नीमच को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/IRRIG/32285/2018)

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र दिनांक 03.12.2024

--00--

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं पर जानकारी चाही गयी, जिसका उत्तर निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

क्रं	प्रकरण में ली गयी आपत्तियां	आपत्तियों का उत्तर
(i)	The recommendation of the State Government in the Part-V as well as recommendation of the Nodal officer, Govt. of Madhya Pradesh in Part-IV form for the revised proposal has not been submitted/uploaded on PARIVESH. The same needs submission.	नोडल अधिकारी एवं राज्य शासन मध्यप्रदेश की अनुशंसा को संशोधित भाग- IV एवं भाग- V में तैयार किया जाकर पोर्टल पर अपलोड किया गया है, सुलभ संदर्भ हेतु प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।
(ii)	Keeping in view the revised area of the proposal, the state shall ensure that all the requisite documents, recommendations and the site inspection reports of the authorities as applicable are submitted/uploaded.	संशोधित प्रस्ताव के सभी आवश्यक दस्तावेजों को सुधार कर पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
(iii)	The State Govt. has not submitted the basic details of proposed Dam like its height, length, command area, details about the canal/Distributaries, technical approval, hydrological assessment report etc. along with any study carried out in the basin has not been submitted with the proposal. Moreover, any alternative examined with relevant map/ KML file shall also be uploaded/ submitted.	आवेदक विभाग द्वारा परियोजना को वन क्षेत्र में स्थापित किये जाने के संबंध में देख गये अन्य विकल्पों के संबंध में तुलनात्मक परीक्षण टीप एवं देखे गये अन्य विकल्पों को सर्वे ऑफ इंडिया की टोपोशीट पर चिन्हित किया जाकर प्रस्तुत किया गया है, सुलर्भ संदर्भ हेतु प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। आवेदक विभाग द्वारा परियोजना की hydrological assessment report, Index Map, Salient features, तकनीकी स्वीकृति आदि जानकारी प्रस्तुत की गई हैं। उक्त जानकारी परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।
(iv)	The State Government shall clearly specify whether the proposal involved the violation under Van (Sanrakshan Evam samvardhan) Adhiniyam, 1980 or offence has been booked under the provisions of the Indian Forest Act, 1927. The same needs submission along with detailed report on the action taken by 8-19/2024-FC I/89067/2024 the State Government regarding concerned person/ officials.	इस संबंध में वनमंडलाधिकारी नीमच द्वारा पत्र दिनांक 12.06.2025 से अवगत कराया है कि प्रकरण में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र कक्ष क्रमांक 287 में 190 मीटर पाल निर्माण में रकबा 0.621 हेक्टेयर एवं कक्ष क्रमांक 287, 290 एवं 293 के वनक्षेत्र में अवैध उत्खनन से रकबा 0.679 हे. इस प्रकार कुल रकबा 1.30 हे. वनक्षेत्र में भारत सरकार की अनुमति से पूर्व कार्य किया गया हैं। इस संबंध में वन मंडलाधिकारी नीमच का निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 24.03.2021 परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। साथ ही वनमंडलाधिकारी नीमच ने अवगत कराया है,

		कि प्रकरण में म.प्र राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 391 भोपाल दिनांक 12.11.1990 अनुसार रकबा 0.441 हे. वन भूमि का डीनोटिफिकेशन होना पाया गया है। तहसीलदार मनासा के पत्र क्रमांक 274/रीडर-1/2021 दिनांक 09.02.2021 अनुसार 08 पट्टेदारों को राजस्व विभाग / जलसंसाधन विभाग द्वारा रकबा 9.198 हे. का अधिग्रहण कर मुआवजा वितरित किया जा चुका है, लेकिन उक्त सर्वे. नंबर एवं रकबा 8.757 हेक्टेयर (0.441 हे. के अतिरिक्त) का म.प्र शासन वन विभाग से डीनोटिफिकेशन नहीं होना पाया गया है।
(v)	The minutes of the Project Screening Committee held in the State has not been found uploaded on PARIVESH. The same needs submission.	परियोजना परीक्षण समिति के कार्यवाही विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।
(vi)	The State Govt. shall re-examine the site specificity of the proposal and submit detailed report along with justification as to why the project cannot be executed in non-forest area.	योजना अंतर्गत बांध कार्य स्थल चयन की सार्थकता के संबंध में आवेदक विभाग द्वारा संक्षिप्त टीप प्रस्तुत की गई है। उक्त टीप को वन मंडलाधिकारी नीमच द्वारा सत्यापित किया गया है। टीप परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।
(vii)	The user agency shall furnish a report from the State Dam Safety Organisation (SDSO) regarding all technical aspects w.r.t the dam. The recommendations shall be implemented by the user agency to avoid any possible unforeseen conditions. The State Government shall obtain approval of the National Dam Safety Authority (NDSA) on the recommendations made by the State Dam Safety Organisation (SDSO).	इस संबंध में आवेदक विभाग ने लेख किया है कि बांध सुरक्षा अधिनियम के दिशा-निर्देशों के तहत ही परियोजना में बांध निर्माण किया जा रहा है। जिसके संबंध में मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा आदेश दिनांक 11.01.2016 से स्वीकृति जारी की गई है जिसकी प्रति परिशिष्ट-6 पर संलग्न है।
(viii)	The State shall also intimate whether any study of the impact of the project on the flow of water downstream has been carried out or not?	आवेदक विभाग ने लेख कर अवगत कराया है कि प्रस्तावित बांध जिस धारा पर बनाया जा रहा है उसका जल ग्रहण क्षेत्र 12.81 वर्ग किलोमीटर है, यह एक गैर- बारह मासी धारा है। इसलिए इस तरह के अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, बांध में जमा अतिरिक्त पानी बरसात के मौसम में इसी धारा में बह जाएगा।
(ix)	The State shall give the details of the likely socio-economic benefits of the project and the expected changes in the cropping pattern of the area and other likely impacts of the project in detail.	इस संबंध में आवेदक विभाग द्वारा लागत-लाभ विश्लेषण पत्रक, फसल पैटर्न एवं डी.डी.ए. प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति परिशिष्ट-7 पर संलग्न है।
(x)	The Catchment Area Treatment (CAT) Plan is required to be submitted and approved as per Para 9.2 (vii) of consolidated guidelines and clarifications issued under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980. The copy of approved CAT plan shall be submitted as above shall be submitted.	आवेदक विभाग द्वारा परियोजना अंतर्गत तैयार की गई जल ग्रहण क्षेत्र उपचार योजना की तकनीकी स्वीकृति जारी की गई है। जिसकी प्रति परिशिष्ट-8 पर संलग्न है।
(xi)	The user agency has proposed to establish many components over the forest land apart from proposing majority area of forest under submergence. However, justification behind proposing these components/ purpose wise requirement of forest land	आवेदक विभाग द्वारा बांध एवं परियोजना के अन्य घटकों जिनका निर्माण वन क्षेत्र में किया जाना है के संबंध में औचित्य रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उक्त रिपोर्ट परिशिष्ट-9 पर संलग्न है।

	has not been submitted with the proposal. The same needs submission.	
(xii)	The State Government in the online Part-II reported the presence of Schedule-I species like Crocodile along with other important species like Panther, Hyaena, Jackal, Wild Pig, Blue Bull, Monkey, Varanus, Mangoose, Hare, Peafowl, Vulture, Python etc. Therefore, the comments of the CWLW, Govt. of Madhya Pradesh along with suggesting mitigation measures needs submission.	इस संबंध में CWLW की सिफारिश/ टिप्पणी प्राप्त करने हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्यप्रदेश को कार्यालयीन अशासकीय टीप दिनांक 18.06.2025 से लेख किया गया है। अत: अनुरोध है, कि वन्यप्राणी कक्ष से अभिमत प्राप्त होने पर जानकारी पृथक से प्रस्तुत की जावेगी।
(xiii)	The State Govt. in online Part-II reported that the proposed forest land for diversion is currently under management of Forest Department Prescribed in the Working Plan under Improvement and Rehabilitation Management Working Circle. Therefore, details of works done in the past as per the approved working plan/ scheme in the forest land proposed for diversion needs submission.	वन मंडलाधिकारी नीमच द्वारा अवगत कराया है कि योजना में प्रभावित होने वाले वनक्षेत्र 43.149 हे. में से वर्ष 2022-23 में सुधार प्रबंधन वृत्त अंतर्गत 2.74 हे. क्षेत्र में कार्य कराया गया है।
(xiv)	A copy of approved R&R plan and details of number of families going to affected due to instant project shall be uploaded online. In case of rehabilitation of people is involved, necessary correction in the Cost-Benefit Analysis is required to be made.	आवेदक विभाग ने लेख किया है कि परियोजना निर्माण में आवासीय बस्तियां जलमग्न नहीं हो रही है इसलिए किसी पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना की आवश्यकता नहीं है।
(xv)	The cost benefit analysis has been carried out on the old NPV rates. Therefore, the revised cost-benefit analysis as per latest NPV rates and keeping in view of all techno-economic factors as well as environmental factors and the calculation sheet on the benefits likely to generate due to instant project needs submission.	आवेदक विभाग द्वारा नवीन संशोधित NPV दरों पर लागत लाभ विश्लेषण पत्रक तैयार कर प्रस्तुत किया है। प्रति परिशिष्ट-10 पर संलग्न है।
(xvi)	The State shall clarify as to how the requirement of electricity will be met by the user agency to run project and its components. The detail of forest area required for the purpose (if any) shall be submitted.	आवेदक विभाग द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्तावित बांध बिना गेट वाला बांध है। इसलिए बांध के संचालन के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं है, जिसे केवल मैनुअल रूप से संचालित किया जाता है।
(xvii)	The details of distribution network like canals and pipelines, which may further have required diversion of forest land etc. has not been given. A 8-19/2024-FC I/89067/2024 holistic proposal is required to be submitted as forest land may be required for laying of underground pipelines as well. The State Govt. shall therefore provide the complete lay out plan indicating all the components like canal, pipelines etc. The detail of the area requirement for these components shall also be submitted keeping in view Para 9.1 of Chapter-9 of the consolidated	आवेदक विभाग ने अवगत कराया है कि परियोजना अंतर्गत जल परिवहन प्रणाली गुरूत्व प्रवाह वाली एक खुली नहर प्रणाली है। नहर के निर्माण में कोई वन क्षेत्र प्रभावित नहीं हो रहा है। नहर प्रणाली का रेखा-चित्र परिशिष्ट-11 पर संलग्न है।

	guidelines and clarifications issued under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan), Adhiniyam, 1980.	
(xviii)	An approved copy of the muck-disposal plan needs submission. The State Govt. shall ensure that the user agency will not utilize the forest land for muck-disposal. A table showing the muck likely to be generated under each proposed components shall also be submitted.	आवेदक विभाग द्वारा प्रस्तुत muck-disposal plan परिशिष्ट-12 पर संलग्न है।
(xix)	The State Govt. in online Part-II reported that total 1872 number of trees exist within the proposed forest land which found in variance with respect to the crop density 0.6 as mentioned in the proposal. This needs justification and method of data collection related to number of trees present in the area may also be elaborated.	वन मंडलाधिकारी नीमच ने लेख कर अवगत कराया है कि कार्य आयोजना वर्ष 2012-13 से 2022-23 के अनुसार कक्ष क्रमांक 290, 293 एवं 295 सुधार प्रबंधन वृत्त अंतर्गत आता है, जिसका घनत्य 0.6 तक दर्शित है। प्रभावित होने वाले वनक्षेत्र में प्रत्येक वृक्ष का चिन्हांकन किया जाकर वृक्षों की गणना कर वृक्षों की संख्या दर्शायी गई है।
(xx)	As per the District Collector, Neemuch order dated 27.02.2018 has allotted 28.25 ha land for CA against the instant project, out of which 4.11 ha is appeared as Proposed Forest land. This needs justification. Further, the people from Village Fusariya had shown dissent regarding the land allotted for CA. This needs clarification and the State Govt. shall also ensure that the land proposed for CA is free from all sort of encroachment and encumbrances.	वन मंडलाधिकारी नीमच ने लेख कर अवगत कराया है कि पूर्व में कलेक्टर, जिला नीमच के आदेश दिनांक 27.02.2018 से उक्त परियोजना के वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिये 28.25 हे. भूमि आवंटित की गई थी। उपरोक्त आवंटित भूमि कार्य - आयोजना के पुनरीक्षण की कार्यवाही के दौरान वनक्षेत्र में होना पाने जाने से उक्त भूमि के बदले कलेक्टर, जिला नीमच द्वारा आदेश दिनांक 31.03.2023 से ग्राम डाबी के खसरा नम्बर 1 में से 28.25 हे. नवीन भूमि आंवटित की गई है। ग्राम फुसरिया में लोगो द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिये आवंटित भूमि के बारे में क्षेत्रीय कार्यालय में किसी प्रकार की कोई असहमति या आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। उपरोक्त योजना हेतु प्राप्त समस्त गैर वनभूमि अतिक्रमण एवं बाधाओं से मुक्त है। योजना में प्राप्त समस्त भूमियों को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के तहत् सरक्षित वन घोषित की जा चुका है। अधिसूचना की प्रति संलग्न है।
(xxi)	The District Collector, Neemuch vide order dated 10.05.2023 has allotted 22.51 ha Non-forest Govt. land to various irrigation projects of the State. Out of which 2 ha land has been allotted in the Village Bhagal whereas the State Forest Department in the Part-II form reported that 4.14 ha land has been proposed for CA in the Village Bhagal. This variation needs clarification and the District collector order indicating 4.14 ha land allotted in the Village Bhagal needs submission.	प्रकरण में जिला कलेक्टर, नीमच के आदेश दिनांक 10.05.2023 के तहत इस योजना के लिए भागल गांव में 3.75 हेक्टेयर सीए भूमि आवंटित की है। लिपिकिय त्रुटि से यह 4.14 हेक्टेयर टाइप हो गई थी जिसे सुधार लिया गया है तथा संशोधित केएमएल एवं आवंटित आदेश की प्रति परिवेश पर अपलोड कर दी गई है। प्रकरण मे क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु निम्नानुसार भूमि प्राप्त हुई है :- <table><tr><th>क्रमांक</th><th>जिला कलेक्टर, नीमच का आवंटन आदेश दिनांक</th><th>ग्राम का नाम</th><th>रकबा (हे.में)</th></tr><tr><td>1</td><td>31-03-2023</td><td>डाबी</td><td>28.25</td></tr><tr><td>2</td><td>10-05-2023</td><td>भागल</td><td>3.75</td></tr><tr><td>3</td><td>23-09-2021</td><td>हसपुर</td><td>3.399</td></tr><tr><td>4</td><td>27-02-2018</td><td>फुसरिया</td><td>7.75</td></tr></table>
(xxii)	The DSS analysis revealed the presence of Agricultural lands, Earthen dam and extraction of top soil (breaking of forest	आवेदक विभाग ने अवगत कराया है, कि बांध की मिट्टी का काम वन क्षेत्र में किया गया था तथा बांध के डूब क्षेत्र में कृषि भूमि

	land for non-forestry work) within the proposed forest land for diversion. This needs clarification.	निजी किसानों की है। निजी किसानों की प्रति परिशिष्ट-13 पर संलग्न है। विषयांकित प्रकरण में वन विभाग, राजस्व विभाग एवं आवेदक विभाग के अमले के साथ संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण किया गया जिसके अनुसार प्रकरण में निम्न स्थिति पाई गई:- 01. वनक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 287,290,293 की आरक्षित वन लाईन से जल संसाधन विभाग द्वारा F.T.L की मार्किंग की गई। जिसमें जो जलभराव प्रस्तावित हैं, की जी.पी.एस. रीडिंग ली गई। जिसके अनुसार वनक्षेत्र का रकबा 39.84 हे. होना पाया गया है. जिसकी सीमा लाईन को नक्शे में नीले रंग से दर्शाया गया हैं। 02. उपरोक्तानुसार रकबा 39.84 हे. में से म.प्र. राजपत्र (असाधारण) क्र. 391 भोपाल दिनांक 12.11.1990 अनुसार रकबा 0.441 हे. वनभूमि का डीनोटिफिकेशन होना पाया गया है। जिसको कुल वनक्षेत्र 39.84 हे. भूमि में से घटाने पर शेष बची वनभूमि 39.399 हे. होती है। 03. उपरोक्तानुसार रकबा 39.84 हे. में से तहसीलदार मनासा के पत्र क्रमांक 274/रीडर-1/2021 दिनांक 09.02.2021 अनुसार 08 पट्टेदारों को राजस्व विभाग / जलसंसाधन विभाग द्वारा रकबा 9.198 हे. का अधिग्रहण कर मुआवजा वितरित किया जा चुका हैं, लेकिन उक्त सर्वे नं. एवं रकबा (0.441 हे. के अतिरिक्त) का म.प्र. शासन वनविभाग से डिनोटिफिकेशन नहीं होना पाया गया है। उक्त निरीक्षण प्रतिवेदन एवं वन मंडलाधिकारी नीमच का पत्र दिनांक 24.03.2021 परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।
(xxiii)	The DGPS map along with the KML files showing the proposed component wise utilization of the forest land as well as the Non-Forest land has not been submitted with the proposal. The same needs to be uploaded on PARIVESH.	आवेदक विभाग द्वारा वन भूमि के साथ-साथ गैर वनभूमि में प्रस्तावित सभी घटकों की KML file एवं DGPS map तैयार कर ऑनलाईन भाग-1 में अपलोड किये गये हैं।
(xxiv)	As per DSS analysis, calculated area of Shape file/ KML file of Forest land proposed for diversion is found 55.946 ha instead of 43.149 ha as per proposal. Therefore, the correct KML file of the proposed forest land shall be uploaded.	परियोजना निर्माण में 43.149 हे. वन भूमि (जिसमें 39.8 हे. डूब क्षेत्र, 3.19 स्पिल एवं 0.159 हे. नहर में प्रभावित होगी) और 11.00 हे. निजी भूमि/राजस्व भूमि प्रभावित हो रही है जिसकी संशोधित KML file ऑनलाईन भाग-1 के बिन्दु क्रमांक C(ii)(a) में 0 हे. के रूप में अपलोड की गई है।
(xxv)	The State Govt. has identified degraded forest land for plantation work in order to accommodate the balance saplings which cannot be planted over proposed non forest land for CA. In this regard, the State Govt. has not submitted the specific details such as area bearing vegetation of 0.4 canopy density or more. The State shall ensure that the area proposed for compensatory afforestation must be suitable for raising plantation. In case the area proposed already has a density of 0.4 or above, a programme for improvement of the forest crop shall be submitted.	वन मंडलाधिकारी नीमच ने लेख कर अवगत कराया है कि योजना में प्राप्त गैर वनभूमि पर नहीं लगाये जा सकने वाले पौधों को लगाने हेतु चयनित बिगड़े वनक्षेत्र कक्ष क्रमांक 199 एवं 318 की भूमि का घनत्व 0.4 से कम है तथा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।
(xxvi)	Satellite imagery shows some pre-plantation work along with some nonforestry work is also visible in one of the proposed CA patch namely village	वन मंडलाधिकारी नीमच ने लेख कर अवगत कराया है कि ग्राम भागल में प्राप्त गैर वनभूमि पर पूर्व से ग्राम पंचायत द्वारा कंटूर खुदाई का कार्य किया गया है।

	Bhagal. This needs clarification.	
(xxvii)	The Survey of India Toposheet Map, DGPS map along with the consolidated statement showing total financial outlay required for carrying out CA has not been submitted. Therefore, the same needs submission.	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि के सर्वे ऑफ इंडिया की टोपोशीट, DGPS maps एवं प्रस्तावित 11 वर्षीय वनीकरण योजना मय तकनीकी स्वीकृति सहित पोर्टल में भाग-2 में निर्धारित बिन्दु में अपलोड की गयी है। सुलभ संदर्भ हेतु तकनीकी स्वीकृति की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

अत: उपरोक्तानुसार अनुरोध है, कि प्रकरण में भारत सरकार की सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

Digitally signed by
Hari Shankar Mohanta
Date: 30-06-2025
13:35:33

(एच.एस.मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय), उज्जैन वृत्त उज्जेन, मध्यप्रदेश।
2. वनमण्डलाधिकारी, (सा0) वनमण्डल नीमच, म०प्र०।
3. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग नीमच, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

कार्यालय
वनमण्डलाधिकारी,
नीमच (म.प्र.)

E-mail- dfot.nmh@mp.gov.in Phone No. (07423) 226605

क्रमांक / तकनीकी / 2025 / 3498 नीमच, दिनांक– 12.06.25

प्रति,

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक,
(भू–प्रबंध),
म.प्र. भोपाल

Speed Post

विषयः– जिला नीमच अंतर्गत गंगाबावड़ी जलाशय परियोजना के निर्माण हेतु 43.149 हे. वनभूमि कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग नीमच को उपयोग पर देने बाबत्। (FP/MP/IRRIG/32285 / 2018)

संदर्भः– भारत सरकार , पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र दिनांक 03.12.2024 एवं आपका पत्र क्रमांक / एफ–3 / 82 / 387237 / 0021 / 16 दिनांक 10.12.2024 तथा कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग, नीमच का पत्र क्रमांक / 1314 / कार्य / 2025 दिनांक 23.05.2025

विषयांकित प्रकरण में निवेदन है, कि आपके संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार गंगाबावड़ी जलाशय परियोजना निर्माण के प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा वांछित वनमण्डल स्तर के बिन्दुओं की जानकारी तैयार की जाकर एवं शेष बिन्दुओं की जानकारी आवेदक विभाग द्वारा उनके संदर्भित पत्र दिनांक 23.05.2025 से प्राप्त की जाकर एकजाई जानकारी दो प्रतियों में निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

EDS क्र.	Query Point	Reply
(i)	The recommendation of the State Government in the Part-V as well as recommendation of the Nodal officer, Govt. of Madhya Pradesh in Part-IV form for the revised proposal has not been submitted/uploaded on PARIVESH. The same needs submission.	बिन्दु वरिष्ठ कार्यालय से संबंधित है।
(ii)	Keeping in view the revised area of the proposal, the state shall ensure that all the requisite documents, recommendations and the site inspection reports of the authorities as applicable are submitted/uploaded.	बिन्दु का उत्तर आवेदक संस्था द्वारा पत्र क्रमांक / 1314 / कार्य / 2025 दिनांक 23.05.2025 से प्रेषित किया गया हैं। जिसकी प्रति संलग्न प्रेषित हैं।
(iii)	The State Govt. has not submitted the basic details of proposed Dam like its height, length, command area, details about the canal/Distributaries, technical approval, hydrological assessment report etc. along with any study carried out in the basin has not been submitted with the proposal. Moreover, any alternative examined with relevant map/ KML file shall also be uploaded/submitted.	बिन्दु का उत्तर आवेदक संस्था द्वारा पत्र क्रमांक / 1314 / कार्य / 2025 दिनांक 23.05.2025 से प्रेषित किया गया हैं। जिसकी प्रति संलग्न प्रेषित हैं।
(iv)	The State Government shall clearly specify whether the proposal involved the violation under Van (Sanrakshan Evam samvardhan) Adhiniyam, 1980 or offence has been booked under the provisions of the Indian Forest Act, 1927. The same needs submission along with detailed report on the action taken by the State Government regarding concerned person/officials.	प्रकरण में आवेदक संस्था द्वारा व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र कक्ष क्रमांक 287 में 190 मीटर पाल निर्माण में रकबा 0.621 हेक्टेयर एवं कक्ष क्रमांक 287, 290 एवं 293 के वनक्षेत्र में अवैध उत्खनन से रकबा 0.679 हे. , इस प्रकार कुल रकबा 1.30 हे. वनक्षेत्र में भारत सरकार की अनुमति से पूर्व कार्य किया गया हैं। जिसका विवरण पूर्व में कार्यालयीन पत्र क्रमांक / तकनीकी / 2024 / 4743 दिनांक 02.08.2024 से प्रेषित प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 64 से 70 पर संलग्न किया गया है। प्रकरण में स्थिति स्पष्ट करने हेतु पूर्व में कार्यालयीन पत्र क्रमांक / मा.चि. / 2021 / 1949 दिनांक 24.03.2021 से विस्तृत प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। जिसके अनुसार म.प्र राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 391 भोपाल दिनांक 12.11.1990 अनुसार रकबा 0.441 हे. वन भूमि का डीनोटिफिकेशन होना पाया गया है। तहसीलदार मनासा के पत्र क्रमांक 274 / रीडर–1 / 2021 दिनांक 09.02.2021 अनुसार 08 पट्टेदारों को राजस्व विभाग / जलसंसाधन विभाग द्वारा रकबा 9.198 हे. का अधिग्रहण कर मुआवजा वितरित किया जा चुका है, लेकिन उक्त सर्वे. नंबर एवं रकबा 8.757 हेक्टेयर

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भोपाल
आवक क्र. 1185
दिनांक 17.06.25

17/6

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

EDS क्र.	Query Point	Reply
		(0.441 हे. के अतिरिक्त) का म.प्र शासन वन विभाग से डीनोटिफिकेशन नहीं होना पाया गया है।
(v)	The minutes of the Project Screening Committee held in the State has not been found uploaded on PARIVESH.	बिन्दु का उत्तर आवेदक संस्था द्वारा पत्र क्रमांक/1314 /कार्य/2025 दिनांक 23.05.2025 से प्रेषित किया गया हैं। जिसकी प्रति संलग्न प्रेषित हैं।
(vi)	The State Govt. shall re-examine the same needs submissiproposal and submit detailed report along with justification as to why the project cannot be executed in non-forest area.	बिन्दु का उत्तर आवेदक संस्था द्वारा पत्र क्रमांक/1314 /कार्य/2025 दिनांक 23.05.2025 से प्रेषित किया गया हैं। जिसकी प्रति संलग्न प्रेषित हैं।
(vii)	The user agency shall furnish a report from the State Dam Safety Organisation (SDSO) regarding all technical aspects w.r.t the dam. The recommendations shall be implemented by the user agency to avoid any possible unforeseen conditions. The State Government shall obtain approval of the National Dam Safety Authority (NDSA) on the recommendations madeby the State Dam Safety Organisation (SDSO).	बिन्दु का उत्तर आवेदक संस्था द्वारा पत्र क्रमांक/1314 /कार्य/2025 दिनांक 23.05.2025 से प्रेषित किया गया हैं। जिसकी प्रति संलग्न प्रेषित हैं।
(viii)	The State shall also intimate whether any study of the impact of the project on the flow of water downstream has been carried out or not?	बिन्दु का उत्तर आवेदक संस्था द्वारा पत्र क्रमांक/1314 /कार्य/2025 दिनांक 23.05.2025 से प्रेषित किया गया हैं। जिसकी प्रति संलग्न प्रेषित हैं।
(ix)	The State shall give the details of the socio-economic benefits of the project and the expected changes in the cropping pattern of the area and other likely impacts of the project in detail.	बिन्दु का उत्तर आवेदक संस्था द्वारा पत्र क्रमांक/1314 /कार्य/2025 दिनांक 23.05.2025 से प्रेषित किया गया हैं। जिसकी प्रति संलग्न प्रेषित हैं।
(x)	The Catchment Area Treatment (CAT) Plan is required to be submitted and approved as per Para 9.2 (vii) of consolidated guidelines and clarifications issued under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980. The Copy of approved CAT plan shall be submitted as above shall be submitted.	बिन्दु का उत्तर आवेदक संस्था द्वारा पत्र क्रमांक/1314 /कार्य/2025 दिनांक 23.05.2025 से प्रेषित किया गया हैं। जिसकी प्रति संलग्न प्रेषित हैं।
(xi)	The user agency has proposed to establish many components over the forest land apart from proposing majority area of forest under submergence. However, justification behind proposing these components/ purpose wise requirement of forest land has not been submitted with the proposal. The same needs submission.	बिन्दु का उत्तर आवेदक संस्था द्वारा पत्र क्रमांक/1314 /कार्य/2025 दिनांक 23.05.2025 से प्रेषित किया गया हैं। जिसकी प्रति संलग्न प्रेषित हैं।
(xii)	The State Government in the online Part-II reported the presence of Schedule-1 species like Crocodile along with other important species like Panther, Hyaena, Jackal, Wild Pig, Blue Bull, Monkey, Varanus, Mangoose, Hare, Peafowl, Vulture, Python etc. Therefore, the comments of the CWLW. Govt. of Madhya Pradesh along with suggesting mitigation measures needs submission.	वरिष्ठ कार्यालय से संबंधित है।
(xiii)	The State Govt. in online Part-II reported that the proposed forest land for diversion is currently under management of Forest Department Prescribed in the Working Plan under Improvement and Rehabilitation Management Working Circle. Therefore, details of works done in the past as per the approved working plan/ scheme in the forest land proposed for diversion needs submission.	योजना में प्रभावित होने वाले वनक्षेत्र 43.149 हे. में से वर्ष 2022–23 में सुधार प्रबंधन वृत्त अंतर्गत 2.74 हे. क्षेत्र में कार्य कराया गया है।
(xiv)	A copy of approved R&R plan and details of number of families going to affected due to instant project shall be uploaded online. In case of rehabilitation of people is involved, necessary correction in the Cost-Benefit Analysis is required to be made.	बिन्दु का उत्तर आवेदक संस्था द्वारा पत्र क्रमांक/1314 /कार्य/2025 दिनांक 23.05.2025 से प्रेषित किया गया हैं। जिसकी प्रति संलग्न प्रेषित हैं।
(xv)	The cost benefit analysis has been carried out on the old NPV rates. Therefore, the revised cost-benefit analysis as per latest NPV rates and keeping in view of all techno-economic factors as well as	बिन्दु का उत्तर आवेदक संस्था द्वारा पत्र क्रमांक/1314 /कार्य/2025 दिनांक 23.05.2025 से प्रेषित किया गया हैं। जिसकी प्रति संलग्न प्रेषित हैं।

EDS क्र.	Query Point	Reply
	environmental factors and the calculation sheet on the benefits likely to generate due to instant project needs submission.	
(xvi)	The State shall clarify as to how the requirement of electricity will be met by the user agency to run project and its components. The detail of forest area required for the purpose (If any) shall be submitted.	बिन्दु का उत्तर आवेदक संस्था द्वारा पत्र क्रमांक/1314 /कार्य/2025 दिनांक 23.05.2025 से प्रेषित किया गया हैं। जिसकी प्रति संलग्न प्रेषित हैं।
(xvii)	The details of distribution network like canals and pipelines, which may further have required diversion of forest land etc. has not been given. A holistic proposal is required to be submitted as forest land may be required for laying of underground pipelines as well. The State Govt. shall therefore provide the complete lay out plan indicating all the components like canal, pipelines etc. The detail of the area requirement for these components, shall also be submitted keeping in view Para 9.1 of Chapter-9 of the consolidated guidelines and clarifications issued under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan), Adhiniyam, 1980.	बिन्दु का उत्तर आवेदक संस्था द्वारा पत्र क्रमांक/1314 /कार्य/2025 दिनांक 23.05.2025 से प्रेषित किया गया हैं। जिसकी प्रति संलग्न प्रेषित हैं।
(xviii)	An approved copy of the muck-disposal plan needs submission. The State Govt. shall ensure that the user agency will not utilize the forest land for muck-disposal. A table showing the muck likely to be generated under each proposed components shall also be submitted.	बिन्दु का उत्तर आवेदक संस्था द्वारा पत्र क्रमांक/1314 /कार्य/2025 दिनांक 23.05.2025 से प्रेषित किया गया हैं। जिसकी प्रति संलग्न प्रेषित हैं।
(xix)	The State Govt. in online Part-II reported that total 1872 number of trees exist within the proposed forest land which found in variance with respect to the crop density 0.6 as mentioned in the proposal. This needs justification and method of data collection related to number of trees present in the area may also be elaborated.	कार्य आयोजना वर्ष 2012–13 से 2022–23 के अनुसार कक्ष क्रमांक 290, 293 एवं 295 सुधार प्रबंधन वृत्त अंतर्गत आता है, जिसका घनत्व 0.6 तक दर्शित है। प्रभावित होने वाले वनक्षेत्र में प्रत्येक वृक्ष का चिन्हांकन किया जाकर वृक्षों की गणना कर वृक्षों की संख्या दर्शायी गई है।
(xx)	As per the District Collector, Neemuch order dated 27.02.2018 has allotted 28.25 ha land for CA against the instant project, out of which 4.11 ha is appeared as Proposed Forest land. This needs justification. Further, the people from Village Fusariya had shown dissent regarding the land allotted for CA. This needs clarification and the State Govt. shall also ensure that the land proposed for CA is free from all sort of encroachment and encumbrances.	पूर्व में कलेक्टर, जिला नीमच के आदेश दिनांक 27.02.2018 से उक्त परियोजना के वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिये 28.25 हे. भूमि आवंटित की गई थी। उपरोक्त आवंटित भूमि कार्य आयोजना के पुनरीक्षण की कार्यवाही के दौरान वनक्षेत्र में होना पाने जाने से उक्त भूमि के बदले कलेक्टर, जिला नीमच के आदेश दिनांक 31.03.2023 से ग्राम डाबी के खसरा नम्बर 1 में से 28.25 हे. भूमि आंवटित कर दी गई है। ग्राम फुसरिया में लोगो द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिये आवंटित भूमि के बारे में क्षेत्रीय कार्यालय में किसी प्रकार की कोई असहमति या आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। उपरोक्त योजना हेतु प्राप्त समस्त गैर वनभूमि अतिक्रमण एवं बाधाओं से मुक्त है। योजना में प्राप्त समस्त भूमियों को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के तहत् सरक्षित वन घोषित की जा चुका है।
(xxi)	The District Collector, Neemuch vide order dated 10.05.2023 has allotted 22.51 ha Non-forest Govt. land to various Irrigation projects of the State. Out of which 2 ha land has been allotted in the Village Bhagal whereas the State Forest Department in the Part-II form reported that 4.14 ha land has been proposed for CA in the Village Bhagal. This variation needs clarification and the District collector order indicating 4.14 ha land allotted in the Village Bhagal needs submission.	कलेक्टर जिला नीमच के आदेश क्रमांक 121/ अ–20(3) /2022–23 दिनांक 10.05.2023 अनुसार ग्राम दांता स्थित सर्वे नम्बर 497/2 रकबा 5.05 हेक्टेयर , सर्वे नंबर 498 रकबा 10.4600 हेक्टेयर एवं ग्राम भागल स्थित सर्वे नम्बर 129/1 रकबा 2.00 हेक्टेयर, सर्वे नंबर 130/2 रकबा 5.00 हेक्टेयर कुल रकबा 22.51 हेक्टेयर गैर वन भूमि आवंटित की गई थी। जिसमें से गंगाबावड़ी जलाशय परियोजना हेतु सर्वे नम्बर 497/2 रकबा 5.0500 हेक्टेयर में से 2.85 हेक्टेयर एवं सर्वे नम्बर 498 रकबा 10.4600 हेक्टेयर में से 0.90 हेक्टेयर कुल 3.75 हेक्टेयर की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार की जाकर प्रेषित की गई है।

EDS क्र.	Query Point	Reply
(xxii)	The DSS analysis revealed the presence of Agricultural lands, Earthen dam and extraction of top soil (breaking of forest land for non-forestry work) within the proposed forest land for diversion. This needs clarification.	इस संबंध में स्थल निरीक्षण राजस्व, वन एवं जल संसाधन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जाकर पूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./2021/1949 दिनांक 24.03.2021 से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), भोपाल को प्रेषित किया गया है।
(xxiii)	The DGPS map along with the KML files showing the proposed component wise utilization of the forest land as well as the Non-Forest land has not been tru submitted with the proposal. The same needs to be uploaded on PARIVESH.	बिन्दु का उत्तर आवेदक संस्था द्वारा पत्र क्रमांक/1314/कार्य/2025 दिनांक 23.05.2025 से प्रेषित किया गया हैं। जिसकी प्रति संलग्न प्रेषित हैं।
(xxiv)	As per DSS analysis, calculated area of Shape file/ KML file of Forest land proposed for diversion is found 55.946 ha, instead of 43.149 ha as per proposal. Therefore, the correct KML file of the proposed forest land shall be uploaded.	बिन्दु का उत्तर आवेदक संस्था द्वारा पत्र क्रमांक/1314/कार्य/2025 दिनांक 23.05.2025 से प्रेषित किया गया हैं। जिसकी प्रति संलग्न प्रेषित हैं।
(xxv)	The State Govt. has identified degraded forest land for plantation work in Porder to accommodate the balance saplings, which cannot be planted over proposed non forest land for CA. In this regard, the State Govt. has not submitted the specific details such as area bearing vegetation of 0.4 canopy density or more. The State shall ensure that the area proposed for compensatory afforestation must be suitable for raising plantation. In case the area proposed already has a density of 0.4 or above, a programme for improvement of the forest crop shall be submitted.	योजना में प्राप्त गैर वनभूमि पर नहीं लगाये जा सकने वाले पौधों को लगाने हेतु चयनित बिगड़े वनक्षेत्र कक्ष क्रमांक 199 एवं 318 की भूमि का घनत्व 0.4 से कम है तथा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।
(xxvi)	Satellite imagery shows some pre-plantation work along with some non-forestry work is also visible in one of the proposed CA patch namely village Bhagal. This needs clarification.	ग्राम भागल में प्राप्त गैर वनभूमि पर पूर्व से ग्राम पंचायत द्वारा कंटूर खुदाई का कार्य किया गया है।
(xxvii)	The Survey of India Toposheet Map, DGPS map along with the consolidated statement showing total financial outlay required for carrying out CA has not been submitted. Therefore, the same needs submission.	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि के सर्वे ऑफ इंडिया की टोपोशीट, DGPS maps एवं कुल वित्तीय व्यय पूर्व में प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ संलग्न प्रेषित किये गये हैं।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

(एस.के.अटोदे)
I.F.S.
वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल नीमच

पृ.क्र./तकनीकी/2025/3499 नीमच, दिनांक :—12.6.25

प्रतिलिपिः—

01. मुख्य वनसंरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन की ओर संदर्भित पत्रों के तारतम्य में मय सहपत्रों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
02. कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग नीमच की ओर संदर्भित पत्रों के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार (अनुक्रम 01 हेतु)।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल नीमच

GANGA BAWARI TANK PROJECT

TEHSIL : MANASA

DISTRICT : NEEMUCH

बिन्दुवार जानकारी

	Question	Answer
ii	Keeping in view the revised area of the proposal, the state shall ensure that all the requisite documents, recommendations and the site inspection reports of the authorities as applicable are submitted/uploaded.	Joint Inspection report has been enclosed.(Annexure-01)
iii	The State Govt. has not submitted the basic details of proposed Dam like its height, length, command area, details about the canal/Distributaries, technical approval, hydrological assessment report etc. along with any study carried out in the basin has not been submitted with the proposal. Moreover, any alternative examined with relevant map/KML file shall also be uploaded/submitted.	Salient features of project hydrology, index map Technical approval letter and alternative site on toposheet have been enclosed with proposal. (Annexure-02)
iv.	The State Government shall clearly specify whether the proposal involved the violation under Van (Sanrakshan Evam samvardhan) Adhiniyam, 1980 or offence has been booked under the provisions of the Indian Forest Act, 1927. The same needs submission along with detailed report on the action taken by the State Government regarding concerned person/officials.	This querry is related to forest office which was marked to user agency by DFO Neemuch vide letter number Technical/2025/22 dated 01-01-2025.
v	The Minutes of the Project Screening Committee held in the State has not been found uploaded on PARIVESH. The same needs submission.	Minutes of the project screening committee held in the state have been enclosed. (Annexure-03)
vi	The State Govt. shall re-examine the site specificity of the proposal and submit detailed report along with justification as to why the project cannot be executed in non-forest area.	Justification report enclosed. (Annexure-04)
vii	The user agency shall furnish a report from the State Dam Safety Organisation (SDSO) regarding all technical aspects w.r.t the dam. The recommendations shall be implemented by the user agency to avoid any possible unforeseen conditions. The State Government Shall obtain approval of the National Dam Safety Authority (NDSA) on the recommendations made by the State	Dam Constructed under guideline of dam safety act. Copy of order Feasibility has been enclosed (Annexure-05)

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

	Question	Answer
	Dam Safety Organisation (SDSO).	
viii	The State shall also intimate whether any study of the impact of the project on the flow of water downstream has been carried out or not?	The stream on which dam is proposed is a non perennial stream with catchment of only 12.81 sq km. Therefore no such study required. Excess water from dam will flow from designed waste weir into this stream in rainy season.
ix	The State shall give the details of the likely socio-economic benefits of the project and the expected changes in the cropping pattern of the area and other likely impacts of the project in detail.	Cost benefit analysis, cropping pattern, DDA certificate are enclosed {Annexure- 06 }
x.	The Catchment Area Treatment (CAT) Plan is required to be submitted and approved as per Para 9.2 (vii) of consolidated guidelines and clarifications issued under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980. The copy of approved CAT plan shall be submitted as above shall be submitted.	Copy of CAT Plan for approval is sent to DFO neemuch vide letter no. 1197 dated 14-05-2025 and same has been uploaded on PARIVESH portal.
xi.	The user agency has proposed to establish many components over the forest land apart from proposing majority area of forest under submergence. However, justification behind proposing these components /purpose wise requirement of forest land has not been submitted with the proposal. The same needs submission.	Justification report of dam and its components coming under forest has been enclosed. {Annexure- 08 }
xiv.	A copy of approved R&R plan and details of number of families going to affected due to instant project shall be uploaded online. In case of rehabilitation of people is involved, necessary correction in the Cost-Benefit Analysis is required to be made.	Project does not involve submergence of residential settlement, therefore no R&R Plan required.
xv.	The cost benefit analysis has been carried out on the old NPV rates. Therefore, the revised cost-benefit analysis as per latest NPV rates and keeping in view of all techno-economic factors as well as environmental factors and the calculation sheet on the benefits likely to generate due to instant project needs submission.	Cost benefit analysis on new NPV rates enclosed. {Annexure- 09 }

Scanned with OKEN Scanner

	Question	Answer
xvi	The state shall clarify as to how the requirement of electricity will be met by the user agency to run project and its components. The detail of forest area required for the purpose (if any) shall be submitted.	This dam is a ungated structure therefore there is no requirement of electricity on dam for the operation. Only gated component in dam is sluice while is operated manually only.
xvii	The details of distribution network like canals and pipelines, which may further have required diversion of forest land etc. had not been given. A holistic proposal is required to be submitted as forest land may be required for laying of underground pipelines as well. The State Govt. shall therefore provide the complete lay out plan indicating all the components like canal, pipelines etc. The detail of the area requirement for these components shall also be submitted keeping in view Para 9.1 of Chapter-9 of the consolidated guidelines and clarifications issued under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan), Adhiniyam, 1980.	The water conveyance system of the project is an open canal system with gravity flow. No forest is being affected in construction of canal. Line diagram of canal system is enclosed. {Annexure- 10 }
xviii	An approved copy of the muck-disposal plan needs submission. The state Govt. shall ensure that the user agency will not utilize the forest land for muck-disposal. A table showing the muck likely to be generated under each proposed components shall also be submitted.	Muck disposal plan was already submitted. It is again enclosed for reference. {Annexure- 11 }
xx.	As per the District Collector, Neemuch order dated 27.02.2018 has allotted 28.25 ha. land for CA against the instant project, out of which 4.11 ha is appeared as Proposed Forest land. This needs justification. Further, the people from Village Fusariya had shown dissent regarding the land allotted for CA . This needs clarification and the State Govt. shall also ensure that the land proposed for CA is free from all sort of encroachment and encumbrances.	District Collector dated 27-02-2018 allotted 28.25 ha land for C.A.in Luva village,Retpura village, Jhantla village & 7.750 ha land in fusariya village. C.A. land was found appropriate in inspection done by user agency and forest department. Further, the people from Village Retpura had shown dissent regarding the land allotted for CA. Because of which new CA land was allotted by District Collector dated 31-03-2023 for above mentioned 28.25 ha land in village dabi CA land alloted in village fusariya (7.750 ha) vide order dated 27-02-2018 remains unchanged, copy of which is attached. {Annexure- 12 }

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

	Question	Answer
xxi.	The District Collector, Neemuch vide order dated 10.05.2023 has allotted 22.51 ha Non-forest Govt. land to various irrigation projects of the State. Out of which 2 ha land has been allotted in the Village Bhagal whereas the State Forest Department in the Part-II form reported that 4.14 ha land has been proposed for CA in the Village Bhagal. This variation needs clarification and the District collector order indicating 4.14 ha land allotted in the Village Bhagal needs submission.	The District Collector, Neemuch vide order dated 10.05.2023. allotted CA land 3.75 ha in Bhagal village for this scheme. By mistake it was typed 4.14 ha which has been corrected and revised KML has been uploaded on Parivesh {Annexure- 13 } Area of CA land allotted 1.Dabi- 28.25 Ha District Collector dated 31-03-2023 2.Bhagal- 3.75 Ha District Collector dated 10-05-2023 3.Haspur- 3.399 Ha District Collector dated 23-09-2021 4.Fusariya- 7.75 Ha District Collector dated 27-02-2018
xxii.	The DSS analysis revealed the presence of Agricultural lands, Earthen dam and extraction of top soil (breaking of forest land for non-forestry work) within the proposed forest land for diversion. This needs clarification.	Earthwork of dam was executed in the forest region and the agricultural lands are of private cultivators in the dam submergence. Copy of private cultivators is enclosed. {Annexure- 14}
xxiii	The DGPS map along with the KML files showing the proposed component wise utilization of the forest land as well as the Non-Forest land has not been submitted with the proposal. The same needs to be uploaded on PARIVESH.	KML files showing the proposed component wise utilization of the forest land as well as the Non-Forest land has been submitted with the proposal and the same has been uploaded on PARIVESH.
xxiv	As per DSS analysis, calculated area of Shape file/ KML file of Forest land proposed for diversion is found 55.946 ha instead of 43.149 ha as per proposal. Therefore, the correct KML file of the proposed forest land shall be uploaded.	43.149 ha of land (in which 39.8 ha is in submergence,3.19 ha is of spill and 0.159 ha is of canal) is coming under forest department and 11 ha land is either private or revenue land. Revised KML of proposed forest land has been uploaded.
xxvi	Satellite Imagery shows some pre-plantation work along with some non-forestry work is also visible in one of the proposed CA patch namely village Bhagal. This needs clarification.	Pre plantation on CA land is done by gram Panchayat.

(Vimal Srivastava)
Executive Engineer
Water Resources Division Neemuch

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट -1

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएँ)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर जिला नीमच मे प्रस्तावित गंगाबावड़ी जलाशय परियोजना के निर्माण हेतु वनमंडल नीमच की 43.149 हेक्टेयर वनभूमि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग नीमच को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 23-06-2025

स्थान: भोपाल

Digitally signed by
Kshitij Kumar
Date: 23-06-2025
11:50:58

(क्षितिज कुमार)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एव
पदेन उप सचिव,
म.प्र. शासन, वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)

File No. PCCF/6/0021/2024-LM-PCCF (Computer No. 387237)
Generated from eOffice by AMIT JAISWAL, SEN DM(AJ)-LM, SENIOR DRAFTSMAN, PRINCIPAL CHIEF CONSERVATOR OF FORESTS AND HOFF on 25/06/2025 12:02 pm

परिशिष्ट -1

भाग–IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरे जाने के लिए

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जावे।		मुख्य वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन एवं वनमंडलाधिकारी, नीमच द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार जिला नीमच मे प्रस्तावित गंगाबावड़ी जलाशय परियोजना के निर्माण हेतु वनमंडल नीमच की 43.149 हेक्टेयर वनभूमि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग नीमच को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।

तिथि :– 18.06.2025

स्थान :– भोपाल

H.S. MOHANTA
APCCF (L/M)
Bhopal (M.P.)

D:\Data irrigation\Part - IV.docx

परिशिष्ट-01

PART III

S.N.	DESCRIPTION	FOLLOW UP
14	Whether site where the forestland involved is located has been inspected by concerned conservator of forest (Yes/No). If yes the date of inspection & observation made in form of inspection note to be enclosed.	Yes, Inspection Date 03-08-2024 Inspection Note is Enclosed.
15	Whether the concerned Conservator of Forests agree with the information given in Part-B and the recommendation of Deputy Conservator of Forests.	**Yes**
16	Specific recommendation of concerned Conservator of Forest for acceptance or otherwise the proposal with detailed reasons.	Forest land required is bare minimum for the project. Hence the proposal recommended for acceptance.

03/08/24

(M.R. Baghel)
I.F.S
Conservator of Forest
Ujjain Circle, Ujjain

F:\data\D\I\Ashu's Documents\DMI11\2010\2024\PART III.doc

परिशिष्ट-1

72

कार्यालय
वनमण्डलाधिकारी,
नीमच (म.प्र.)

E-mail- dfot.nmh@mp.gov.in

Phone No. (07423) 226605

वनमण्डलाधिकारी की प्रोजेक्ट के संबंध में अनुशंसा

वनमण्डल नीमच अंतर्गत कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग, नीमच द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् गंगाबावड़ी जलाशय का निर्माण किया जाना प्रस्तावित हैं। उक्त जलाशय योजना में नीमच वनमण्डल के परिक्षेत्र मनासा अंतर्गत आरक्षित वनखण्ड कंजार्डा के कक्ष क्रमांक 287,290,293,295 ,रकबा 43.149 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित होना प्रस्तावित हैं। नीमच वनमण्डल का वनक्षेत्र उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन (ईको वेल्यू–III) के अंतर्गत आता हैं। उपरोक्त प्रस्तावित 43.149 हेक्टेयर वनभूमि में VA गुण श्रेणी का वन हैं। उपरोक्त प्रस्तावित वनभूमि पर मिश्रित प्रजाति का वन होकर गुरजन, तेन्दु, कदम, धावड़ा, साजा, महुआ, बरगद, सिरस, आम, नीम, अमलताश, बहेड़ा, पलाश, पीपल, चिरोल,रींझा, सेमल, बीजा, कुल्लू, खैर, करधई, गुलर आदि प्रजाति के वृक्ष मुख्यतः पाये जाते हैं। क्षेत्र में तेन्दुआ ,लकड़बग्घा, सियार, जंगली सुअर, नीलगाय, लंगूर ,गोयरा, नेवला, खरगोश, मोर, मगरमच्छ, गिद्ध, अजगर आदि प्रजाति के वन्यप्राणी पाये जाते हैं। उपरोक्त प्रस्तावित वनभूमि पर 0.5 से 0.6 घनत्व का वन हैं।

उपरोक्त परियोजना से स्थानीय व्यक्तियों, पशुओं एवं वन्यप्राणियों को पानी की आपूर्ति होने के साथ ही क्षेत्र में जल स्तर में सुधार होगा। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में प्रभावित होने वाली 43.149 हेक्टेयर वन भूमि उपयोग की नियमानुसार अनुमति दिये जाने की अनुशंसा की जाती हैं।

(एस.के.अटोदे)
I.F.S.
वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल नीमच

परिशिष्ट-2

कार्यालय कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग, नीमच जिला नीमच (म.प्र.) (कार्या.कोड–0237)

फोन नं. 07423–232411, ईमेल eewrd_neemuch@yahoo.co.in

–: संक्षिप्त टीप :–

गंगाबावडी जलाशय योजना के बांध कार्य स्थल चयन की सार्थकता (Justification) के संबंध में संक्षिप्त टीप

गंगाबावडी जलाशय योजना तहसील मनासा जिला नीमच हेतु जिस बांध स्थल का चयन किया गया है वह एक मात्र उचित विकल्प है। इस बांध स्थल के Longtidue 75°-10'-00' तथा Lattitude 24°-33-30" है। इस बांध स्थल के नीचे कार्य स्थल का विकल्प नहीं है, क्योंकि इसके नीचे Down Stream में गंगाबावडी ग्राम की आबादी है तथा चयनित बांध स्थल के ऊपर Up Stream में भी बांध स्थल के विकल्प पर विचार किया गया, किन्तु बांध स्थल Up Stream में ले जाने पर बांध में पानी की क्षमता कम हो जाती है एवं वन क्षेत्र भी बढ जाता है।

अतः चयनित बांध स्थल के अलावा विकल्प नहीं होने से तथा इसमें प्रभावित वन भूमि 43.149 हेक्टर (जिसमें डूब क्षेत्र 39.8 हे., स्पिल 3.19 हे. एवं नहर 0.159 हे.) तथा गैर वन भूमि (निजी भूमि) 11.00 हेक्टर कुल रकबा 54.149 हेक्टर है, जो कि न्यूनतम है, इसकी गणना की जा चुकी है।

(हिमांशु भाबोर)
अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग रामपुरा

(विमल श्रीवास्तव)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग नीमच

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल नीमच

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट -2

गंगाबावड़ी लघु सिंचाई परियोजना

प्रमाणित किया जाता है कि न्यूनतम वनक्षेत्र प्रभावित होने के संबंध में तुलनात्मक दृष्टि से न्यूनतम 3 ऐसे विकल्प परीक्षणों का उपयुक्त स्केल के नक्शें पर दर्शाते हुए उनकी परीक्षणात्मक टीप निम्नानुसार है :—

विकल्प क्र.	डूब क्षेत्र (वन) (हे.)	परियोजना की लागत (रू. लाख में)	जलग्रहण क्षमता (मि.घ.मी.)	सिंचित क्षेत्र (हे.)	परीक्षणात्मक टीप
1	43.99	1622.15	2.315	408	यह कार्यस्थल प्रस्तावित चयनित स्थल से 200 मी. नीचे की ओर परीक्षण कर प्रस्तावित किया गया, परंतु इस कार्य स्थल पर प्रभावित वन भूमि का रकबा 43.99 हेक्टर आता है। जो कि तुलनात्मक दृष्टि से वर्तमान स्थल से 0.841 हेक्टयर अधिक है एवं सिंचाई क्षमता 25 हेक्टर कम है, जो कि तकनीकि दृष्टि से भी उपयुक्त नहीं है।
2	43.149	1501.25	2.444	430	विकल्प नं. 2 में प्रस्तावित कार्यस्थल पर प्रभावित वन भूमि का रकबा 43.149 हेक्टर आता है एवं सिंचाई क्षमता 430 है। प्रभावित वन भूमि की मांग लागत लाभ के अनुरूप होने एवं न्यूनतम वन भूमि प्रभावित होने से उपयुक्त है।
3	43.37	1646.50	2.002	399	विकल्प नं. 3 का कार्यस्थल प्रस्तावित चयनित स्थल से 250 मी. उपर की ओर परीक्षण कर प्रस्तावित किया गया, परंतु इस कार्यस्थल पर प्रभावित वन भूमि का रकबा 43.37 हेक्टर आता है जो कि वन भूमि की मांग लागत लाभ के अनुरूप न होने एवं अधिक वन भूमि प्रभावित होने से अनुपयुक्त है।

विकल्प क्र. 2 दर्शित आवेदित 43.149 हेक्टर वन भूमि की मांग अन्य दोनों विकल्पों तुलना में लागत लाभ के अनुरूप होने एवं न्यूनतम वन भूमि प्रभावित होने एवं तकनीकि दृटि से भी उपयुक्त है। तीनों विकल्पों को दर्शाने वाला मानचित्र संलग्न है।

(हिमांशु भावोर)
अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग रामपुरा

(विमल श्रीवास्तव)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग, नीमच

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल नीमच

Scanned with CamScanner

निर्यात के लिए नहीं NOT FOR EXPORT

OPEN SERIES MAP

No. G43V2

Scale 1:50,000

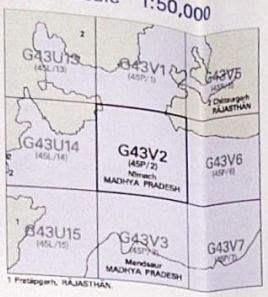

1 Pratapgarh, RAJASTHAN.

भारतीय सर्वेक्षण विभाग SURVEY OF INDIA

1st Edition 2014. Price: ₹ 84/-

CONVENTIONAL SYMBOLS

NOTES:-

COMPILATION INDEX

A Surveyed 1962-65. Updated for major details during 2010-11.

Projection – UTM Datum – WGS 84

Magnetic Variation from True North about 1° in 2010, Decreasing by about 2' per annum(Est.)

1:50,000

CONTOUR INTERVAL 20 METRES

For further details about this map, please write:
Director
Rajasthan Geo-Spatial Data Centre
Survey of India
Sector 10, Vidyadharnagar
Jaipur.

WEBSITE – www.surveyofindia.gov.in

Reproduction in whole or part by any means is prohibited without the written permission of Survey of India, the National Mapping Agency.

© GOVERNMENT OF INDIA COPYRIGHT, 2014.

RGS. NILF.D.D.T.-भारत के महासर्वेक्षक द्वारा मुद्रण एवं, के विभाग में प्रकाशित.

भारत के महासर्वेक्षक डॉ. स्वर्ण सुब्बा राव, के निदेश में प्रकाशित.
Published under the direction of Dr. Swarna Subba Rao, Surveyor General of India.
Survey of India, Hathibarkala Estate, Post Box No. 37, Dehra Dun - 248001 (Uttarakhand).
Department of Science & Technology, Government of India.

(हिमांशु चावोरे)
अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग सम्पुरा

(विमल श्रीवास्तव)
कार्यपालन राजी
जल संसाधन संभाग, नीमच

PRINTED AT THE WESTERN PRINTING GROUP OF SURVEY OF INDIA.

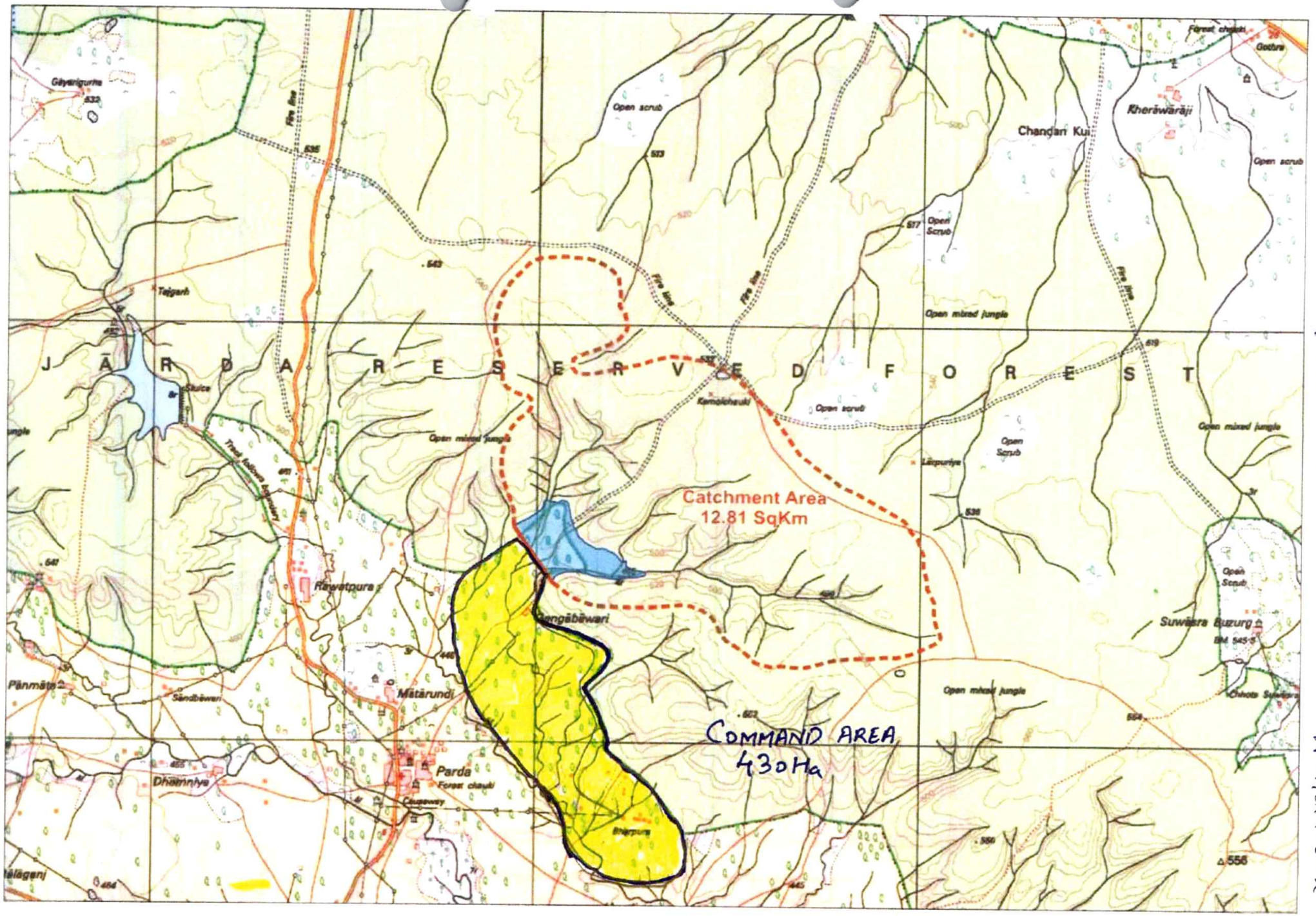

INDEX MAP

परिशिष्ट - 2
Annexure - 2

GANGA BAWARI TANK PROJECT

Tehsil :- Manasa

Distt.:- Neemuch

SALIENT DATA

(1) GENERAL DATA :-

01.	District	:	Neemuch
02.	Tehsil	:	Manasa
03.	River or Nalla	:	Local Nalla
04.	Location of dam site	:	Near village Ganga Bawari
05.	Name of River basin	:	N.T. Basin
06.	Topo sheet No.	:	45-P/2
07.	Latitude	:	24°-33'-30"
08.	Longitude	:	75°-10'-0"

(2) HYDROLOGICAL DATA :-

01.	Mean rain fall		
	(a) Annual	:	33.86 Inch (860 mm.)
	(b) Mansoon	:	Mansoon not observed
02.	Mean mansoon run off/Yield Calculated by Binnies Table to be entered here with 90% diminution factor.	:	3.055 Mcum

03. FLOOD :-

	(a) Maximum observed	:	Not observed
	(b) Maximum adopted formula to be given $Q = CM^{0.84}$	:	161.84 cumec

III. RESERVOIRA DATA :-

01.	Catchment area	:	4.945 Sqmiles or 12.81 Sq.Km.
02.	(a) Geology of area	:	Hilly and partly cultivated
	(b) Hilly wooded/party wooded	:	Hilly partly wooded.
03.	Dependable yield with 100% diminishing factor	:	2.267 Say 2.70 M Cum
04.	Gross storage capacity	:	2.444 M Cum
05.	Dead storage capacity	:	0.300 M Cum
06.	Percentage of gross storage to mean mansoon yield	:	80%
07.	Percentage of dead storage to gross storage	:	12.27%
08.	Full tank level	:	RL 108.60 M
09.	Maximum water level	:	RL 109.80 M
10.	Top bund level	:	RL 111.80 M
11.	Lowest sill level	:	RL 102.10 M
12.	Water spread area at FTL	:	52.18 Hact.
13.	Water spread area at MWL	:	56.32 Hact.

IV. DAM DATA :-

01.	Earth	:	675.00 Meter
02.	Concrete (Waste weir) Flush Bar	:	74.00 Meter
03.	Maximum Height of Dam		
	(a) Earth	:	15.35 Meter
	(b) Masonry/Concrete	:	N.A.
	(c) Top width of dam	:	5.00 Meter
04.	Quantity of earth work		
	(a) Earth	:	As per estimate
	(b) Masonry	:	As per estimate.
05.	Length of waste weir	:	74.00 Meter
06	Maximum moderate discharge of waste weir	:	161.84 Cumec

V.	CANAL :-			
01.	Length of L.B.C. canal	:	2.73 Km	
02.	Head discharge	:	0.487 Cumec	
03.	Duty adopted	:	80 acre/cusecs	
04.	Tank duty in case Kharif Irrigation	:	N.A.	
VI.	DELTA (AT THE FIELD) :-			
01.	Hybrid Wheat	:	450 - 650 mm	
02.	Gram	:	150 - 200 mm	
03.	Mustered	:	150 - 200 mm	
VII	AREA COMMANDED (AGRICULTURE STATISTIC) :-			
01.	No. of village to be benefited	:	4 Nos.	
02.	Total area commanded	:	490 Hact.	
03.	Total cultrable area	:	430 Hact.	
04.	Existing and proposed crop pattern	:	Existing	Proposed
	(i) Kharif	:	- Ha.	- Ha.
	(ii) Rabi	:	80 Ha.	430 Ha.
	(iii) Submergence	:	-	-
	(iv) Other crops by name	:	-	-
	Total	:	**80 Ha.**	**430 Ha.**
05.	Designed Rabi Irrigation	:	430 Hact.	

परिशिष्ट -2

VIII - FINANCIAL :-

01. Estimated Cost

Unit - I Head work	:	1383.10 Lakhs	20289 Lakh
Unit - II Canal	:	118.14 Lakhs.	20689 Lakh
Total :-	:	1501.24 Lakhs	2079 Lakh.

02. Cost per Hector : Rs. 3,49,125/- 3,40,200/-

03. USR : For works of MPWRD w.e.f. 01-04-2016 2017

Sub Divisional Officer
Water Resources Sub Division
Rampura

Executive Engineer
Water Resources Division
Neemuch (M.P.)

TEHSIL : MANASA

MONTHLY CROP WATER REQUIREMENT

S. No	Name of Crop	Area in Hect.	Annual Delta (in M)	Month Wise Water Requirement												Total Requirement
				July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar	Apr	May	June	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Rabi (1) Hybrid Wheat	232	0.45-0.65	-	-	-	-	0.15 0.348	0.15 0.348	0.15 0.348	0.15 0.348	-	-	-	-	0.60 1.392
	(2) Mustered	108	0.15-0.20	-	-	-	-	0.10 0.108	0.10 0.108	-	-	-	-	-	-	0.20 0.216
	(3) Gram	90	0.15-0.20	-	-	-	-	0.10 0.090	0.05 0.045	-	-	-	-	-	-	0.15 0.135
	Total	430	-	-	-	-	-	0.546	0.501	0.348	0.348	-	-	-	-	1.742 MCum

Sub Divisional Officer
Water Resources Sub Division
Rampura

Executive Engineer
Water Resources Division
Neemuch

Deputy Director
Agriculture Neemuch

परिशिष्ट-2

परिशिष्ट-2
(2)

OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER, NARMADA TAPTI BASIN, WATER RESOURCES DEPARTMENT, INDORE

Order No./184.../W-22/NT/16 Indore, Date 5-4-16

TECHNICAL SANCTION ORDER

In exercise of powers delegated to me by Govt of M.P. Finance Department, Book of Financial Powers 1995 vide order No. G/17/1/95/C/IV Dated 05.10.1995 Item No. 18 Technical Sanction to the work of GANGA BAWARI TANK PROJECT, Unit-I (Head work) and Unit-II (Canal Works) of Tehsil Manasa, District Neemuch amounting to Total Rs.513.94 Lakhs (Rs. Five Crore Thirteen Lakhs ninety four thousand) only is here by accorded as per General Abstract enclosed.

The Technical Sanction is subject to following conditions:-

1- The expenditure should be debited to head of account 45/4702 Construction work of GANGA BAWARI TANK PROJECT Unit-I Head works and Unit-II Canal.
2- In case any addition, alteration or modification is required during execution, prior approval in writing should be obtained from competent authority.
3- Expenditure should not exceed the amount of technical sanction and allotment.
4- Where ever design mix is used grading of coarse and fine aggregates will be maintained as per design mix. Testing should be done as per quality control norms at specified intervals.
5- Sanction is based on Estimates, design submitted by the Executive Engineer, Water Resources Division Neemuch & Recommended by Superintending Engineer, Water Resources Circle Ujjain.
6- Cut off shall be approved by competent authority.-
7- 100% utilizable &suitable material obtained from excavation shall be used for casing and hearting zone for earth work of banks and masonry works.
8- Provision of concrete channel spillway is based on the trial pit data, however during actual excavation hard rock is found, the revised sanction for design and planning will be immediately obtained and concerning executive Engineer shall be responsible only for any consequences.
9- Stability Analysis from recognized institute shall be done for dam section and accordingly required sanction for revised cross section will be obtained from competent authority. Without carring out stability analysis, work shall not be put to tender started.
10- The lead provided in the estimate should not be the basis for payment.
The Technical sanction is entered in T.S. this office Register No. 2 of 2016-17

Encl: General Abstract.

05/04/16
(M.S. DAWAR)
Chief Engineer
Narmada Tapti Basin,
Water Resources Department, Indore

Indore, Date 5-4-16

Endt. No./184.../W-22/NT/16

Copy forwarded to:-

1. The Engineer-in-Chief Water Resources Department, Bhopal.
2. The Accountant General of M.P. Bhopal.
3. The Superintending Engineer- Water Resources Circle Ujjain, for information and necessary action please.
4. Executive Engineer Water Resources Division Neemuch for information and necessary action please.
5. Budget Section of this office.

05/04/16
Chief Engineer
Narmada Tapti Basin,
Water Resources Department, Indore

Encl: General Abstract

परिशिष्ट-2

OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER NARMADA TAPTI BASIN,
WATER RESOURCES DEPARTMENT, INDORE

GENERAL ABSTRACT

Estimate No.
Grant No.
Major Head

- C.E's. Register No. ....2..... 2016-17
  45/4702
- 4702 Minor Irrigation Scheme
  Construction work of GANGA BAWARI TANK PROJECT. Unit-I Head works & Unit-II Canal
  Tehsil Manasa & Distt. Neemuch

S.No.	Name of work	Qty.	Unit	Rate	Cost in Lacs
	2	3	4	5	6
S.I	Unit-I Head work				
	(i) "C" Masonry	As per details estimate	Based on U.S.R. 01.04.2016		25.70
	(ii) "L" Earth work				408.01
				Total:	433.71
S.II	Unit-II Canal work	As per details estimate	Based on U.S.R. 01.04.2016		64.60
	(i) "C" Masonry				15.63
				Total:	80.23
	(ii) "L" Earth work				
			Grand Total		513.94

(Rs. Five Crore Thirteen Lakhs ninety four Thousand only)

Estimate framed & Checked by:

(Sanjay Kohad)
Sub Divisional Officer
Water Resources Sub Division
Rampura (M.P.)

Rates & Provisions checked and submitted by

(P.N. Zamindar)
Executive Engineer
Water Resources Division
Neemuch (M.P.)

Recommended by:-

(H.N. Gupta)
Superintending Engineer
Water Resources Circle Ujjain

Checked by:-

(Karuna Dungi) 11/04/16
Assistant Engineer (D)
Office of the Chief Engineer
Narmada Tapti Basin, Indore

Recommended by:-

(S.L. Rathore)
Executive Engineer(D)
Office of the Chief Engineer
Narmada Tapti Basin, Indore
Water Resources Department, Indore

Technically Sanctioned for Rs. 513.94 Lacs only (Rs. Five Crore Thirteen Lakhs ninety four Thousand only)

(M.S. DAWAR) 8/4/16
Chief Engineer
Narmada Tapti Basin,
Water Resources Department, Indore

परिशिष्ट-3

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल, नीमच(म0प्र0)

पुरानी पुलिस लाईन के सामने, महू–नसीराबाद रोड़, नीमच

Phone No. (07423) 226605, E-mail- dfot.nmh@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2021/1349 नीमच, दिनांक–24/03/2021

Email-Date/Time 24.03.21 4:51

Signature

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक,
(भू–प्रबंध)
भोपाल, म.प्र.

विषयः– जिला नीमच के अंतर्गत गंगाबावड़ी जलाशय परियोजना के निर्माण हेतु 36.00 वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक/एफ–3/82/2018/10–11/16/393 दिनांक 23.01.2021 एवं वनपरिक्षेत्राधिकारी मनासा का पृष्ठांकन क्रमांक/2021/402 दिनांक 16.03.2021.

विषयांकित प्रकरण में निवेदन हैं, कि संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार गंगाबावड़ी जलाशय परियोजना में प्रभावित होने वाली 36.00 हे. वनभूमि का स्थल निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 28.01.2021 को राजस्व विभाग एवं जलसंसाधन विभाग के अमले के साथ संयुक्त रूप से किया गया। स्थल निरीक्षण में निम्नानुसार स्थिति परिलक्षित हुई हैं:–

01. वनक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 287,290,293 की आरक्षित वन लाईन से जल संसाधन विभाग द्वारा F.T.L. की मार्किंग की गई। जिसमें जो जलभराव प्रस्तावित हैं, की जी.पी.एस. रीडिंग ली गई। जिसके अनुसार वनक्षेत्र का रकबा 39.84 हे. होना पाया गया हैं, जिसकी सीमा लाईन को नक्शे में नीले रंग से दर्शाया गया हैं।
02. उपरोक्तानुसार रकबा 39.84 हे. में से म.प्र. राजपत्र (असाधारण) क्र. 391 भोपाल दिनांक 12.11.1990 अनुसार रकबा 0.441 हे. वनभूमि का डीनोटिफिकेशन होना पाया गया हैं। जिसको कुल वनक्षेत्र 39.84 हे. भूमि में से घटाने पर शेष बची वनभूमि 39.399 हे. होती हैं।
03. उपरोक्तानुसार रकबा 39.84 हे. में से तहसीलदार मनासा के पत्र क्रमांक 274/रीडर–1/2021 दिनांक 09.02.2021 अनुसार 08 पट्टेदारों को राजस्व विभाग/जलसंसाधन विभाग द्वारा रकबा 9.198 हे. का अधिग्रहण कर मुआवजा वितरित किया जा चुका हैं, लेकिन उक्त सर्वे नं. एवं रकबा (0.441 हे. के अतिरिक्त) का म.प्र. शासन वनविभाग से डिनोटिफिकेशन नहीं होना पाया गया हैं।

संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन मय सहपत्रों सहित पत्र के संलग्न आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(क्षितिज कुमार)
भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल नीमच

पृष्ठा.क्र./मा.चि./2021/1350 नीमच, दिनांक :–24/03/2021

प्रतिलिपिः–

मुख्य वनसंरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में मय सहपत्रों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल नीमच

परिशिष्ट -3

कार्यालय वनपरिक्षेत्र अधिकारी वन परिक्षेत्र मनासा जिला नीमच (म.प्र.)
Phone No. (07421) 242065, E-mail- Rotmanasa@mp.gov.in

क्रमांक /2021/ मनासा, दिनांक :—

निरीक्षण टीप

वन विभाग मनासा, राजस्व विभाग मनासा, जल संसाधन विभाग मनासा एवं विधायक प्रतिनिधि द्वारा ग्राम बावड़ी निर्माणाधिन डेम का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 28.01.2021 को कार्यालय अपर प्रधान मुख्य संरक्षक (भू-प्रबंधन) भोपाल का पत्र क्रमांक /एफ-3/393 दिनांक 23.01.2021 एवं कार्यालय वनमण्डलाधिकारी नीमच के पत्र क्रमांक/मा.चि./2021/624 दिनांक 23.01.2021 द्वारा ली गई आपत्ति के निराकरण की पूर्ति के लिये संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसमें यह पाया कि:—

1. मौका स्थल पर कक्ष क्रमांक 287,290,293 की R.F. (आरक्षित वन) लाईन के जी.पी.एस. रीडिंग के निर्देशांक निम्नानुसार है:—

मुनारा क्रमांक 216 बीट— भेरपुरा
N-2433'32.0" E-75°10'2.2"

मुनारा क्रमांक 217 बीट— भेरपुरा
N-2433'40.0" E-75°10'08.8"

मुनारा क्रमांक 218 बीट— पड़दा
N-2433'46.2" E-75°10'08.2"

मुनारा क्रमांक 219 बीट— पड़दा
N-2433'46.5" E-75°09'59.3"

मुनारा क्रमांक 220 बीट— पड़दा
N-2433'42.0" E-75°09'58.0"

मुनारा क्रमांक 221 बीट— पड़दा
N-2433'39.8" E-75°09'52.0"

के अनुसार राजस्व क्षेत्र का रकबा 11.0हे. पाया गया जिसकी सीमा लाईन नक्शे में नारंगी रंग से दर्शाया गया है। संलग्न-नक्शा क्रमांक (1)

2. मौका पर बने मुनारों के जी.पी.एस. निर्देशांक निम्नानुसार है —

1. N-24°33'32.0" E-75°10'15.0" 2. N-24°33'34.8" E-75°10'20.5"
3. N-24°33'39.8" E-75°10'15.5" 4. N-24°33'39.4" E-75°10'11.1"
5. N-24°33'56.3" E-75°10'09.0" 4. N-24°33'48.9" E-75°10'00.5"

3. वनक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 287, 290,293 की **R.F.**(आरक्षित वन) लाईन से जल संसाधन विभाग द्वारा **F.T.L.** की मार्किंग की गई जिसमें जो जल भराव प्रस्तावित है, के जी.पी.एस. रीडिंग निर्देशांक निम्नानुसार है—

1. N-2433'29.2" E-75°10'04.3" 2. N-2433'30.1" E-75°10'05.2"
3. N-2433'30.7" E-75°10'07.0" 4. N-2433'30.9" E-75°10'07.2"
5. N-2433'30.7" E-75°10'07" 6. N-2433'31.1" E-75°10'08.0"
7. N-2433'31.1" E-75°10'09.7" 8. N-2433'31.1" E-75°10'10.3"
9. N-2433'31.1" E-75°10'11.5" 10. N-2433'31.0" E-75°10'12.3"
11. N-2433'30.9" E-75°10'13.1" 12. N-2433'30.9" E-75°10'13.5"
13. N-2433'30.7" E-75°10'14.5" 14. N-2433'30.6" E-75°10'15.3"
15. N-2433'30.7" E-75°10'19.3" 16. N-2433'29.7" E-75°10'19.0"
17. N-2433'29.3" E-75°10'21.9" 18. N-2433'29.3" E-75°10'26.9"
19. N-2433'29.1" E-75°10'26.1" 20. N-2433'30.2" E-75°10'35.1"
21. N-2433'29.1" E-75°10'32.3" 22. N-2433'30.3" E-75°10'40.3"
23. N-2433'31.3" E-75°10'38.2" 24. N-2433'32.3" E-75°10'33.3"
25. N-2433'34.4" E-75°10'33.7" 26. N-2433'34.5" E-75°10'31.7"

27. N-2433'35.1" E-75 10'31.4" 28. N-2433'33.3" E-75 10'28.9"
29. N-2433'39.2" E-75 10'22.1" 30. N-2433'30.4" E-75 10'23.7"
31. N-2433'41.4" E-75 10'19.6" 32. N-2433'32.7" E-75 10'16.3"
33. N-2433'43.7" E-75 10'16.2" 34. N-2433'44.8" E-75 10'15.0"
35. N-2433'45.4" E-75 10'15.4" 36. N-2433'46.4" E-75 10'14.2"
37. N-2433'47.7" E-75 10'12.2" 38. N-2433'50.8" E-75 10'11.8"
39. N-2433'48.9" E-75 10'12.4" 40. N-2433'54.4" E-75 10'11.9"
41. N-2433'56.4" E-75 10'09.0" 42. N-2433'57.1" E-75 10'06.3"
43. N-2433'56.6" E-75 10'07.7" 44. N-2433'56.3" E-75 10'02.8"
45. N-2433'56.4" E-75 10'05.2" 46. N-2433'55.5" E-75 10'01.9"
47. N-2433'57.7" E-75 10'04.1" 48. N-2433'53.3" E-75 10'01.5"
49. N-2433'39.3" E-75 09'56.4" 50. N-2433'50.5" E-75 09'57.5"

के अनुसार वनक्षेत्र का रकबा 39.84 हेक्टेयर पाया, जिसकी सीमा लाईन को नक्शे में नीले रंग से दर्शाया गया है।

संलग्न- नक्शा क्रमांक (2)

4. म.प्र. राजपत्र (असाधारण) क्रं 391 भोपाल दिनांक 12.11.1990 अनुसार - उक्त डेम निर्माण क्षेत्र में 0.441 हे. वन भूमि का डिनोटीफिकेशन पाया है। जो वन क्षेत्र 39.84 हे. भूमि मे सम्मिलित होने से उसे घटाया जाना उचित है। शेष बची वन भूमि 39.399 हे. में से अन्य किसी राजस्व / वन विभाग के कक्ष का डिनोटिफिकेशन नहीं पाया गया। नक्शा संलग्न (3) एवं डिनोटिफिकेशन असाधारण राजपत्र दिनांक 12.11.1990

तहसीलदार मनासा के पत्र क्रमांक 274/रीडर-1/2021 दिनांक 09.02.2021 से सर्वे नं. एवं उसका रकबा के आदेश जिलाधीश महोदय द्वारा किये गये है, जो निम्नानुसार है-

क्रमांक	सर्वे क्रमांक	रकबा	नाम
01.	97	1.092	कवरी बाई आदि बारेट
02.	98	1.295	कालू पिता अमरा बारेट
03	99/1	1.012	मांगी बाई बेवा मोहन लाल आदि कीर
04.	99/2	1.011	मांगी बाई बेवा मोहन लाल आदि कीर
05.	100	2.023	फोरुलाल पिता नंदा आदि
06.	1097	0.441	रतन पिता सेवा आदि बारेट
07.	1098	2.000	मानसिंह पिता रुघनाथ सिंह राजपुत
08.	1100	0.324	मांगी बाई बेवा मोहन लाल आदि कीर
योग	08	9.198	
योग में से डिनोटिफिकेशन रकबा घटाने पर		(-) 0.441	
कुल योग		8.757	

परिशिष्ट -3

उपरोक्त 08 पट्टेदारों को जल संसाधन / राजस्व विभाग द्वारा अधिग्रहण कर मुआवजा वितरित किया जा चुका है, लेकिन उक्त सर्वे नं एवं रकबा का म.प्र. शासन से डिनोटिफिकेशन नहीं हुआ पाया ।

संलग्नः–1. नक्षा कमांक (1 व 2)

2. नक्षा कमांक (3) । नजरीया नक्षा

3. असाधारण राजपत्र. / भोपाल / मंगलवार / 12 नवम्बर 1990 की छायाप्रति

4. कार्यालय तहसीलदार तहसील मनासा जिला नीमच के पत्र क्र 274 / रीडर–1 / 2021 / मनासा दिनांक 09.02.2021 के पृश्ठ क्र.01 से 59 तक एक प्रति में नस्ती संलग्न !

वन विभाग मनासा, राजस्व विभाग मनासा, जल संसाधन विभाग मनासा एवं विधायक प्रतिनिधि द्वारा गंगा बावड़ी निर्माणाधिन डेम का संयुक्त निरीक्षण दिनांक **28.01.2021** को किया गया। जिसमें उपस्थित अधिकारी व कर्मचारी–

❖ वनविभाग

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल, नीमच

क.	नाम	पद	हस्ताक्षर
01.	श्री एस. के. अरोरे	उप वन मण्डल अधि. मनासा	
02.	मो. सलीम मन्सूरी	वन परिक्षेत्र अधि. मनासा	
03.	" दिनेश पाटीदार	परिक्षेत्र सहायक पड़दा	
04.	" हेमन्त बसेर	बीट प्रभारी भेरपुरा	
05.	" युवराज शक्तावत	बीट प्रभारी पड़दा	
06.	" रणजीत सिंह बोरासी	पूर्व बीट प्रभारी भेरपुरा	

❖ जल संसाधन विभाग

क.	नाम	पद	हस्ताक्षर
01.	श्री जी. एस. डावर	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन नीमच	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नीमच
02.	एम.ए. सिद्दीकी	अनु. अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग, रामपुरा	अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग रामपुरा (म.प्र.)

❖ राजस्व विभाग

क.	नाम	पद	हस्ताक्षर
01.	S.D.M. राजस्व मनासा	श्री मनोज जैन	
02.	तहसीलदार मनासा	मनोहर मीना	तहसीलदार मनासा, जिला-नीमच (म.प्र.)
03.	R.I.	दिनेश मेहता	
04.	ई.के. पड़दा	दीपक पाटीदार	
05.			
06.			

परिशिष्ट -3

❖ विधायक प्रतिनिधि

क्र.	नाम	पद	हस्ताक्षर
01.	आनन्द कुमार श्रीवास्तव	विधायक प्रतिनिधि	

(मोहम्मद सलीम मन्सूरी)
वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र मनासा

क्रमांक /2021/402 मनासा, दिनांक :– 16.3.2021

प्रतिलिपिः–

01. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल नीमच की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित। (संलग्न 01 कं 59 पन्ने)
02. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग जिला नीमच की ओर सूचनार्थ।
03. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व मनासा की ओर सूचनार्थ।
04. अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग मनासा की ओर सूचनार्थ।
05. उपवनमण्डलाधिकारी, उपवनमण्डल मनासा की ओर सूचनार्थ ।
06. तहसीलदार, राजस्व मनासा की ओर सूचनार्थ।

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र मनासा

वन मण्डलाधिकारी
क्र. 2027
दि. 22/03/21
सामान्य वन मण्डल, नीमच

परिशिष्ट-4 (3)

Annexure-1

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/ एफ-3/82/2018/10-11/16/663 भोपाल, दिनांक 07/03/18

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग नीमच,
मनासा नाका रोड, जिला नीमच
मध्यप्रदेश।

विषय:- जिला नीमच के अंतर्गत गंगा बावडी जलाशय परियोजना के निर्माण हेतु 36.00 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भ:- बेवपोर्टल पर प्राप्त प्रस्ताव भाग-1 दिनांक 01.03.2018

---0---

विषयांतर्गत में लेख है, कि बेवपोर्टल पर गंगा बावडी जलाशय परियोजना के निर्माण हेतु 36.00 हेक्टेयर वनभूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव का भाग-1 प्राप्त हुआ। आनलाईन परीक्षण में प्रस्ताव के भाग-1 में निम्न कमियां पाई गयी हैं :-

1. प्रस्ताव के भाग-1 के बिन्दु क्रमांक A-1(iii) में परियोजना निर्माण के संबंध में संक्षिप्त टीप नहीं दी गयी है। पूर्ति करें।
2. प्रस्ताव के भाग-1 के बिन्दु क्रमांक A-3(xvii) में अपलोड प्राधिकृत पत्र का मिलान योजना का क्रियान्वयन करने के लिये प्रस्ताव के बिन्दु क्रमांक A-3(i) से (vi) तक में दी गयी जानकारी अनुसार नही है। जो मान्य नहीं। वरिष्ठ अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किये जाने का प्राधिकृत पत्र अपलोड करें।
3. प्रस्ताव के भाग-1 के बिन्दु क्रमांक B-2.4 में काम्पोनेंट वाईस ब्रेकप में प्रभावित गैर वनभूमि 0.00 हेक्टेयर दर्शायी गयी है। गैर वनभूमि 18.16 हेक्टेयर का उपयोग बांध निर्माण के कौन-कौन से कार्यो में होगा उसका विवरण दिया जावें।
4. प्रस्ताव के भाग-1 के बिन्दु क्रमांक C(ii)(a) में प्रभावित वनभूमि 36.00 हेक्टेयर की KML file की आकृति प्रदर्शित नहीं हो रही है। अतः सही KML file अपलोड करें।
5. प्रस्ताव के भाग-1 के बिन्दु क्रमांक C(iii) में प्रभावित वनभूमि की सर्वे आफ इंडिया की टोपोशीट के स्थान पर अन्य मानचित्र अपलोड किया है। प्रभावित वनभूमि को सर्वे आफ इंडिया की टोपोशीट पर चिन्हित कर हस्ताक्षरित प्रति अपलोड करें।
6. प्रस्ताव के भाग-1 के बिन्दु क्रमांक C(iv) में प्रभावित वनभूमि के जियो-रिफरेन्स मेप के स्थान पर क्षतिपूर्ति वनीकरण का मानचित्र अपलोड किया है। जियो-रिफरेन्स मेप की हस्ताक्षरित प्रति अपलोड करें।
7. प्रस्ताव के भाग-1 के बिन्दु क्रमांक D(i) में प्रस्तावित वनभूमि न्यूनतम होने से संबंधित अन्य स्थलों का तुलनात्मक विवरण पत्रक एवं सर्वे आफ इंडिया की टोपोशीट पर प्रभावित स्थल एवं अन्य स्थल दर्शाते हुये मानचित्र की हस्ताक्षरित प्रति अपलोड नही की गयी है। पूर्ति करें।
8. प्रस्ताव के भाग-1 के बिन्दु क्रमांक G(i)(a) में योजना से संबंधित कास्ट बेनिफिट एनालिसिस के पत्रक भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 01.08.2017 (छायाप्रति संलग्न है) के निर्देश अनुसार निर्धारित प्रपत्रों में नही है। अतः निर्देश अनुसार निर्धारित प्रपत्रों पर योजना का कास्ट बेनिफिट एनालिसिस तैयार कर अपलोड करें।
9. प्रस्ताव के भाग-1 के बिन्दु क्रमांक L(iv)(c) में गैर वनभूमि 28.25 हेक्टेयर की KML file की आकृति प्रदर्शित नहीं हो रही है। सही KML file तैयार कर अपलोड करें।

-2-

D:\AI\Data-irrigation\Section F-3.docx

14.3.2018

परिशिष्ट-4

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

/एफ-3/82/2018/10-11/16/875 भोपाल, दिनांक 3/3/2020

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल, नीमच,
मध्य प्रदेश।

विषयः- गंगावावडी तालाब निर्माण के लिये 36.00 हेक्टेयर वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

संदर्भः- आर.ई.सी. की बैठक दिनांक 25.02.2020

--0--

इस प्रस्ताव पर दिनांक 25.02.2020 को चर्चा की गई। प्रस्ताव पर चर्चा करने पर यह पाया गया कि आवेदक संस्था द्वारा मौके स्थल पर कुछ वन क्षेत्र में स्वीकृति के पूर्व ही कार्य कर लिया है।

इस बैठक में आवेदक संस्था के अधिकारी उपस्थित थे। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा जो भी कार्य किया गया है वह राजस्व क्षेत्र में किया गया है।

वन विभाग के डिजिटाइज्ड नक्शों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि आवेदक संस्था ने कुछ वन क्षेत्र में कार्य कर लिया है। संभव है कि विभाग के डिजिटाइज्ड नक्शों में कुछ त्रुटि हो।

अतः आप वन विभाग की 1:50,000 स्केल की टोपोशीट पर आवेदक संस्था द्वारा चाही गई 36.00 हेक्टेयर वन भूमि में अंकित कर इस कार्यालय को प्रस्तुत करे ताकि उसका परीक्षण कर आवश्यकता अनुसार निर्णय लिया जा सके।

इसके अतिरिक्त आवेदक संस्था द्वारा प्रकरण में क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये जो 36.00 हेक्टेयर गैर वन भूमि दो टुकड़ों में उपलब्ध कराई है। इस उपलब्ध कराई गई गैर वन भूमि में बड़े टुकड़े की KML फाईल काफी लगभग 62.00 हेक्टेयर की आ रही है। आवेदक संस्था से 36.00 हेक्टेयर की KML फाईल प्रस्तुत करने के निर्देश दें।

साथ ही प्रस्ताव में प्राप्त 36.00 हेक्टेयर गैर वन भूमि की 11 वर्षीय रोपण योजना इस कार्यालय के पत्र दिनांक 31.12.2019 के अनुसार तैयार कर तकनीकी स्वीकृति सहित इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

(सुनील अग्रवाल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ0 क्रमांक/एफ-3/82/2018/10-11/16/879 भोपाल, दिनांक 3/3/2020

प्रतिलिपिः-

1. मुख्य वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन, मध्यप्रदेश।
2. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग नीमच, जिला नीमच, मध्यप्रदेश।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

D:\AJ\Data\Irrigation\Section F-3(Part-I).docx

परिशिष्ट-5

Annexure-3

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/ एफ-3/82/2018/10-11/16/663 भोपाल, दिनांक 07/03/18

प्रति,
कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग नीमच,
मनासा नाका रोड, जिला नीमच
मध्यप्रदेश।

विषयः- जिला नीमच के अंतर्गत गंगा बावडी जलाशय परियोजना के निर्माण हेतु 36.00 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भः- बेवपोर्टल पर प्राप्त प्रस्ताव भाग-1 दिनांक 01.03.2018

—0—

विषयांतर्गत में लेख है, कि बेवपोर्टल पर गंगा बावडी जलाशय परियोजना के निर्माण हेतु 36.00 हेक्टेयर वनभूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव का भाग-1 प्राप्त हुआ। आनलाईन परीक्षण में प्रस्ताव के भाग-1 में निम्न कमियां पाई गयी है :-

1. प्रस्ताव के भाग-1 के बिन्दु क्रमांक A-1(iii) में परियोजना निर्माण के संबंध में संक्षिप्त टीप नहीं दी गयी है। पूर्ति करें।
2. प्रस्ताव के भाग-1 के बिन्दु क्रमांक A-3(xvii) में अपलोड प्राधिकृत पत्र का मिलान योजना का क्रियान्वयन करने के लिये प्रस्ताव के बिन्दु क्रमांक A-3(i) से (vi) तक में दी गयी जानकारी अनुसार नही है। जो मान्य नहीं। वरिष्ठ अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किये जाने का प्राधिकृत पत्र अपलोड करें।
3. प्रस्ताव के भाग-1 के बिन्दु क्रमांक B-2.4 में क्राम्पोनेंट वाईस ब्रेकप में प्रभावित गैर वनभूमि 0.00 हेक्टेयर दर्शायी गयी है। गैर वनभूमि 18.16 हेक्टेयर का उपयोग बांध निर्माण के कौन-कौन से कार्यों में होगा उसका विवरण दिया जावें।
4. प्रस्ताव के भाग-1 के बिन्दु क्रमांक C(ii)(a) में प्रभावित वनभूमि 36.00 हेक्टेयर की KML file की आकृति प्रदर्शित नहीं हो रही है। अतः सही KML file अपलोड करें।
5. प्रस्ताव के भाग-1 के बिन्दु क्रमांक C(iii) में प्रभावित वनभूमि की सर्वे आफ इंडिया की टोपोशीट के स्थान पर अन्य मानचित्र अपलोड किया है। प्रभावित वनभूमि को सर्वे आफ इंडिया की टोपोशीट पर चिन्हित कर हस्ताक्षरित प्रति अपलोड करें।
6. प्रस्ताव के भाग-1 के बिन्दु क्रमांक C(iv) में प्रभावित वनभूमि के जियो-रिफरेन्स मेप के स्थान पर क्षतिपूर्ति वनीकरण का मानचित्र अपलोड किया है। जियो-रिफरेन्स मेप की हस्ताक्षरित प्रति अपलोड करें।
7. प्रस्ताव के भाग-1 के बिन्दु क्रमांक D(i) में प्रस्तावित वनभूमि न्यूनतम होने से संबंधित अन्य स्थलों का तुलनात्मक विवरण पत्रक एवं सर्वे आफ इंडिया की टोपोशीट पर प्रभावित स्थल एवं अन्य स्थल दर्शाते हुये मानचित्र की हस्ताक्षरित प्रति अपलोड नही की गयी है। पूर्ति करें।
8. प्रस्ताव के भाग-1 के बिन्दु क्रमांक G(i)(a) में योजना से संबंधित कास्ट बेनिफिट ऐनालिसिस के पत्रक भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 01.08.2017 (छायाप्रति संलग्न है) के निर्देश अनुसार निर्धारित प्रपत्रों में नही है। अतः निर्देश अनुसार निर्धारित प्रपत्रों पर योजना का कास्ट बेनिफिट ऐनालिसिस तैयार कर अपलोड करें।
9. प्रस्ताव के भाग-1 के बिन्दु क्रमांक L(iv)(c) में गैर वनभूमि 28.25 हेक्टेयर की KML file की आकृति प्रदर्शित नहीं हो रही है। सही KML file तैयार कर अपलोड करें।

P:\M\Data-Irrigation\Section-5.docx 2018

परिशिष्ट -4

10. प्रस्ताव के भाग–1 के विन्दु क्रमांक L(v) में गैर वनभूमि के जियो–रिफरेंस मेप में दो आकृति प्रदर्शित हो रही है। जबकि अक्षांश–देशांश एक आकृति के दिये है। अतः खसरावार अलग–अलग जियो–रिफरेंस मेंप तैयार कर अक्षांश–देशांश सहित हस्ताक्षरित प्रति अपलोड करें।

11. प्रस्ताव के भाग–1 विन्दु क्रमांक L(vi) में गैर वनभूमि की सर्वे आफ इंडिया की 1:50,000 स्कैल की टोपोशीट के स्थान पर अन्य मानचित्र संलग्न है। जो मान्य नही है। अतः गैर वनभूमि की सर्वे आफ इंडिया की 1:50,000 स्कैल की टोपोशीट हस्ताक्षरित अपलोड करें।

अतः उपरोक्त कमियों की पूर्ति करें, तथा आवश्यक्तानुसार दस्तावेज हस्ताक्षर कर अपलोड किये जाकर आनलाईन प्रस्ताव भाग–1 इस कार्यालय को प्रेषित करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(सुनील अग्रवाल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

परिशिष्ट -५

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ-3 / 82 / 2018 / 10-11 / 16 / 875 भोपाल, दिनांक 3/2/2020

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी
सागान्य वनमण्डल, नीमच,
मध्य प्रदेश।

विषयः- गंगावावड़ी तालाब निर्माण के लिये 36.00 हेक्टेयर वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

संदर्भः- आर.ई.सी. की बैठक दिनांक 25.02.2020

---0---

इस प्रस्ताव पर दिनांक 25.02.2020 को चर्चा की गई। प्रस्ताव पर चर्चा करने पर यह पाया गया कि आवेदक संस्था द्वारा मौके स्थल पर कुछ वन क्षेत्र में स्वीकृति के पूर्व ही कार्य कर लिया है।

इस बैठक में आवेदक संस्था के अधिकारी उपस्थित थे। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा जो भी कार्य किया गया है वह राजस्व क्षेत्र में किया गया है।

वन विभाग के डिजिटाइज्ड नक्शों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि आवेदक संस्था ने कुछ वन क्षेत्र में कार्य कर लिया है। सम्भव है कि विभाग के डिजिटाइज्ड नक्शों में कुछ त्रुटि हो।

अतः आप वन विभाग की 1:50,000 स्केल की टोपोशीट पर आवेदक संस्था द्वारा चाही गई 36.00 हेक्टेयर वन भूमि में अंकित कर इस कार्यालय को प्रस्तुत करें ताकि उसका परीक्षण कर आवश्यकता अनुसार निर्णय लिया जा सके।

इसके अतिरिक्त आवेदक संस्था द्वारा प्रकरण में क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये जो 36.00 हेक्टेयर गैर वन भूमि दो टुकड़ों में उपलब्ध कराई है। इस उपलब्ध कराई गई गैर वन भूमि में बड़े टुकड़े की KML फाईल काफी लगभग 62.00 हेक्टेयर की आ रही है। आवेदक संस्था को 36.00 हेक्टेयर की KML फाईल प्रस्तुत करने के निर्देश दें।

साथ ही प्रस्ताव में प्राप्त 36.00 हेक्टेयर गैर वन भूमि की 11 वर्षीय रोपण योजना इस कार्यालय के पत्र दिनांक 31.12.2019 के अनुसार तैयार कर तकनीकी स्वीकृति सहित इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

(सुनील अग्रवाल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ0 क्रमांक / एफ-3 / 82 / 2018 / 10-11 / 16 / 879 भोपाल, दिनांक 3/2/2020

प्रतिलिपिः-

1. मुख्य वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन, मध्यप्रदेश।
2. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग नीमच, जिला नीमच, मध्यप्रदेश।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

D:\AJ\Data-Irrigation\Section F-3(Part-I).docx

Annexure-05

कार्यालय कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग, नीमच जिला नीमच (म.प्र.) (कार्या.कोड–0237)

फोन नं. 07423–232411, ईमेल eewrd_neemuch@yahoo.co.in

–: संक्षिप्त टीप :–

गंगाबावडी जलाशय योजना के बांध कार्य स्थल चयन की सार्थकता (Justification) के संबंध में संक्षिप्त टीप

गंगाबावडी जलाशय योजना तहसील मनासा जिला नीमच हेतु जिस बांध स्थल का चयन किया गया है वह एक मात्र उचित विकल्प है। इस बांध स्थल के Longtidue 75°-10'-00' तथा Lattitude 24°-33-30" है। इस बांध स्थल के नीचे कार्य स्थल का विकल्प नहीं है, क्योंकि इसके नीचे Down Stream में गंगाबावडी ग्राम की आबादी है तथा चयनित बांध स्थल के ऊपर Up Stream में भी बांध स्थल के विकल्प पर विचार किया गया, किन्तु बांध स्थल Up Stream में ले जाने पर बांध में पानी की क्षमता कम हो जाती है एवं वन क्षेत्र भी बढ जाता है।

अतः चयनित बांध स्थल के अलावा विकल्प नहीं होने से तथा इसमें प्रभावित वन भूमि 43.149 हेक्टर (जिसमें डूब क्षेत्र 39.8 हे., स्पिल 3.19 हे. एवं नहर 0.159 हे.) तथा गैर वन भूमि (निजी भूमि) 11.00 हेक्टर कुल रकबा 54.149 हेक्टर है, जो कि न्यूनतम है, इसकी गणना की जा चुकी है।

(हिमांशु माबोर)
अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग रामपुरा

(विमल श्रीवास्तव)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग नीमच

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल नीमच

Scanned with CamScanner

गंगाबावड़ी लघु सिंचाई परियोजना

प्रमाणित किया जाता है कि न्यूनतम वनक्षेत्र प्रभावित होने के संबंध में तुलनात्मक दृष्टि से न्यूनतम 3 ऐसे विकल्प परीक्षणों का उपयुक्त स्केल के नक्शें पर दर्शाते हुए उनकी परीक्षणात्मक टीप निम्नानुसार है :—

विकल्प क्र.	डूब क्षेत्र (वन) (हे.)	परियोजना की लागत (रू. लाख में)	जलग्रहण क्षमता (मि.घ.मी.)	सिंचित क्षेत्र (हे.)	परीक्षणात्मक टीप
1	43.99	1622.15	2.315	408	यह कार्यस्थल प्रस्तावित चयनित स्थल से 200 मी. नीचे की ओर परीक्षण कर प्रस्तावित किया गया, परंतु इस कार्य स्थल पर प्रभावित वन भूमि का रकवा 43.99 हेक्टर आता है। जो कि तुलनात्मक दृष्टि से वर्तमान स्थल से 0.841 हेक्टयर अधिक है एवं सिंचाई क्षमता 25 हेक्टर कम है, जो कि तकनीकि दृष्टि से भी उपयुक्त नहीं है।
2	43.149	1501.25	2.444	430	विकल्प नं. 2 में प्रस्तावित कार्यस्थल पर प्रभावित वन भूमि का रकवा 43.149 हेक्टर आता है एवं सिंचाई क्षमता 430 है। प्रभावित वन भूमि की मांग लागत लाभ के अनुरूप होने एवं न्यूनतम वन भूमि प्रभावित होने से उपयुक्त है।
3	43.37	1646.50	2.002	399	विकल्प नं. 3 का कार्यस्थल प्रस्तावित चयनित स्थल से 250 मी. उपर की ओर परीक्षण कर प्रस्तावित किया गया, परंतु इस कार्यस्थल पर प्रभावित वन भूमि का रकवा 43.37 हेक्टर आता है जो कि वन भूमि की मांग लागत लाभ के अनुरूप न होने एवं अधिक वन भूमि प्रभावित होने से अनुपयुक्त है।

विकल्प क्र. 2 दर्शित आवेदित 43.149 हेक्टर वन भूमि की मांग अन्य दोनों विकल्पों तुलना में लागत लाभ के अनुरूप होने एवं न्यूनतम वन भूमि प्रभावित होने एवं तकनीकि दृष्टि से भी उपयुक्त है। तीनों विकल्पों को दर्शाने वाला मानचित्र संलग्न है।

(हिमांशु भावोर)
अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग रामपुरा

(विमल श्रीवास्तव)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग, नीमच

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल नीमच

Scanned with CamScanner

Annexure-06

मध्यप्रदेश शासन,
जल संसाधन विभाग
—:: मंत्रालय ::—
वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक एफ–22/1/2015–16/ल.सि./31/51 भोपाल, दिनांक 11/01/2016

—:: आदेश ::—

विभाग की ऐसी सिंचाई परियोजनाओं, जिनमें निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, की प्रथम दृष्टया तकनीकी एवं वित्तीय साध्यता का परीक्षण, जल की उपलब्धता, डूब क्षेत्र, वन भूमि एवं वित्तीय मापदण्डों के आधार पर किये गये तकनीकी एवं वित्तीय परीक्षण में प्रथम दृष्टया निम्नलिखित सिंचाई परियोजना तकनीकी एवं वित्तीय रूप से साध्य पाई गई :—

(Amount in Lakhs & Area in Ha.)

स. क्र.	परियोजना का नाम	परियोजना का प्रकार	जिला	प्रस्तावित सिंचाई (रबी)	प्राक्कलित लागत	भूमि की लागत	निर्माण लागत	सर्वे एवं अनुसंधान व्यय
1	बड़मानी	तालाब	मंडला	370	1245.56	167.06	1018.5	2.00
2	भानपुर	तालाब	मंडला	280	902.40	85.28	805.12	1.50
3	कटरातला	तालाब	मंडला	880	2992.40	550	2257	7.00
4	मानपुर	तालाब	बालाघाट	900	3123.00	110	3013	8.00
5	गंगावली	तालाब	नीमच	515	1793.07	1068.55	712.5	3.00
6	बीरखेलिया	तालाब	देवास	530	1746.63	819.36	806.43	3.00
7	कलारिया	तालाब	शाजापुर	200	694	345	349	1.00
8	एनीकट बैराज सूक्ष्म सिंचाई	बैराज	उज्जैन	6500	6100	100	6000	30.00
9	मांडनालावली	तालाब	उज्जैन	350	832.5	307.5	525	2.00
10	पूरना	तालाब	बैतूल	450	1562.83	896.03	530	2.00
11	घाटमिपरिया	तालाब	बैतूल	450	1332.65	572	710	2.00
12	कलाईगढ़	तालाब	बैतूल	320	1116.09	520.96	539.88	2.00
13	बासनेरकलां	तालाब	बैतूल	200	693.67	361.48	299	1.00
14	सीता शिवनाल	तालाब	बैतूल	250	859.56	178.07	602.48	1.00
15	घाट बिरौली	तालाब	बैतूल	1240	4289.29	1880.64	2050.5	9.00
16	कोरा	तालाब	सागर	6000	14624.95	7628	6581.2	30.00
17	खुरीआ	तालाब	सागर	600	1979.42	874.26	1042.6	3.00
18	गंगारा	तालाब	सागर	1525	5291.75	2027.83	3263.92	10.00
19	नौना	तालाब	सागर	300	1041.3	500.7	510	2.00
20	चचाई सेमरा तालाब	तालाब	छतरपुर	180	552.68	57.68	495	0.80
21	गरैठा	तालाब	छतरपुर	170	592	391	236	0.70
22	नैगवां	तालाब	छतरपुर	450	1568	575	991	2.00

स. क्र.	परियोजना का नाम	परियोजना का प्रकार	जिला	प्रस्तावित सिंचाई (रबी)	प्राक्कलित लागत	भूमि की लागत	निर्माण लागत	सर्वे एवं अनुसंधान व्यय
23	मगलापाठ	बैराज	बड़वानी	200	278.13	12.04	249.85	0.50
24	चन्नरियागोई	बैराज	बड़वानी	200	255.5	16.25	224.42	0.50
25	बरला	बैराज	बड़वानी	300	554.04	39.75	514.29	0.50
26	खेड़ी तालाब	तालाब	धार	1000	3229.38	1624.38	1350	6.00
27	खैरवा तालाब	तालाब	धार	205	713.40	466.55	246.85	1.00
28	तारखेड़ी	तालाब	झाबुआ	150	446.75	97.65	324.62	0.80
29	चनाई तालाब	तालाब	सिवनी	4000	8139.90	6018.9	2121	25.00
30	चकरालेखापा तालाब	तालाब	छिन्दवाड़ा	1300	4545.94	1635.94	2750	7.00

2. उक्त परियोजना के विस्तृत-सर्वेक्षण एवं अनुसंधान करने और विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डीपीआर) तैयार करने की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ दी जाती है :-

(i) संबंधित कार्यपालन यंत्री परियोजना का विस्तृत सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कराके डीपीआर 16 सप्ताह में तैयार कर कछार के मुख्य अभियंता के माध्यम से प्रमुख अभियंता को उपलब्ध कराएं ।

(ii) सर्वेक्षण एवं डीपीआर की कार्रवाई के दौरान परियोजनाओं के सैच्य क्षेत्र के कृषकों की सर्वे नम्बर सहित सूची तैयार की जावे और उनसे परियोजना के लिये सहमति प्राप्त की जावे।

(iii) परियोजना का प्रस्ताव प्रमुख अभियंता को प्रशासकीय स्वीकृति के लिये भेजने के पूर्व तकनीकी स्वीकृति (टी.एस.) जारी की जावे और इसे डी.पी.आर. में रखा जावे । टी.एस. जारी करने के पूर्व प्रशासकीय स्वीकृति होने की आवश्यकता को प्रश्नाधीन प्रकरणों के लिये शिथिल किया जाता है।

(iv) विस्तृत सर्वेक्षण डीपीआर तैयार करने के दौरान ही सहमति से भूमि क्रय करने तथा भू-अर्जन/वन भूमि व्यपवर्तन का प्रकरण तैयार किया जावे। ताकि परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने की दशा में तत्काल प्रकरण सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जा सके ।

3. डी.पी.आर. के लिए परियोजना लागत आकलन करते समय निम्न ध्यान रखा जाए :-

(i) निजी भूमि का मूल्य कलेक्टर गाइड लाईन का ढ़ाई गुना आकलित किया जाए।

(ii) वन भूमि की दशा में प्रभावित वन भूमि की अनुमति के लिए लागत रू. 15 लाख प्रति हेक्टर के मान से आंकलित की जाए।

(iii) स्थापना में केवल निर्माण की लागत का 6 प्रतिशत प्रावधान रखा जाए।

4. प्रमुख अभियंता कार्यालय उपरोक्त परियोजनाओं के सर्वेक्षण, अनुसंधान एवं डी.पी.आर. के लिये उपरोक्त तालिका के कॉलम–9 में दर्शाई गई राशि का आबंटन संबंधित कार्यपालन यंत्री को जारी करें । उक्त परियोजनाओं के सर्वेक्षण कार्य हेतु कॉलम–9 में दर्शित राशि अपर्याप्त होने की दशा में कार्यपालन यंत्री की औचित्य के साथ माँग प्राप्त होने पर अतिरिक्त राशि आबंटित की जा सकती है ।

5. कार्यपालन यंत्री यह सुनिश्चित करें कि यदि किसी परियोजना का पूर्व में विस्तृत सर्वेक्षण व अनुसंधान किया जा चुका है तो पुनः सर्वेक्षण, अनुसंधान में व्यय नहीं किया जावे । पूर्व में किये गये सर्वेक्षण अनुसंधान की पुनः व्यक्तिशः संतुष्टि कर लें। पूर्व में जिस परियोजना का सर्वेक्षण अनुसंधान किया जा चुका हो तो उसके संबंध में उक्त कॉलम–9 में दर्शाया गया आबंटन मूलतः प्रमुख अभियंता को समर्पित कर दिया जावे। यह सुनिश्चित करना कार्यपालन यंत्री की व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी ।

6. अधीक्षण यंत्री स्थल निरीक्षण कर सुनिश्चित करेंगे कि चिन्हित स्थल पर प्रस्तावित बैराज के निर्माण कराने से अधिक से अधिक जल का समुचित उपयोग होगा।

7. कार्यपालन यंत्री यह सुनिश्चित कर ले कि संलग्न तालिका में दर्शाई गई योजना सर्वेक्षण उपरांत असाध्य न हो जिससे सर्वे में किया गया व्यय व्यर्थ हो जाये । सर्वे के पूर्व ही यदि कोई बड़ी बाधा जैसे कृषकों का विरोध, या आँकड़ों की त्रुटि आदि की अवस्था में दिनाँक 07.02.2016 तक परियोजना असाध्य होने के बारे में प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग को फार्म नं.–151 में सूचित करते हुए विभागीय वेबसाईट पर प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें ।

8. संबंधित मुख्य अभियन्ता सर्वेक्षित एवं चिन्हित परियोजना के डी.पी.आर. 04 सप्ताह में शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

11/1/16
(व्ही.एस.टेकाम)
उप सचिव
म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग

पृष्ठां. क्रं. – एफ–22/1/2015–16/ल.सि./31/52 भोपाल, दिनांक 11/1/2016

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, तुलसी नगर, भोपाल ।
2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, इन्दौर/सिवनी/होशंगाबाद/सागर।
3. वैब मेनेजर, कार्यालय परियोजना संचालक, पाईकू, जल संसाधन विभाग, भोपाल।

11/1/16
उप सचिव
म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग

परि. – 7
Annexure – (6)

GANGA BAWARI LANKI PROJECT, PURULIA

TABLE- EXISTING CROP PATTERN AND PRODUCTIVITY BEFORE PROJECT

(All rates in Rs., Amount in Rs. Lakh and Area in Ha.)

Sl.No	Crop	Area	Yield (Qtl/ Ha)	Total yield (Qtl)	Price per Qtl.	Gross Income (in Rs. Lakh)	Breakup of Expenditure: Seed Rate/ Ha (Rs.)	Seed Amt.	Fertilizers, Chemicals etc. Rate/ Ha (Rs.)	Fertilizers, Chemicals etc. Amt.	Human, Animal & Machinery & Misc Rate/ Ha (Rs.)	Human, Animal & Machinery & Misc Amt.	Total Expenditure	Net Income (in Lakhs)
Kharif														
1	Soyabean	0	12	0	1800	0.00	1875	0.00	2824	0.00	5000	0.00	0.00	0.00
2	Urad	0	6	0	3500	0.00	1100	0.00	1454	0.00	4000	0.00	0.00	0.00
3	Moong	0	5	0	3600	0.00	1840	0.00	1454	0.00	4000	0.00	0.00	0.00
4	Maize	0	25	0	1100	0.00	1000	0.00	3048	0.00	4500	0.00	0.00	0.00
5	Jowar	0	26	0	1200	0.00	450	0.00	3048	0.00	4500	0.00	0.00	0.00
6	Til	0	5	0	5000	0.00	300	0.00	700	0.00	4000	0.00	0.00	0.00
7	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
	Total													
Rabi														
1	[illegible]	20	20	400	1400	5.60	2030	0.41	1524	0.30	4500	0.90	1.61	3.99
2	Wheat	60	12	720	1800	12.96	2660	1.60	1854	1.11	4000	2.40	5.11	15.49
3	Gram	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
4	Mustered	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
5	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
6	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
7	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
	Total.	80		1,120		20.16 27.20		2.00		1.42		3.30	6.72	20.48
Other Crops														
1	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
3	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
4	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
5	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
6	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
7	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
	Total													
	GRAND TOTAL	80		1,120		27.20 20.16		2.00		1.42		3.30	6.72	20.48

5.57
7.85
13.44
13.44

परि.-7

(All rates in Rs., Amount in Rs./Lakh and Area in Ha.)

Sr.No.	Crop	Area	Yield (Qtl/ Ha)	Total yield (Qtl)	Price per Qtl.	Gross Income (in Rs. Lakh)	Breakup of Expenditure: Seed Rate/ Ha (Rs.)	Seed Amt.	Fertilizers, Chemicals etc. Rate/ Ha (Rs.)	Fertilizers, Chemicals etc. Amt.	Human, Animal & Machinery & Misc Rate/ Ha (Rs.)	Human, Animal & Machinery & Misc Amt.	Total Expenditure	Net Income (in Lakhs)	
Kharif															
1	Soyabean (Improved)	0	25	0	2500	0.00	1675	0.00	2824	0.00	5000	0.00	0.00	0.00	
2	Urad	0	6	0	3500	0.00	1100	0.00	1454	0.00	4000	0.00	0.00	0.00	
3	Moong	0	5	0	3800	0.00	1840	0.00	1454	0.00	4000	0.00	0.00	0.00	
4	Maize	0	25	0	1100	0.00	1000	0.00	3048	0.00	4500	0.00	0.00	0.00	
5	Jowar	0	26	0	1200	0.00	450	0.00	3048	0.00	4500	0.00	0.00	0.00	
6	Til	0	5	0	5000	0.00	300	0.00	700	0.00	4000	0.00	0.00	0.00	
7	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
	Total	-		-		-		-				-	-	-	
Rabi															
1	Wheat (HYV)	232	46 30	9260 ~~6960~~	1800	167.04 ~~125.28~~	2290	5.31	1524	3.54	3500	8.12	18.97	108.31	157.07
2	Gram (DOLLER)	90	20 30	1800 ~~2700~~	4500 3600	81.00 ~~97.20~~	2660	2.39	1854	1.67	3200	2.88	6.94	90.26	74.06
3	Mustered	108	20	✓2160	5000 3000	108.00 ~~64.80~~	2700	2.92	1400	1.51	2500	2.70	7.13	57.67	100.87
4	Isabgol	0	18	0	5500	0.00	2700	0.00	1500	0.00	3000	0.00	0.00	0.00	
5	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
6	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
7	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
	Total	430		15240 ~~11,820~~		356.04 ~~287.28~~		10.62		6.72		13.70	31.04	~~256.24~~	325.00
Other Crops															
1	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
2	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
3	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
4	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
5	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
5	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
7	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
	Total	-		-		-		-		-		-	-	-	
	GRAND TOTAL	430		~~11,820~~ 13.240		287.28 356.04		10.62		6.72		13.70	31.04	~~256.24~~	325.00

परि.- 7

Cost of Production Fish (As per guideline average of FRL and MDDL area shall be taken into consideration)

Particulars	Submergence Area Ha	Production Kg/Ha	Total Production	Rate per Kg.	Production Amt (Rs.)	Expenditure (Rs.)	Net Benefit (Rs. Lakh)
Ganga Bawari Tank Project							
At F.R.L.	52.182	750	19568.25	50	978412.5	195682.5	7.83
At M.D.D.L.	0						
Other Dam							
At F.R.L.	0	750	0	50	0	0	0.00
At M.D.D.L.	0						
				Total			7.83

(Rate Source : _____)

Domestic and Industrial Water Supply			
	Supply (MCM)	Rate in Rs. Lakh/ MCM	Amount in Rs.
Benefits from water supply to Drinking & Domestic use	5.2	0	0
Benefits from water supply to industries	0	0	0
Total			0

(Rate Source : _____)

Revenue from Power Production						
	Unit size (MW)	No. of Units	Hours	Total Production (MWh)	Rate in Rs. Lakh/ MWh	Amount in Rs. Lakh
Firm Power	0	0	0	0	0	0
Incidental Power	0	0	0	0	0	0
Total				0	0	0

(Rate Source : _____)

परि.-7

MADHYA PRADESH
WATER RESOURCES DEPARTMENT
GANGA BAWARI TANK PROJECT PROJECT
Table-11.1 BC Ratio Calculation

Item	Before Irrigation	After Irrigation	
1 Gross Receipt			
(i) Gross value of farm produce	27.20	287.38	358.04
(ii) Dung receipts (at 30% of the fodder expenditure)	1.22	8.62	10.68
Total Gross Receipts (1) = (i+ii)	28.42	295.90	366.72
2 EXPENSES			
(i) Expenditure on Seeds	2.00	10.62	
(ii) Expenditure on Fertilizers, Chemicals etc.,	1.42	6.72	
(iii) Expenditure on hired labour (human, animal & machinery) & Misc	3.30	13.70	
(iv) Fodder expenses (as percentage of gross value of produce)			
a) 15% Gross value of farm produce before irrigation	4.08	28.73	
b) 10% Gross value of farm produce after irrigation			
(v) Depreciation on implements at 2.7% of the gross value of farm produce	0.73	7.76	
(vi) Share and Cash Rent			
a) 5% Gross value of farm produce before irrigation	1.36	8.62	
b) 3% Gross value of farm produce after irrigation			
(vii) Land Revenue at 2% of gross value of farm produce	0.54	5.75	
Total Expenses (2) = (i+ii+iii+iv+v+vi+vii)	13.44	81.89	
3 NET VALUE OF PRODUCE			
(i) Total Gross receipts (Total 1)	28.42	295.90	358.04
(ii) Total Expenses (Total 2)	13.44	81.89	
Net value of produce (3) = (i-ii)	14.99	214.01	274.15
4 ANNUAL BENEFITS			
(i) Net value after irrigation (3)		214.01	358.04
(ii) Net value before irrigation		14.99	7.82
from Irrigation		199.02	308.22
(iii) from Fish production		7.83	
(iv) from Power production (Being incidental, not considered)		0.00	
(v) from Water Supply		0.00	
a) Domestic		0.00	
b) Industrial		0.00	
Net Annual Benefits (4) = (i-ii)+(iii)+(iv)		206.85	357.55
5 COST OF PROJECT			
(i) Estimated cost of the Project		1501.24	
(ii) Cost of land development		0.00	
Total		1501.24	
6 ANNUAL COSTS			
(i) Interest on capital @ 10% (Estimated total cost of the project including cost of land development)		150.12	
(ii) Depreciation of the project @ 1% of the cost of project for 100 years life of the project and @ 2% for 50 years life of the project		15.01	
(iii) Annual operation and maintenance charges		0.43	
(iv) Maintenance of the head works @ 1% of its cost		15.01	
(v) Depreciation of the pumping system @ 8.33% of the estimated cost of the pumping system assuming life of the system as 12 years (Applicable to lift irrigation)		0.00	
(vi) Depreciation of the rising mains @ 8.33% of the estimated cost of the rising mains assuming life of the system as years (Applicable to lift irrigation)		0.00	
(vii) Power Charges for lift irrigation @ per Ha. (Applicable to lift irrigation)		0.00	
Total Annual Costs (6) = (i + ii + iii + iv + v + vii + vii)		180.58	
Average Benefit Cost Ratio = Annual Benefits (4) / Annual Costs (6)		1.15	

Sanjay Kaushal
Sub Divisional Officer

Annexure-07
एवं परि -10

COST BENEFIT ANALYSIS FOR

GANGA BAWARI TANK PROJECT NEEMUCH

Table-A Cases User which A Cost Benefit Analysis for Forest Diversion Area Required

S. No.	Parameters	Applicable/Not Applicable	Remark
1	All categories of proposal involving forest land up to 7.98 Ha. In plains and up to 30 Ha. In hills.	Applicable	
2	Proposal for defense installation purpose and oil prospecting (prospecting only)	Not Applicable	
3	Habitation, establishment of industrial units. Tourist lodges complex and other building construction.	Not Applicable	
4	All other proposal involving forest land more than 7.98 Ha. In plain and more than 30 Ha. In hills including roads, transmission lines, Minor, medium and major Irrigation project, hydro projects, mining activity, railway lines, location specific installation like micro-wave station, auto repeater centers, TV towers etc.	Applicable	These are cases where a cost benefit analysis is necessary to determine when diverting the forest land to non forest use of overall public interest. The Ganga Bawari Tank Project falls under this category.

(Himanshu Bhabor)
Sub Divisional Officer
W.R. Sub Division, Rampura

(Vimal Shrivastav)
Executive Engineer
W.R. Division, Neemuch

परि.-7
एवं परि-10

Table-B Estimate of Cost of Forest Diversion

S. No.	Parameters	Remark
1.	Ecosystem service losses due to proposed forest diversion	Ecosystem services due to diversion of forest land suggested by the forest classification report of proposed, Ganga Bawari Irrigation Project is Rs. 12.2859 lakhs/Ha. Cost of land = 43.149 Ha. X 12.28590 lakhs/Ha. = 530.12 Lakhs
2	Loss of animal husbandry productivity including cost of fodder.	As per the cost benefit guideline i.e. 10 % of N.P.V 1.228 Lakh per Ha.= 43.149 x 1.228 = 53.01 Lakh
3	Cost Human Resettlement	There is no human settlement due to proposed Ganga Bawari Tank Project Hence cost of human resettlement is Nil.
4	Loss of public facilities and administrative infrastructure (road, building, School, Dispensaries, electric lines, railways etc) on forest land if these facilities were diverted due to the project	There is no loss of public facilities and administrative infrastructure of forest land due to construction of Ganga Bawari Tank Project No cost has been added on this account.
5	Possession value of fores land diverted.	The possession Value of forest land diverted is takan 30 % of the N.P.V due to loss of forest i.e Rs. 3.686 Lakhs/Ha. Hence amount will be = 43.149 x 3.686 = 159.04 Lakhs
6	Cost of Suffering to oustees	No Applicable
7	Habitat fragmentation cost	Forest land is being acquired the submergence of Ganga Bawari Tank Project. There is No amount taken under this account.
8	Compensatory afforestation and soil and moisture conservation cost	The cost @ Rs. 4.00 Lakhs per Ha. is taken for compensatory afforestation and soil moisture conservation. Hence amount will be = 43.149 x 4.00 = 172.596 Lakhs
9.	Total cost due to forest land diversion	Total cost due to forest land diversion for Ganga Bawari Tank Project will be 530.12+53.01+159.04+172.596 = 914.766 Lakhs.

(Himanshu Bhabor)
Sub Divisional Officer
W.R. Sub Division, Rampura

(Vimal Shrivastav).
Executive Engineer
W.R. Division, Neemuch

परि. -7
एवं परि-10

Table-C Existing guidelines for estimating benefits of forest diversion in CBA

S. No.	Parameters	Remark
1	Increase in productivity attribute to the specific project.	The Crop production benefit due to Ganga Bawari Tank Project will be Rs. 24044 Lakhs in designed life of 100 Years and water level will increase economic growth of the nearby Villages.
2	Benefits to economy due to the specific project	Ganga Bawari Tank Project will trigger economic development and also influence with irrigation facility to a land of 430 Ha. In the surrounding area irrigation is proposed both by Lift & Canal System.
3	No. of Population benefited due to specific project	Project is located in back ward area of the village. After completion of project 472 No. cultivators will be benefited and ground water level will be increased in surround area. This Project will also facilitate drinking water supply to adjacent villages.
4	Economic benefits due to of diret and indirect employment due to the project	The project will provide direct employment for approximate 300 people (18 month) during its construction period.
5	Economic benefits due to compensatory aforestation.	An economic benefit due to compensatory afforestation has considered as per the benefit of C.A. guidelines of Ministry for N.P.V estimation.

(Himanshu Bhabor)
Sub Divisional Officer
W.R. Sub Division, Rampura

(Vimal Shrivastav)
Executive Engineer
W.R. Division, Neemuch

परि. -7
एवं परि -10

GANGA BAWARI TANK PROJECT

TEHSIL –MANASA

DISTRICT- NEEMUCH

COST BENEFIT ANALYSIS

PARAMETER FOR EVALUATION OF FOREST

Table-C Existing guidelines for estimating benefits of forest diversion in CBA

S. No.	Parameters	Remark
1	Increase in perceptivity attributed to specified project	The Ganga Bawari Tank Project is conceived to cater irrigation water to 430 Ha. Of CCA in Village. Ganga Bawari, Hundi Bherpura and Deori of Manasa Tehsil of Neemuch district. Irrigation intensity will increase. Total amount of annual benefits in terms of productivity have been work out 11504 quintal from 1440 quintal, therefore total profit in next 100 Years would be 24044 Lakh.
2	Benefits to economy	The Main objective of Ganga Bawari Tank is to provide irrigation water to 430 ha land which mainly owned by triabls and after completion assured water will be given to boost up their economy.
3	Number of the population benefited.	The Ganga Bawari Tank is conceived to cater irrigation water to 430 ha of CCA in village Ganga Bawari, Hundi, Bherpura and Deori of Manasa Tehsil of District Neemuch will be benefited by this scheme by way of irrigation so the total cultivators benefited through irrigation shall be near by 472 Nos
4	Employment Potential	During the construction stage temporary employment 300 man days and permanent employment 10 person shall be generated for 18 months.
5	Cost of acquisition facility on non forest land wherever feasible	No human commodity will affected due to construction of project.
6	Loss of (a) Agriculture (b) Animal Husbandry	No loss of agriculture envisaged in fact

परि.- 7
एवं परि -10

	Production due to diversion.	present object has been proposed for the improvement of agriculture in this area No loss in the animal husbandry production.
7	Cost of rehabilitating the displacement person has different from.	Not applicable based on survey it was found that there no displacement due to project and as such
8	Cost of supply of free fuel would to workers residing in are near forest area during period of construction	The labour camps will be facilitated with kerosene/LPG facilities and hence no free cutting shall be there for fuel woo.
9	Total benefit due to project	Rs. 240.44 Lakh per year Rs. 24044 Lakh after 100 years.

Cost Benefit Analysis :-

1. Total Benefit due to project = Rs 240.44 Lakhs
2. B.C (Cost Benefit) Ratio 5% Interest = 2.65
   B.C (Cost Benefit) Ratio 10 % interest = 1.45

Sub Engineer
W.R. Sub Division, Rampura

(Himanshu Bhabor)
Sub Divisional Officer
W.R. Sub Division,
Rampura

(Vimal Shrivastav)
Executive Engineer
W.R. Division, Neemuch

परि.-7 एवं
परि -10

GANGA BAWARI TANK PROJECT

TEHSIL –MANASA DISTRICT- NEEMUCH

COST BENEFIT RATIO

1. Project Cost = Rs 1501.24 Lakh
2. Irrigation (Rabi) = 430 Hact.

Pre Development

S No.	Name of Crop	Area under cultivation	Cost of Cultivation per hact.	Total Cost of Cultivation	Yield per hact. In quintal	Total Yield	Rate per Quintal	Total Value of produce in lakh
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wheat Hyb	40	8000	3.20	24	960	1800	17.28
2	Gram	60	5500	3.30	08	480	4000	19.20
	Total	100	-	6.50	-	1440	-	36.48

(A) Net benefit – 36.48 -6.50 = 29.98 lakh

POST DEVELOPMENT

S No.	Name of Crop	Area under cultivation	Cost of Cultivation per hact.	Total Cost of Cultivation	Yield per hact. In quintal	Total Yield	Rate per Quintal	Total Value of produce in lakh
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wheat Hyb	232	10000	23.20	35	8120	2000	162.40
2	Gram	90	7000	6.30	16	1440	4000	57.60
3	Mustard	108	7000	7.56	18	1944	4500	87.48
	Total	430	-	37.06	-	11504	-	307.48

(B) Net benefit – 307.48-37.06 = 270.42 lakh

परि.- 7 एवं
परि - 10

B.C Ratio

S. No.		5% Interest	10% Interest
1	Project Cost	1501.24 lakh	1501.24 Lakh
2	Project cost interest	75.062 lakh	150.124 lakh
3	Depreciation@ 1% on (1) above	15.0012 lakh	15.012 lakh
4	Administrative expenses @ 100/hact. (Design irrigation 430 x 100)	0.430 lakh	0.430 lakh
5	(C)	90.49 lakh	165.56 lakh
6	B.C Ratio = B-A/C	2.65	1.45

Sub Engineer
W.R. Sub Division, Rampura

(Himanshu Bhabor)
Sub Divisional Officer
W.R. Sub Division,
Rampura

(Vimal Shrivastav)
Executive Engineer
W.R. Division, Neemuch

परि. - 8

PCCF/6/0021/2024-LM-PCCF

I/328038/2025

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

सी-ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं.-2. तुलसी नगर, भोपाल-462003

:: तकनीकी स्वीकृति आदेश ::

आदेश क्रं./एफ-3/82/387237/0021/16/ दिनांक: ई-साईन अनुसार

कार्यालयीन तकनीकी स्वीकृति आदेश दिनांक 29.04.2025 जो कि गंगाबावड़ी तालाब सिंचाई परियोजना के केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान की तकनीकी स्वीकृति से संबंधित है, एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है। वनमण्डलाधिकारी, नीमच द्वारा उनके पत्र क्रमांक/तकनीकी/2025/2960, दिनांक 19.05.2025 से प्रकरण में संशोधित केंचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान का संशोधित प्राक्कलन राशि रूपये 56,83,000/- का तैयार कर इस कार्यालय को प्रेषित किया है।

भारत सरकार द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत दिनांक 08.03.2019 से जारी गाईड लाईन अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म०प्र० भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-3/2019/10-11/03, दिनाक 31.05.2019 से प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत गठित समिति की आयोजित बैठक के अनुक्रम में गंगाबावड़ी तालाब सिंचाई परियोजना अतर्गत प्राप्त सशोधित केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान के प्राक्कलन पर पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है

वनमण्डल का नाम	योजना का नाम	उपचार भूमि का रकबा (हेक्ट. में)	राशि रूपये
नीमच	गंगाबावड़ी तालाब सिंचाई योजना	1281	56,83,000/-

उक्त संशोधित तकनीकी स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेंगी :-

1. उक्त योजना अंतर्गत तैयार प्राक्कलन के प्रस्ताव पर दी जाती है। यदि प्रस्ताव में कोई परिवर्तन स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक हो तो अनुमोदन उपरान्त कराऐं।

2. समस्त कार्य स्वीकृत जॉब दरो, निर्धारित नार्म्स एवं बजट प्रावधानों के अन्तर्गत ही कराये जावें। यदि किसी कार्य की जॉब दर/श्रमिक दर में कोई परिवर्तन की आवश्यकता हो तो अनुमोदन उपरांत कराए, कार्य की गुणवत्ता उत्तम हों।

3. इस स्वीकृति के अधीन केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर प्राप्त राशि के अंतर्गत ही व्यय करेंगे, केवल तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कार्य प्रारंभ न किया जावे। कैम्पा कक्ष द्वारा दिये आवंटन के अनुसार ही कार्य कराया जावें।

4. इस कार्य की उपयोगिता प्राप्त प्राक्कलन अनुसार कार्य के लिये है।

5. कार्य का संपादन तकनीकी स्वीकृति के साथ संलग्न प्राक्कलन में दर्शित तकनीकी मापदण्डों के अनुसार कराया जायें। कार्य के दौरान स्थल की भौगोलिक स्थिति के अनुसार किसी प्रकार के परिवर्तन / संशोधन की आवश्यकता होने पर सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

6. केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान अंतर्गत कार्य हेतु स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ही कार्य किया जावें।

7. प्रोजेक्ट में प्रस्तावित कार्य स्वीकृत जॉब दरों के अनुरूप ही किये जायेंगे भिन्नता पाये जाने पर कार्य कराने वाले अधिकारी एवं संबंधित सत्यापनकर्ता अधिकारी उत्तरदायी होंगें।

8. कार्य स्थल के फोटोग्राफ अनिवार्य रूप से लिए जाएं तथा अभिलेखों में समाहित किया जाए। प्राक्कलन में दर्शित कार्य से संबधित अभिलेखों (यथा माप पुस्तिका आदि) का नियमानुसार संधारण किया जाए।

9. केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान कार्य की गुणवत्ता पर सतत निगरानी रखी जाये।

10. कोई भी सामग्री क्रय करते समय म०प्र० भण्डार क्रय नियमों का पालन किया जावें।

11. कार्य प्रांरभ के पूर्व विस्तृत कार्यवार स्थल अनुरूप डी.पी.आर. तैयार कर कार्य प्रारंभ करावें।

Digitally signed by
Hari Shankar Mohanta
Date: 26-06-2025
12:46:22

(एच. एस. मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रतिलिपि.-

1. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा), म०प्र०, भोपाल।
2. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) उज्जैन वृत्त उज्जैन, मध्यप्रदेश ।
3. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल नीमच, मध्यप्रदेश ।
4. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नीमच मध्यप्रदेश ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

परि. - 8

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

WATER RESOURCES DEPARTMENT

GANGA BAWADI TANK
Catchment Area Treatment Plan
Amount Rs. 56.83 Lakhs

DISTT. :- NEEMUCH TEH:- MANASA BLOCK:- MANASA

EXECUTIVE ENGINEER
WATER RESOURCES DIVISION
NEEMUCH (M.P.)

CATCHMENT AREA TREATMENT PLAN

1.1 Introduction

It is well-established fact that reservoirs formed by dams on rivers area subjected to sedimentation. The process of sedimentation embodies the sequential processes of erosion, Entrainment, transportation, deposition and compaction of sediment. The study of erosion and sediment yield from catchment is of up most importance as the deposition of sediment in reservoir reduces its capacity. Thus affecting th water available for the designated use. The eroded sediment from catchment when deposited on streambeds and banks causes braiding of river reach. The removal of top fertile soil from catc ment also adversely affects the agricultural production and growth of plants another crucial factor that adds to the sediment load and which contributes to soil degradation is grazing pressure.

The lack of proper vegetal cover is a factor to cause degradation and thereby results in severe run off/soil erosion, and subsequently premature siltation of the reservoir. Thus, a well designed catchment area treatment (CAT) plan is essential to ameliorate the above- mentioned adverse cause and process of soil erosion. The Catchment Area treatment involves the understanding of the erosion characteristics of the terrain and suggesting remedial measures to reduce the erosion rate. For this reason, the catchment of the directly draining rivers, streams, tributaries, etc. are treated and the cost is included in t e project cost.

The pre-requisite for a watershed management is the collection of multipronged data e.g. geology, geomorphology, topography, soil, land use/land cover, climate, hydrology, drainage pattern, etc. the multi-pronged data generated from various published sources and actual data collected from these watershed on the above mentioned parameters forms the basis of the action plan for catchment area treatment is presented here.

Catchment area treatment (CAT) plans for the free draining catchment area of the proposed project has been prepared for areas with high soil erosion intensity. The CAT plan targets toward overall improvement in the environmental conditions of the region. All the Activities are aimed at treating the degraded and potential areas with severe soil erosion. The plan provides benefits due to biological and engineering measures and its utility in Maintaining the ecosystem health. The plan with objectives addresses i sues such as prevention of gully erosion, enhanching the forest cover for increasing soil holding capacity and arresting total sediment flow in the reservoir and flowing waters.

1.2 Objectives

Integrated watershed management plan minimizes the sedimentation of reservoir. The main aim of the catchment area treatm nt plan is to rejuvenate various potential and degraded ecosystems in the catchment area for longevity of the reservoir storage capacity. For this purpose, the action plan has been prepared with the following objectives.

1 To facilitate the hydrologi al functioning of the catchment and to augment the quality of water of the river and its tributaries.

2 Conservation of soil cover and to arrest the soil erosion, floods and siltation of the river along with its tributaries and consequent reduction of siltation in the reservoir of the project.

3. Rehabilitation of degraded forest areas through afforestation and facilitating natural regeneration of plants.
4. Mitigation of landslide, landslip and rock falls.
5. Soil Conservation through biological and engineering measures to reduce sediment load in river and tributaries, incidentally improving the quality of water.
6. Ecosystem conservation resulting from increased vegetal cover and water retaining properties of soil.

1.3 Catchment Area

Ganga Bawari Tank Project Scheme is a minor irrigation rises on Local Nalla in the manasa Range of Neemuch Division in the Neemuch distt., of Madhya Pradesh at Ganga bawari Village Block manasa elevation on 500 m. Geographical coordinat's origination are at north Latitude 24^0-33'-30" and East Longitude 75^0-10'-00". The side can be located on the Topo sheet No. 45 P/2 Minor Local Nallas flows in a generally direction for a total length of 10 km away to join the river. The forest area boundary in the catchment as per the forest proposal is about 12.62 Sq.Km & about 0.3939 Sq.Km is in the submergence.

1.4 Free Draining Catchment

CAT Plan has been formulated for free draining catchment i.e. up to the p oposed Ganga bawari Tank Project on minor nallas of ganga bawari Village. Free draining catchment area for this CAT plan is 12.81 Sq.Km. As per nomenclature contained in water atlas of india, edition 1993, the free draining catchment under the study area lies in water resources Region- (Chambal) Basin Catchment 2D4

The basin characteristics watershed are illustrated in table 1.1 the satellite imagery of the free daring catchment is presented in figure 1.1 the intercepted catchment area is 12.68 Sq.km. net Catchment area of project is 12.81 sq.km also illustrated in table 1.1

The basin characteristics of different sub-watersheds are illustrated in table 1.1 and the mosacic map of watershed location is shown in figure 1.2.

Table – 1.1 Ganga Bawari Tank Project area details

S. No.	Particulars	Value
1	Gross Catchment Area	12.81 Sq.Km
2	Designed flood (Estimated SPF)	161.84 Cumecs
3	Net 75% dependable Yield	2.44 MCM
4	Full reservoir (FRL)	108.60 M
5	Tank Bund Level (TBL)	111.80 M

Table – 1.2 Basin Characteristics of Different sub- watershads

S. No.	Watersheds	Total catchment area (SqKm)
1	2D4	12.81
	Total	12.81

Catchment Area of Ganga Bawari Tank Scheme

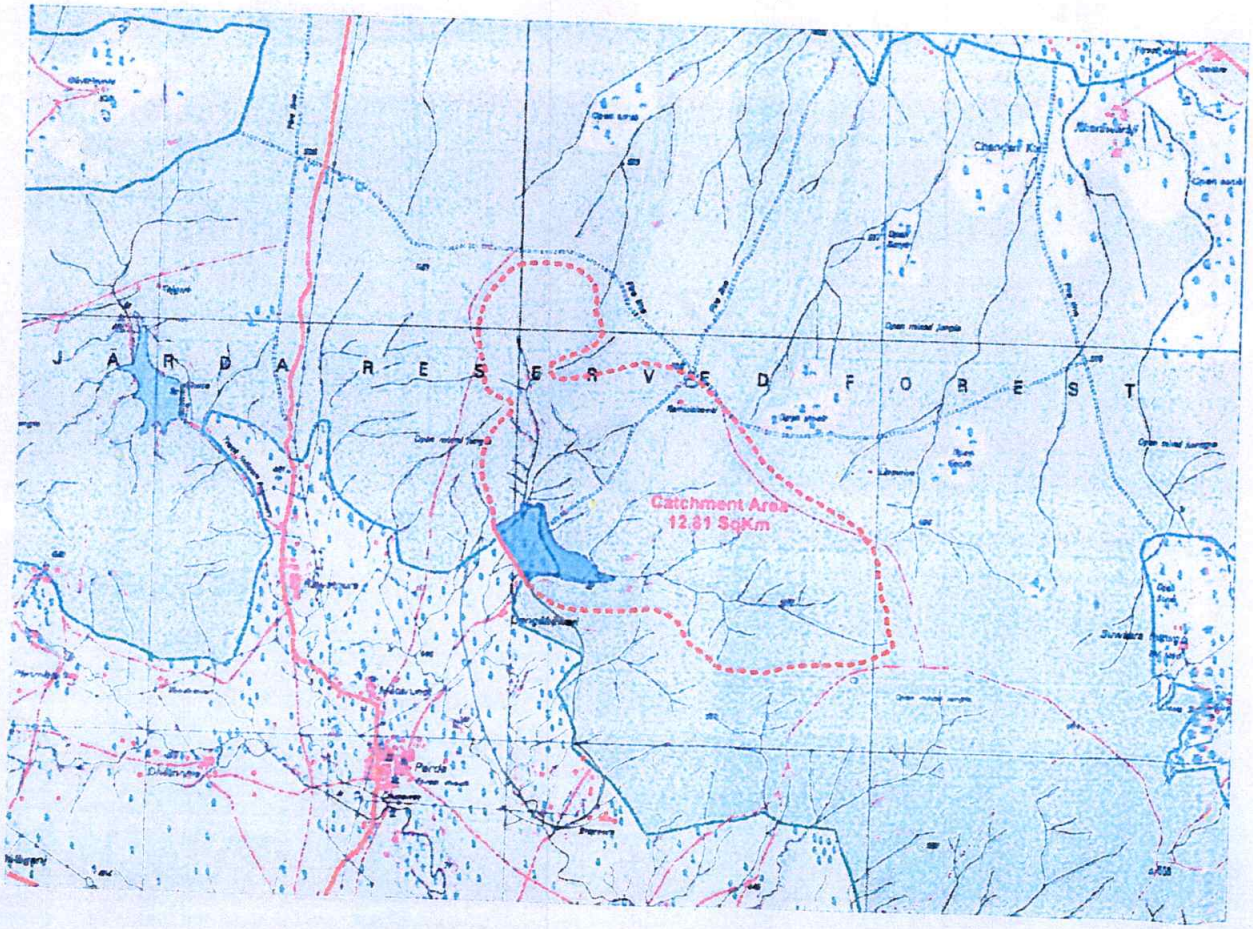

Figure 1.1 : FCC Map of Catchment Area

Catchment Area of Ganga Bawari Tank Scheme

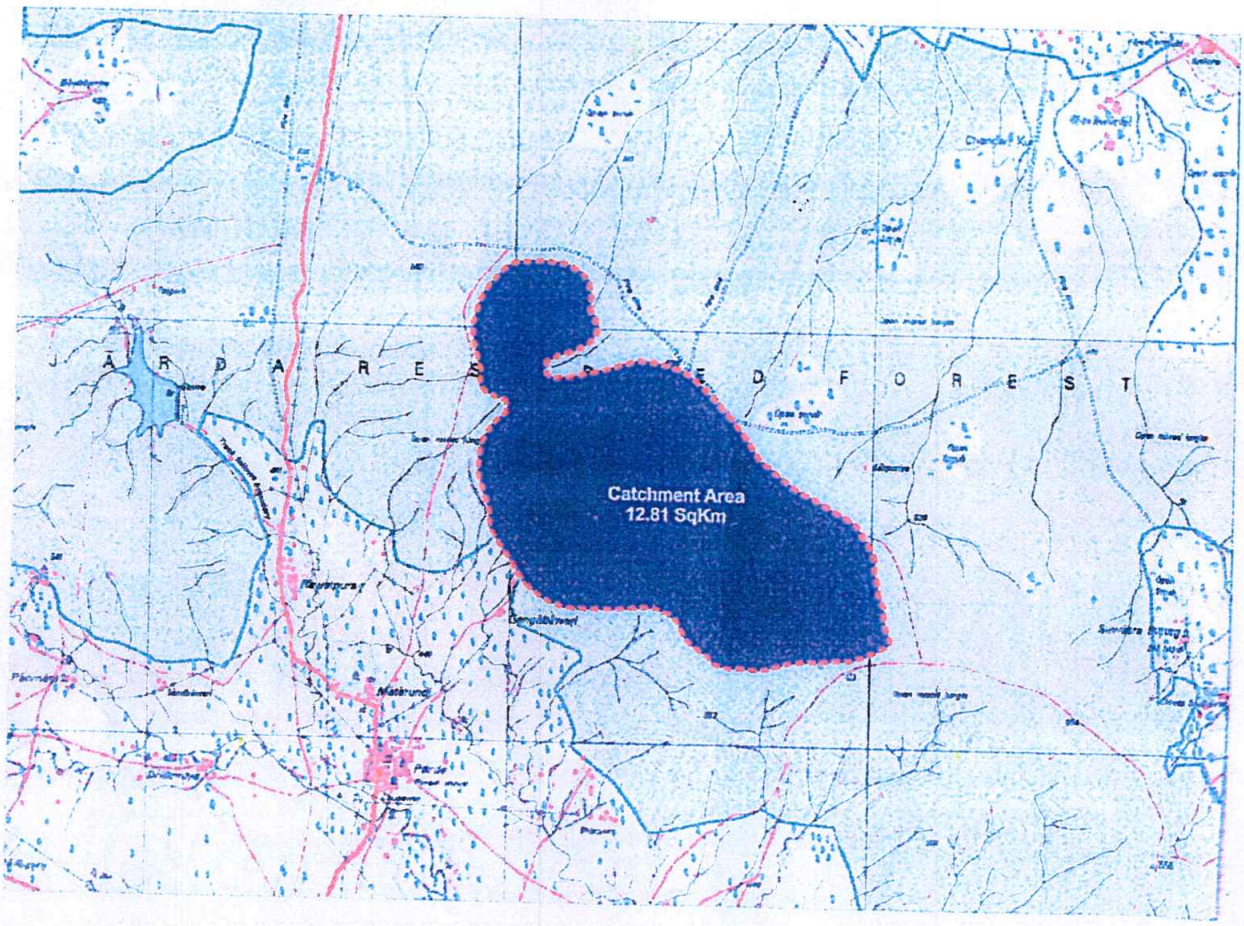

Figure 1.2 : Mosaic Map showing Location of Sub-watershed

1.5 Topography

The project catchment area is non hilly and nearby 51.13 % of catchment is covered by open/degraded/forest of deciduous dry type with scrubs/bushes/grasses.

Total catchment area of project is 12.81 Sq.km and there are 1 proposed minor scheme Ganaga Bawari tank on this project . the drainage map of the catchment is shown is figure 1.3.

Ganga Bawari Tank Irrigation Project

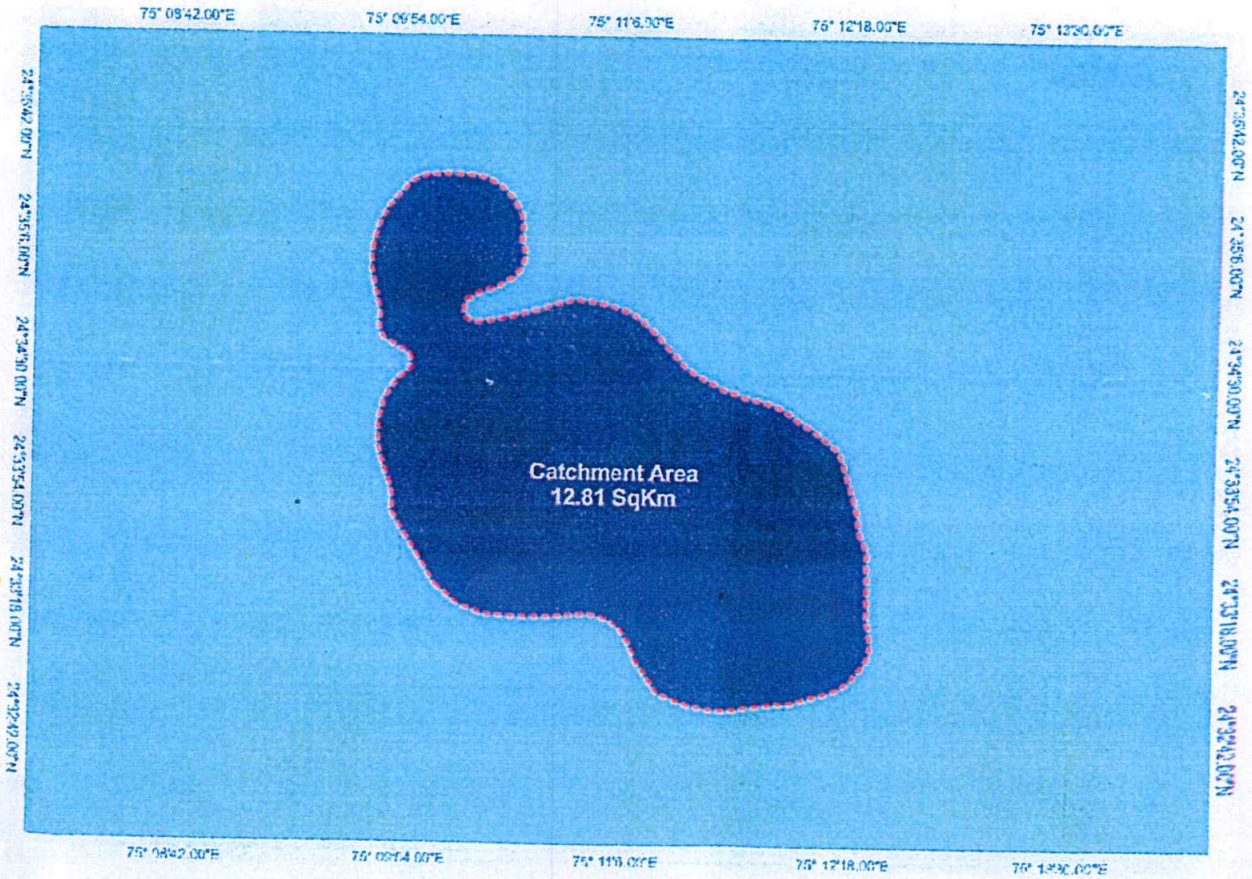

Figure 1.3 : Drainage map of the catchment

S

1.6 Soil

Soil erosion and Forest Area Coverage.

Mainly this area has medium black soils which cover the largest area in the state, The black soils are medium in depth. Shallow soils are also common. It is abserved that soils of central malwa plateau are slightly coarse in texture than in other parts. The soils are usually dark brown in color, light reddish soils are also common. The malwa plateau is a vast undulating plain with a few hilly range. The light reddish, soils and shollow soils are found around these hill ranges.

Soil erosion in the malwa plateau region is not problem, as the catchment area is in hilly range which consist tropical thorry forest growing babool, ber and pala's which results has no loss of soil fertility and no such increased sediment load in the rivers. During ground survey the soil is pronominally loam clay and deep brown in colour i.e. hard soil and moorum.

Therefore, it is not required to e proper maintenance of soil functions and its health. So this project not proposing additional measures for management interventions in the relevant watershed. The slope and the satellite maps are attached for the reference of slope and soil erosion.

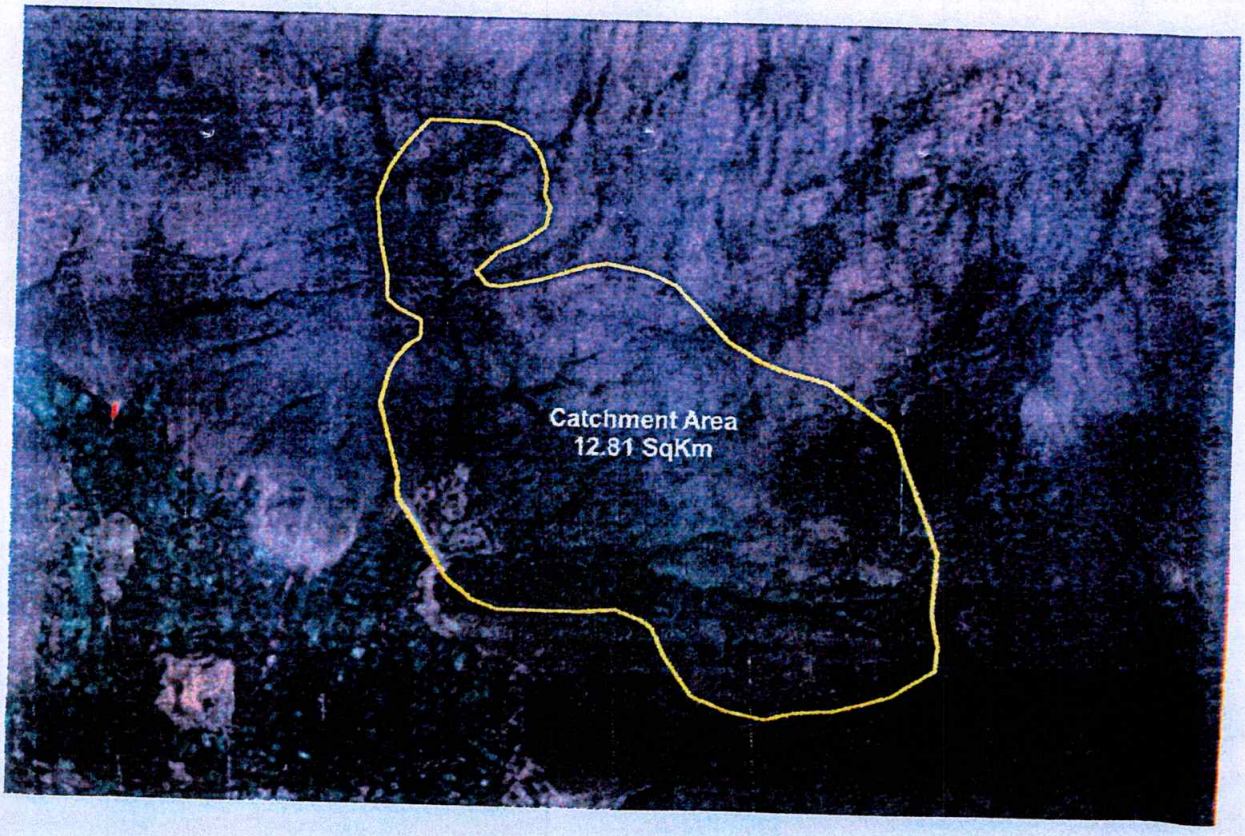

Figure – Catchment Area Forest Cover Map

1.7 Land use

Land use-land cover classification

Based on satellite data a d topo sheets, a land-use map has been prepared and verified in detail during ground surveys i.e. crosschecked with ground truths. The land use/land-cover map of the catchment area is presented in figure 1.5 and its details are presented in table 1.3.

Land use Categories and erosion

The erosion acts differently in different land-use types. It is important to understand the nature of erosion in a land-use class to further plan for treatment.

Agricultural Land

Around 0.21 Sq.km area of the catchment constituting 1.63 % of the total catchment comes under this category. Plain to well-planned and developed terraces were seen at some places. In general, at places the sheet and rill type of soil erosion predominates with few gullies in early stage of its development. Very few or no measures are taken to conserve soil and tendency exists to interrupt the natural drainage due to faulty agricult ral practices. Runoff often exceeds the safe velocity on long slope lengths. It is suggested to repair and better design the agricultural terraces, which follows the faulty agricultural practices.

Temporary and semi-permanent soil conservation structures like brushing dams, wiring woven and gabion check dams etc. shall be made for effective adaptive management.

Protected Forest Land

Under Protected forest category about 6.55 Sq.km constituting 51.13% of the total catchment, is present. Soils have relatively good water holding capacity, humus, nutrient content and moderate to slight erosion rates on steeper slopes. Therefore, rill erosion predominates which in due course leads to scrub land formation with gullies. Afforestation is suggested so as increase the crown density by 20 % in whole of the area to reduce erosion.

River/Water body

Around 0.05 Sq.km area constituting 0.39% of the catchment area is classified under water bodies. The category needs no treatment except that the unstable bank shall be provided stream bank stabilization through protection measures whenever required.

Scrub/Bushes/Grasses

Under Shrub category about 6.00 Sq.km area of catchment constituting 46.85% of the total catchment is present.

Table 1.3: Land use classification for free draining catchment at project site

S. No.	Land use/Land cover	Area %	Area (ha)
1	River/Water Bodies	0.39%	5.00Hact.
2	Agricultural Areas	1.63%	21.00 Hact.
3	Protected Forest	51.13%	655.00 Hact.
4	Scrubs/Bushes/Grasses	46.85	600.00 Hact.
	Total	**100.00%**	**1281 Hact.**

Ganga Bawari SCHEME CATCHMENT AREA 12.81 Sq.K.M.

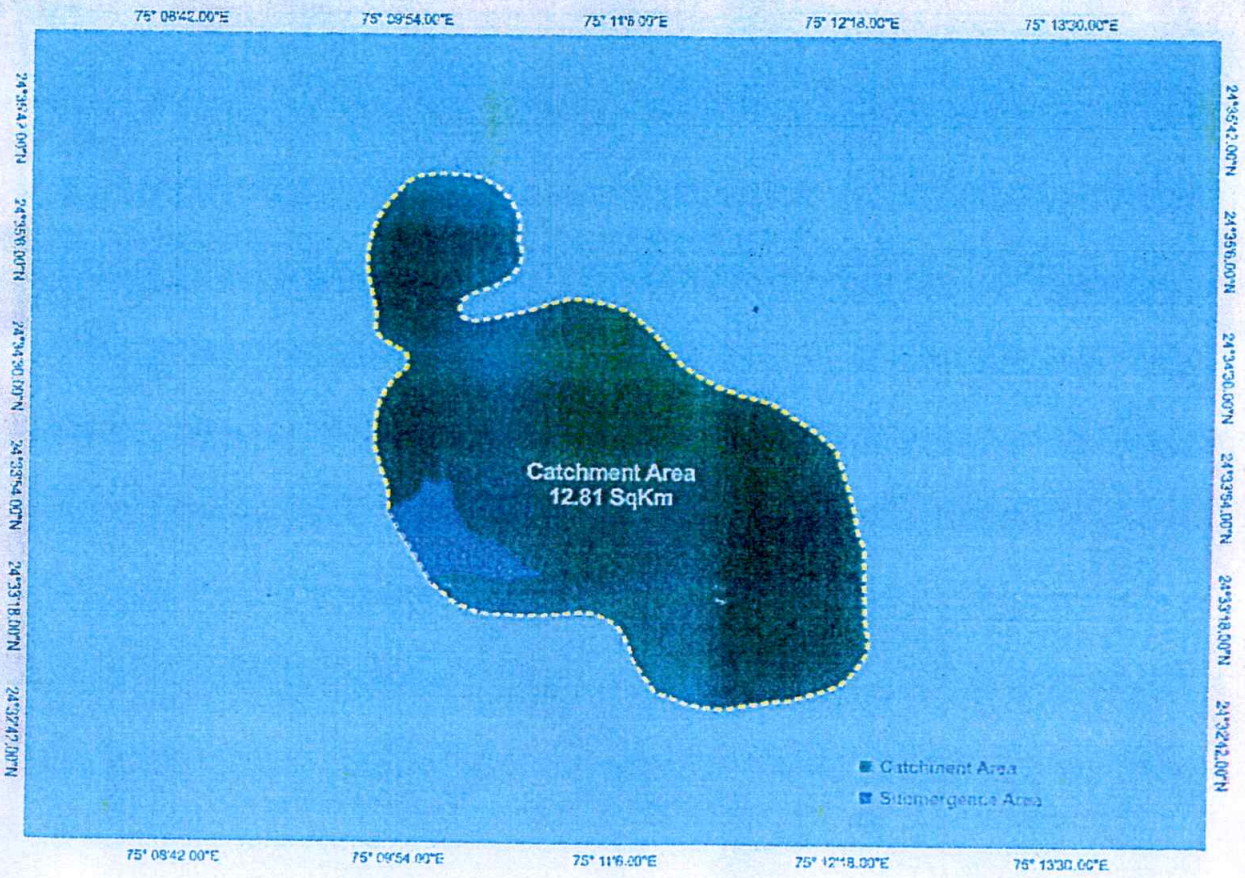

Figure 1.5 Land use Map of Catchment Area

Slope

The slope of a watershed plays a key role in controlling the soil and water retention thereby affecting the land-use capability. The percentage of the slope in a watershed determines the soil erosion susceptibility and basis for classifying different of the watershed into suitable classes for formulating effective soil erosion conservation measures. Broadly, the following slope classes and ranges (Table1.4) as per norms of all india soil & Land use survey were adopted to classify the slopes for the present study.

Table 1.4: Slope Ranges showing the intensity of catchment area

S.No.	Slope Range (Degrees)	Description
1	0-5	Very Gentle Slope
2	5-10	Gentle Slope
3	10-15	Moderate Slope
4	15-25	Moderately Steep Slope
5	25-35	Steep S ope

The Slope map of the free draining catchment is presented under Table 1.5

Table 1.5 : Area Falling under different slops categories

Slope Category (%)	Area (%)	Area (Sq.km)
0-10	56.67	7.26
10-20	28.74	3.68
20-30	14.59	1.87
Total	100	12.81

Figure 1.5 : Slope Map of Catchment

1.8 Methodology Used for the study

Superimposing topography, slope, soil and land use data/maps, a tentative estimation of erosion prone areas and landslides area in the catchment were made. The vulnerable and problematic areas were identified in different physiographic zones.

These-data sets were used for preparation of the thematic maps, calculation of sediment yield index and Erosion intensity Units.

Soil loss using silt yield index (SYI) Method

- The silt yield index model (SYI), Considering sedimentation as product of erosivity, erodibiity and aerial extent was conceptualized in the all india soil and land use survey (AISLUS) as early as 1969. And has been in operational use since then to meet the requirements of prioritization of smaller hydrologic units within river valley project catchment areas.
- Methodology for the ca culation of sediment yield index developed by all india soil b land use survey (Development of agriculture, Govt. of India) was followed in this study.

Erosion intensity and Delivery Ratio

- Determination of erosion intensity unit is primarily based upon the integrated information on soil characters, physiographic, slope, land-use/land-cover, litho logy and structure. This is achieved through super-imposition of different thematic map overlays, Based upon the field data collected during the field survey and published data, weightage val e and delivery ration were assigned to each erosion intensity unit. The composite map for delineating different erosion intensity units was prepared through superimposition of the maps showing soil types, slope and land-use/land cover this thematic mapping of erosion intensity for entire catchment was done using the overlay and union techniques Based on ground truth verification conducted during fields work and published data, weightage and delivery ratio was assigned to each erosion intensity units. The composite erosion intensity map was then superimposed on the drainage map with sub-watershed boundaries to evolve CEIU for individual sub-watershed.

- Each element of erosion intensity unit is assigned a weightage value. The cumulative weightage values of the erosion intensity units represent approximately the relative comparative erosion intensity within the watershed . A Basic factor of K=10 was used in determining thess cumulative weightage values. The value of 10 indicated an equilibrium condition between erosion and deposition. Any value of K(10+x) is suggestive of erosion intensity in an ascending order whereas the value of K (10-X) is suggestive of deposition intensity in descending order.

- The delivery ratios were calculated for each composite erosion intensity unit. The delivery ration suggests the percentage of eroded material that finally finds entry into the reservoir or river/stream total area of different erosion intensity classes (composite-erosion intensity unit) in each watershed was then calculated.

- The delivery ratio is gen rally governed by the type of material, soil erosion, relief length ratio, cover conditions, distance from the nearest stream, etc. however, in the present study the delivery ration to the erosion intensity units were assigned upon their distance from the nearest stream (being the most crucial factor responsible for delivery of the sediments) per the following scheme. The delivery ratio criteria adopted for the study is presented in table 1.6.

Table 1.6 : Delivery ratio (DR) Criteria

Nearest Stream	Delivery Ratio (DR)
0-0.9 Km	1.00
1.0-2.0 Km	0.90
2.1-5.0 Km	0.80
5.1-15, Km	0.70
15.1-30 0 Km	0.50

(ii) Sediment Yield index & rioritization of sub-watershed

- The erosivity determinates are the climatic factors and soil and land attributes that have direct or reciprocal bearing on the units of the detached soil material. The relationship can be expressed as:

Soil erosivity = f(Climate, physiography, slope, soil parameters land use/land cover, soil management)

- The Slit Yield index (SYI) is defined as the yield per unit area and SYI value for hydrologic unit is obtained by taking the weightage arithmetic mean of the products of the weightage value and delivery ratio over the entire area of the hydrologic unit by using suitable empirical equation.

- Prioritization of smaller ydrological units within the vast catchments is based on the SYI of the smaller units. The boundary values of range of SYI Values for different priority categories are arrived at by studying the frequency distribution of SYI values and locating the suitable breaking point. The watershed/sub-watershed are subsequently rated into various categories corresponding to their respective SYI values.

- The application of SYI model for prioritization of sub-watershed in the catchment areas invalves the evaluation of :
  * Climatic factors comprising total precipitation, its frequency and intensity
  * Geomorphic factor comprising land forms, physiography, slope and drainage characteristics
  * Surface cover factors governing the flow hydraulics
  * Management Factors.

- The data on climatic factors can be obtained for various locations in the catchment area from the meteorological stations whereas the field investigations are required for estimating the other attributes.
- The various steps involved in the application of model are :
- Preparation of a framework of sub-watershed through systematic delineation
- Rapid reconnaissance surveys on 1:50,000 Scale leading to the generation of a map indicating erosion-intensity mapping units.
- Assignment of weight age values to various mapping units based on relative silt-yield potential.
- Computing silt yield index for individual watershed/ sub watershed.
- Grading of watershed/sub-watershed into very high, high medium. Low and very low priority categories.
- The area of each of the mapping units is computed and silt yield indices of individual sub-watershed are calculated using the following equations :

Silt Yield index

SYI = (AI X WI X DI) X 100/Aw ; where I – 1 to n

Where

AI	=	Area of Ith (EIMU)
WI	=	Weight age value of Ith mapping unit
DI	=	Delivery ratio
n	=	No. of mapping units
Aw	=	Total area of sub-watershed

The SYI values for classification of various categories of erosion intensity rates were taken for the present study as :

	Priority Category	SYI Values
1	Very High	> 1300
2	High	1200-1299
3	Medium	1100-1199
4	Low	1000-1099
5	Very Low	<1000

Accordingly, the sediment yield index has been calculated for sub-watershed. The computation of SYI for each SWS is presented in Table 1.7.

Table 1.7 : SYI and Priority Rating as per Erosion intensity

Watershed	Erosion intensity	A ea (Ha)	Weightage	Area X Weightage	Delivery Ratio	Sediment Yeild	Sdeiment Yeild index	Priorit
2D4	V. severe	55	18	990	0.9	8 1		
2D4	Severe	128	16	2048	0.9	1843.2		
2D4	Moderate	259	14	3626	0.9	3263.4	1260.	Matti
2D4	Slight	310	12	3728	0.9	3355.2		
2D4	Negligible	529	10	5290	0.8	4232		
	Total	**1281**				13584.8		

1.9 Catchment Area Treatment Plan

There are mainly four categories of land used for which a proper treatment plan should be developed. First is the agricultural land, as this activity can never be eliminated, because the faulty practice results in heavy loss of fertile soil. Second, being open forestland for abvious conservation reasons. Third is scrub or degraded land, which contributes heavily to the silt load and possibilities exist to bring this area under pastures and other plantation to meet the local demand of fuel and fodder and thus decreasing the biotic pressure on the forests and leading to environment friendly approach of sustainable development. The fourth and most important category is barren land because with practically no vegetal cover. The area produces huge amount of silt load. Where in a few places soil conservation measures are required. For treatment of catchment area. The areas that require treatment have been delineated from the composite erosion intensity unit map. The sum of weightage was reclassified as per the table 1.8 below to further subdivide the area as per the erosion intensity classes. The weightages for land use, slope & soil were summed to get the Erosion intensity Classes.

Table 1.8 : Erosion intensity & Weightages

Erosion intensity Class	Sum of weightages
Very severe (E5)	12 to 14
Severe (E4)	9 to 11
Moderate (E3)	6 to 8
Slight (E2)	4 to 5
Negligible (E1)	0 to 3

After exclusion of rocks and inaccessible terrain, only those areas which fail under very severe and severe erosion intensity category would be taken up for conservation treatment measures in very high priority category micro-watershed, whereas in the rest of micro-watershed belonging to other priority categories, the area falling under very severe erosion intensity class shall be taken to treatment with biological and engineering measures under the CAT Plan.

Considering the topographic factors, soil type, climate, land-use/land-cover in the catchment area following engineering and biological measures have been proposed to be undertaken with the aim to check the soil erosion, prevent/check siltation of reservoir and to maintain its storage capacity in the long run. The Aulliya watershed area Treatment map is presented in figure 1.7 and the statistics are presented in Table 1.9.

Table – 1 9 : Area of Low sediment index watershed wise

S. No.	Watershed	Very severe	Severe	Moderate	Slight	Negligible	Water bodies	Total
1	2D4	0.55	1.28	2.59	3.10	5.29	-	12.81

1.10 Treatment of individual sub-watershed

There are mainly five categories of land uses for which a proper treatment plan should be developed first is the agricultural land as this activity can never be elimi ated and, agriculture activities, if faulty, result in heavy loss of fertile soil. Second, Is open forest land for conservation reasons third is scrub or degraded land which contributes heavily to silt load. Possibilities exist to bring this area under pastures and plantation to meet local demand of fuel and fodder and thus decreasing the biotic pressure on the forests leading to environment friendly approach of sustainable development. The fourth and most important category is barren land because with practically no vegetal cover the area produces huge amount of silt load. T e fifth is dense forest land where a few places soil conservation measures are required.

In the present case An area of 1281 ha falling under forest case would be taken up for conservation under the CAT plan within free draining catchment.

Considering the topographic factors, soil type. Climate, land –use/land-cover in the catchment area following measures have been proposed to be undertaken with aim to check soil erosion, prevent/check siltation of reservoir and to maintain its storage capacity in the long run.

1.10.1 Activities to be Undertaken Enrichment Plantation

There are a few locations within forest in the catchment area where the crown density is poor and plantation can be done to increase the patch density of crop.

Treatment of pasture

The restoration and management of degraded pasture is a vital objective, both to provide sufficient habitat for spatial movement of the spillover species outside and within catchment area and to provide biological resources to the local populace. The pastures have their own unique significance in the geophysical, environmental and socio-economi set-up of the region. They are the prime and continual source of herbage for the wild herbivores which are prey base for carnivores, cattle, sheep and goats. These pastures are extensively grazed by the live stocks of the local people. The large scale and indiscriminate grazing of these pasture over a prolong time has left these pastures ominously degraded. The palatable grasses are no more than a few inches tall and the other related pasture species have also started showing signs of stress. Because of continuous and heavy pressure of grazing. Barren patches have developed over vast areas and soil erosion is rampant in these pastures. There is an imperative need to address this abysmal and alarming ituation immediately before these pastures are brought to such a condition, where, their rejuvenation becomes impossible. Owning to traditional rights of the grazers, it is difficult to restrict the number of animals grazing there. Thus, the only alternative left is to increase the p oductivity of these pastures to cope with the grazing pressures. The situation warrants for a realistic survey and allied research in context of entire grazing issues and formulation of an action plan for corrective measures within the gambit of the state policy on the subject matter. Till such time the following recommendations are made for the management of pastures.

- Assessment of the carrying capacity of the pastures through surveys to ascertain allowable size of live stocks.
- Periodical field checking of the size of the herds mentioned in the permits to avoid misuse by some permit holders.
- Public awareness.
- Periodical closure of areas in pastures for the proliferation of seeds of desirable grass species.
- Implementation of rotational deferred grazing system to derive the advantage of early nutritive growth and rest period during the growing season.
- Interaction with the local people and so that a sort of social could be achieved.

Nursery support

In order the meet the huge requirement of saplings required under biological/bioengineering measures and reservoir rim treatment new nursery has to be developed along with support to the existing nurseries which shall also augment the supply of saplings for the works proposed.

Table – 1.14 : Basis for selection of catchment area treatment measures

Treatment measure	Basis for selection
Social forestry, fuel wood and fodder grass development	Near settlements to control tree felling
Contour Bunding	Control of soil erosion from agricultural fields.
Pasture Development	Open Canopy, barren land, degraded surface
Afforestation	Open canopy, degraded surface, high soil erosion, gentle to moderate slope
Barbed wire fencing	In the vicinity of afforestation work to protect it from grazing etc.
Step drain	To check soil erosion in small streams, steps with concrete base are prepare in sloppy area where silt erosion in the stream and bank erosion is high due to turbidity of current.
Nursery	Centrally located points for better supervision of proposed afforestation, minimize cost of transportation of seeding and ensure better survival.

Civil Structures

- **Brush wood check dams and Retaining walls**

Brushes wood check dams are useful in arresting further erosion of depressions, channels, and gullies on the denuded landslides. In addition, retaining walls of stone masonry and RCC would be constructed to provide support at the base of threatened slopes.

- **Slope modification by stepping or Terracing**

The slope stability increases considerably by grading it. The construction of steps or terraces to reduce the slope gradient is one of the measures.

- **Bench Terracing**

The area under moderately steep slope i.e. between 10^0-15^0 slopes would be subjected to bench terracing. The local people would be convinced to follow this type of terracing for comparatively better yield and with minimum threat to erosion, moreover, in several habitations in the catchment such practices are already v sible. While making bench terraces, care must be taken not to disturb the topsoil

By spreading earth from the lower terraces to higher terraces. The verti al intervals between terraces will not be more than 1.5 m and cutting depth may be kept at 50 cm. the minimum average width of the terrace would e kept from 4 to 5 m to enable usage of prolong hinge. The shoulder bunds of 30 x 15 cm would also be provided staggered channels will drain off the excess water from the terraces.

- **Gully Control- Check Dams**

Gullies are mainly formed because physiographic, soil type, and heavy biotic interference in an area. The scouring of stream at their peak flows and sediment laden run-off cause gullies. The gullies would be required to be treated with engineering/mechanical as well as vegetative methods. Check dams would be constructed in some of the areas to promote growth of vegetation that will consequently lead to the stabilization of slopes/ area and prevention of further deepening of gullies and erosion. Diverse types of check dams would be required for different co ditions comprising of different materials depending upon the site conditions and the easy availability of material (stones) at local level and transport accessibility, Generally, brush wood check dams are recommended to control the erosion in the first order basin/streams in upper reaches and dry random stone masonry check dam shall be provided in the lower reaches where discharge is higher in such stream where discharge and velocity of flow are still higher gabion structure shall be provided Lower down the sub-watershed, i.e. in the t ird order drainage silt retention dams in the form of gabion structure shall be provided.

- **Stream bank Protection**

Stream bank erosion is caused by variety of reasons such as destruction of vegetative cover, mass movement on unstable bank slopes, undermining of top portion of lower bank by turbulent flow and sliding of slopes when saturated with water. The stream bank protection would include wire crate boulder spurs in two to three tiers depending upon the high flood level of the stream.

- **Contour Staggered Trenches**

Contour Staggered trenches are mainly provided to trap the silt and runoff. This is also done to prepare a fertile base for plantation, in moderately steep to very, very steep slopes.

- **Landslide Control**

Rainfall pattern of the area and water seepage coupled with geological formation results in landslides. Water plays an important role in triggering of landslides and mass wasting processes along with other factors such as slope and nature of soil/land-cover/land-use, however, most of the landslides are caused by human negligence. Road construction, overgrazing of hill slopes, felling of trees for timber, fuel, and fodder and upslope extension of cultivation are some of main causes of landslides. Gabion structures shall be provided at the base of the land slide zones to control the toe erosion by water.

- **Provision for Forest Protection**

The need for rigorous watch and ward of the forest covered under the catchment area becomes more imperative in view of proposed new plantation under the CAT plan and due to increased human activity in the form of labour, who shall be engaged for forestry works. Thus, fire protection measures including construction and maintenance of fire lines, construction of check posts, watch towers have to be undertaken, Besides these construction/ repair of forest boundary pillars shall also be carried out. The forest staff shall have to be properly equipped with modern utility gadgets like walky-talky, GPS and fire-fighting equipment's.

(Ankit Saxena) **Sub Engineer** **Water Resources Sub Division** **Rampura**	**(Himanshu Bhabor)** **Sub Divisional Officer** **Water Resources Sub Division** **Rampura**	**(Vimal Shrivastav)** **Executive Engineer** **Water Resources Division** **Neemuch**

DFO
Neemuch (M.P)

1.11 Cost estimation for treatment in Forest area coming under-Catchment Area

Total Catchment Area = 1281 Ha

Total affected Forest Area = 43.149

Name of Forest Division :- Neemuch, Distt. – Neemuch

(Estimate is prepared on basis of approved estimate of Ganga Bawari Tank Project CAT Plan

For 1st year Daily Wages Rate Rs.:- 466/- (Year 2025-26)

S.No.	Description of work	Unit	Qty.	Rate in Mandays per unit	Total Amount (Rs.)
1	Survey of Area with cleaning in 3 m wide strip & marking over tree lie within 3 m strip and fixing of pegs on 200-200 meter-interval with making of frame (Khancha) & writing over them.	Hact.	1281	0.45	268626
2	Construction of Check dam by Collection of loose Boulders spread over surface of forest area	Cum	5000	1	2330000
3	Excavation work of pond	Cum.	5000	0.6	1398000
4	Marking of Contour Trench and excavation in Forest Area	RM	2000	0.1115	103918
5	Work Execution supervision & other expenses	L.S.	L.S.	L.S.	133956
				Total Amount	**4234500**

For 2nd year Daily Wages Rate Rs.:- 512/- (Year 2026-27)

S.No.	Description of work	Unit	Qty.	Rate in Mandays per unit	Total Amount (Rs.)
1	Seed collection/ purchase work	Per kg	1922	200	384300
2	Seed sowing work on pond	RM	15000	0.0025	19200
3	Seed sowing work in bushes	Ha	480	4	983040
4	Seed sowing work on contour trenches in forest area	RM	2000	0.0025	2560
5	Other expenses	L.S	L.S	L.S	59400
				Total Amount	**1448500**

Total Cost of treatment ofCatchment Area (Year1+Year 2) 5683000

Sub Engineer

(Himanshu Bhabor)
Sub Divisional Officer
Water Resources Sub Division
Rampura

(Vimal Shrivastav)
Executive Engineer
Water Resources Division
Neemuch

DFO
Neemuch (M.P)

Annexure-09

कार्यालय कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग, नीमच जिला नीमच (म.प्र.) (कार्या.कोड–0237)

फोन नं. 07423–232411, ईमेल eewrd_neemuch@yahoo.co.in

–: संक्षिप्त टीप :–

गंगाबावडी जलाशय योजना के बांध कार्य स्थल चयन की सार्थकता (Justification) के संबंध में संक्षिप्त टीप

गंगाबावडी जलाशय योजना तहसील मनासा जिला नीमच हेतु जिस बांध स्थल का चयन किया गया है वह एक मात्र उचित विकल्प है। इस बांध स्थल के Longtidue 75°-10'-00' तथा Lattitude 24°-33-30" है। इस बांध स्थल के नीचे कार्य स्थल का विकल्प नहीं है, क्योंकि इसके नीचे Down Stream में गंगाबावडी ग्राम की आबादी है तथा चयनित बांध स्थल के ऊपर Up Stream में भी बांध स्थल के विकल्प पर विचार किया गया, किन्तु बांध स्थल Up Stream में ले जाने पर बांध में पानी की क्षमता कम हो जाती है एवं वन क्षेत्र भी बढ जाता है।

अतः चयनित बांध स्थल के अलावा विकल्प नहीं होने से तथा इसमें प्रभावित वन भूमि 43.149 हेक्टर (जिसमें डूब क्षेत्र 39.8 हे., स्पिल 3.19 हे. एवं नहर 0.159 हे.) तथा गैर वन भूमि (निजी भूमि) 11.00 हेक्टर कुल रकबा 54.149 हेक्टर है, जो कि न्यूनतम है, इसकी गणना की जा चुकी हैं।

(हिमांशु माहोर)
अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग रामपुरा

(विमल श्रीवास्तव)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग नीमच

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल नीमच

Scanned with CamScanner

परि – 9

गंगाबावड़ी लघु सिंचाई परियोजना

प्रमाणित किया जाता है कि न्यूनतम वनक्षेत्र प्रभावित होने के संबंध में तुलनात्मक दृष्टि से न्यूनतम 3 ऐसे विकल्प परीक्षणों का उपयुक्त स्केल के नक्शें पर दर्शाते हुए उनकी परीक्षणात्मक टीप निम्नानुसार है :–

विकल्प क्र.	डूब क्षेत्र (वन) (हे.)	परियोजना की लागत (रू. लाख में)	जलग्रहण क्षमता (मि.घ.मी.)	सिंचित क्षेत्र (हे.)	परीक्षणात्मक टीप
1	43.99	1622.15	2.315	408	यह कार्यस्थल प्रस्तावित चयनित स्थल से 200 मी. नीचे की ओर परीक्षण कर प्रस्तावित किया गया, परंतु इस कार्य स्थल पर प्रभावित वन भूमि का रकवा 43.99 हेक्टर आता है। जो कि तुलनात्मक दृष्टि से वर्तमान स्थल से 0.841 हेक्टयर अधिक है एवं सिंचाई क्षमता 25 हेक्टर कम है, जो कि तकनीकि दृष्टि से भी उपयुक्त नहीं है।
2	43.149	1501.25	2.444	430	विकल्प नं. 2 में प्रस्तावित कार्यस्थल पर प्रभावित वन भूमि का रकवा 43.149 हेक्टर आता है एवं सिंचाई क्षगता 430 है। प्रभावित वन भूमि की मांग लागत लाभ के अनुरूप होने एवं न्यूनतम वन भूमि प्रभावित होने से उपयुक्त है।
3	43.37	1646.50	2.002	399	विकल्प नं. 3 का कार्यस्थल प्रस्तावित चयनित स्थल से 250 मी. उपर की ओर परीक्षण कर प्रस्तावित किया गया, परंतु इस कार्यस्थल पर प्रभावित वन भूमि का रकवा 43.37 हेक्टर आता है जो कि वन भूमि की मांग लागत लाभ के अनुरूप न होने एवं अधिक वन भूमि प्रभावित होने से अनुपयुक्त है।

विकल्प क्र. 2 दर्शित आवेदित 43.149 हेक्टर वन भूमि की मांग अन्य दोनों विकल्पों तुलना में लागत लाभ के अनुरूप होने एवं न्यूनतम वन भूमि प्रभावित होने एवं तकनीकि दृष्टि से भी उपयुक्त है। तीनों विकल्पों को दर्शाने वाला मानचित्र संलग्न है।

(हिमांशु भावोरे)
अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग रामपुरा

(विमल श्रीवास्तव)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग, नीमच

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल नीमच

Scanned with CamScanner

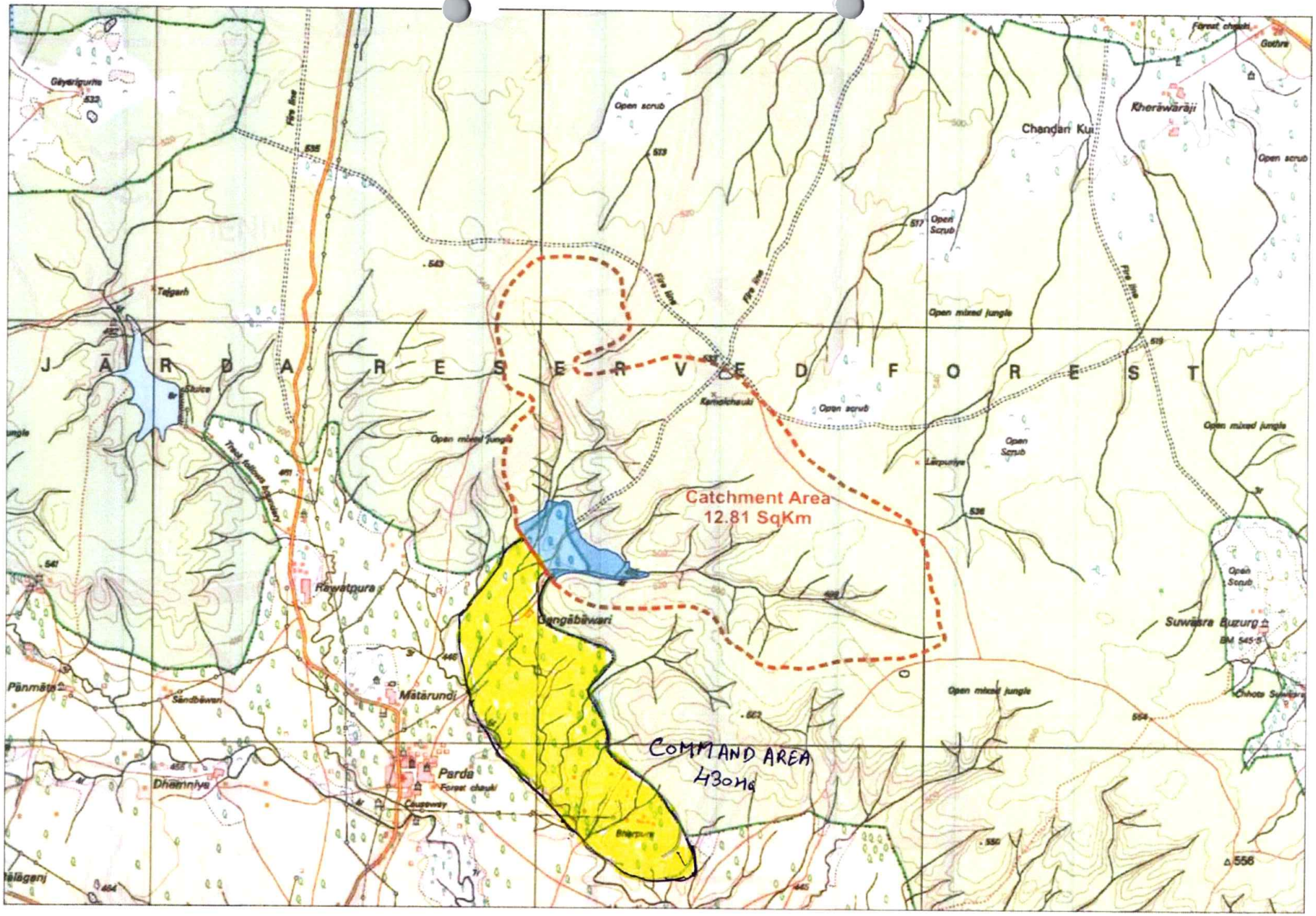

LINE DIAG.

Annexure-19

परि-11

परि-12
Annexure - 12

GANGA BAWARI TANK PROJECT

Muck Mangement

Statement of muck generated in Dam excavation in forest area of Ganga Bawari

(A) Dam Work :-

S. No.	Description	Qty. of Cutting	Qty of filling	Remark
1	2	3	4	5
1	C.O.T.	54757.12	54757.12	-
2	Earth work of Dam	171571.00	171571.00	-
	Total	226328.12	226328.12	-

Total Quantity of muck generated in Dam : 226328.12 Cum

Total Quantity of muck utilized : 226328.12 Cum

Hence no muck is generated in Dam : Nil

Based on above calcuation quantity of cutting equal to total filling quantity Dam work hence it is certified that no muck generate in Dam excavation work cutting quatity will be utilized in filling portion of Dam.

(R. G. Patidar)
Sub Engineer

(Hanumanji Jadhor)
Sub Divisional Officer
Water Resources Sub Division,
Rampura

(Vimal Shrivastav)
Executive Engineer
Water Resources Division,
Neemuch

D.F.O. (T)
Neemuch

परि – 13
Annexure – 13

न्यायालय भू–अर्जन अधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) उपखण्ड–मनासा, जिला–नीमच, म0प्र0

क्र. 669 /भू–अर्जन/2018 मनासा, दिनांक 20/02/2018

–: सार्वजनिक सूचना :–

समस्त प्रभावित कृषकों को सूचित किया जाता है कि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग–नीमच द्वारा पत्र क्र. 807 भू–अर्जन (गंगाबावड़ी)/2017 नीमच दिनांक 20.03.2017 से तहसील मनासा जिला नीमच अंतर्गत गंगाबावड़ी जलाशय योजना के बांध व नहर निर्माण एवं डूब क्षेत्र से प्रभावित होने वाली ग्राम पड़दा एवं भैरपुरा के [illegible] सर्वे नम्बरों की कुल 21.111 हेक्टर निजी भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का मध्यप्रदेश शासन, वित्त मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12–2/2014/सात/2 ए भोपाल दिनांक 12 [illegible] के आलोक में "कलेक्टर सहमति से भूमि क्रय नीति" के अंतर्गत अधिग्रहण किये जाने के संबंध में प्रस्ताव [illegible] को प्रस्तुत किया गया, जिसके संबंध में न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 01/अ–82/2016–17 [illegible] है।

[illegible] सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका–9 अनुसार प्रभावित भू–धारकों को जारी [illegible] द्वारा प्ररूप–ख में स्वीकृति पत्र इस न्यायालय को प्रस्तुत किये जा चुके हैं, जिसके [illegible] जल संसाधन विभाग नीमच के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है।

कंडिका–11 के संदर्भ में संलग्न अनुसूचि अनुसार समस्त प्रभावित भू–धारकों को सूचित किया जाता है कि उक्त अनुसूचि वाली भूमि के स्वत्व के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के [illegible] 15 दिवस की समयसीमा में इस न्यायालय में आधार सहित अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। नियत [illegible] के पश्चात् स्वत्व के संबंध में प्राप्त किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

:– अनुसूचि :–

ग्राम पड़दा

नाम भूमि स्वामी	सर्वे नम्बर	अर्जित किया जाने वाला रकबा		परिसम्पत्तियों का विवरण		
		सिंचित (हेक्टर)	असिंचित (हेक्टर)	कुंआ (पक्का/कच्चा)	वृक्षों का विवरण संख्या सहित	अन्य निर्माण
बांध निर्माण						
[illegible] पिता देवा [illegible] निवासी ग्राम भूमि स्वामी	90/3	0.020	–	–	आम–5, कटहल–1, रेंजा–2 कुल–8	
[illegible] बाई बेवा इकबाल हुसैन, हुसैन, [illegible] मुस्तफा पिता इकबाल हुसैन [illegible] बोहरा निवासी ग्राम भूमि	91/1	0.850	–	–	सहतुत–1, महुआ–5, मोहिनी–2, नीम–1, बेर–1, तेन्दू–1, गोंदा–1, कुल–12	–

[illegible] अनुविभागीय अधिकारी [illegible]

परि - 13

(100)
(99)

नाम भूमि स्वामी	सर्वे नम्बर	अर्जित किया जाने वाला रकबा		परिसम्पत्तियों का विवरण		
		सिंचित (हेक्टर)	असिंचित (हेक्टर)	कुंआ (पक्का / कच्चा)	वृक्षों का विवरण संख्या सहित	अन्य निर्माण
सलमाबाई बैवा इकबाल हुसैन, हुसैन, मुकाज, मुरतफा पिता इकबाल हुसैन जाति मोहरा निवासी ग्राम भूमि स्वामी	91/2	-	0.091	1–कच्चा	–	-
[illegible] पिता हीरालाल जाति [illegible] निवासीग्राम भूमि स्वामी	91/3	1.100	0.023	–	मोहिनी–2, बेल–1, तेन्दु–1, महुआ–3, नीम–1, बबूल–1 कुल–9	-
[illegible]बाई पति अमरचन्द जाति [illegible] निवासीग्राम भूमि स्वामी	91/4	0.550	-	–	महुआ–5, तेन्दु–1 कुल–6	-
[illegible] देवीराम, [illegible], जगदीश, [illegible]बाई, [illegible]बाई, पिता [illegible] जाति [illegible] निवासी ग्राम [illegible] स्वामी	92	1.250	-	–	खेरन्डा–5, जिंजर–1, बोर–1, नीम–1, सादड़–5, बहेडा–4, बबूल–2, कडाव–1, तेन्दु–4, महुआ–5 कुल–29	-
[illegible]बाई पति भेरुलाल जाति चमार निवासीग्राम भूमि स्वामी	93	0.769	-	–	महुआ–5 कुल–5	-
मोहनीबाई बैवा नारायण, मुकेश, नाताचन्द, अर्जुन पिता नारायण ना.वा. [illegible] माता मोहनीबाई, संतोषबाई [illegible] प्रभु, कमलेश, अनिल, रवीना.ना.वा. [illegible] माता संतोषबाई बैवा प्रभुलाल जाति कीर, निवासी ग्राम [illegible]पुरा भूमि स्वामी	94/मिन–1	1.700	0.044	1–कच्चा	महुआ–5, बोर–3, नीम–1, बबूल–1, बेहडा–1, कदम–1 कुल–12	-
योगेश पिता गंगाराम जाति दुआ निवासी उपांगज मनासा भूमि स्वामी	94/मिन–2	0.400	-	–	–	-
[illegible] पिता [illegible] पंजाबी निवासी [illegible]	95 101/1	1.000 0.060	0.295	1–पक्का	महुआ–5, तेन्दु–2, बबूल–1, मोहिनी–2, बेहडा–1, बोर–1, आम–1 कुल–13	-
[illegible] हुसैन पिता नसीरू, जाति [illegible] निवासी ग्राम मातारुण्डी	96	0.800	0.009	1–कच्चा	तेन्दु–1, महुआ–3, आम–5, खेजडा–1 कुल–10	-

[illegible] अधिकारी (राजस्व)
[illegible], जिला [illegible]

परि-13

नाम भूमि स्वामी	सर्वे नम्बर	अर्जित किया जाने वाला रकबा		परिसम्पत्तियों का विवरण		
		सिंचित (हेक्टर)	असिंचित (हेक्टर)	कुंआ (पक्का / कच्चा)	वृक्षों का विवरण संख्या सहित	अन्य निर्माण
[illegible]बाई, रुक्मणीबाई, बैवा भागीरथ, [illegible] प्रकाश, तेजराम पिता भगीरथ जाति बारेठ निवासी ग्राम भूमि स्वामी	97	1.092	-	-	तेन्दु–4, पलाश–1, आम–2, सेगला–3, महुआ–2, बेर–2, खेजडा–1, बेहडा–1, सादड–1, आंवला–4 कुल–21	-
[illegible] पिता अमरा बारेठ निवासी [illegible]	98	1.200	0.095	1–कच्चा	आम–3, नींबू–1, नीम–4, खेजडा–3 कुल–11	ओटला–1
[illegible]बाई बैवा मोहनलाल, किशनलाल पिता मोहनलाल जाति कीर निवासी [illegible] भूमि स्वामी	99/1 99/2	1.012 1.000	- 0.011	1–कच्चा	महुआ–6, आम–2, नीम–1, खेजडा–1, जामफल–1 कुल–11	कमरा, टीनशेड–1
[illegible] पिता नन्दा, कारीबाई बैवा [illegible] पिता बापूलाल जाति [illegible] निवासीग्राम भूमि स्वामी	100	2.000	0.023	1–कच्चा	महुआ–10, तेन्दु–4, बेहडा–2, खैर–1, सादड–6, करदई–2, नीम–1, आम–7, कदम–1, चिरोल–1, आंवला–1 कुल–44	-
[illegible] पिता सेवा, सजनाबाई बैवा [illegible] शांतिलाल, मुकन्द, बसंतीबाई, शारदाबाई, संतोषबाई पिता सेवा जाति बारेठ निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1097	0.441	-	-	-	-
[illegible]सिंह पिता रघनाथसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मालाहेड़ा	1098	1.990	0.010	1–पक्का	महुआ–23, नीम–1, तेन्दु–2, आम–3 कुल–29	-
[illegible]बाई बैवा मोहनलाल, किशनलाल द0पु0 मोहनलाल कीर	1100	0.324	-	-	-	-
(ब) नहर निर्माण						
1 मंगीलाल पिता नाथु जाति गायरी, निवासी ग्राम भूमि स्वामी	123/1	0.087	-	-	-	-
2 शंकर, रमेश, केदार पिता नन्दा गायरी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	123/2	0.087	-	-	-	-
3 हरदारबाई बैवा घीसालाल, श्यामलाल पिता घीसालाल जाति कीर निवासीग्राम भूमिस्वामी	124/5	0.119	-	-	-	-

उप जिला कलेक्टर
उप संभागीय अधिकारी (राजस्व)
[illegible] जिला–सीकर, [illegible]

परि-13

नाम भूमि स्वामी	सर्वे नम्बर	अर्जित किया जाने वाला रकबा		परिसम्पत्तियों का विवरण		
		सिंचित (हेक्टर)	असिंचित (हेक्टर)	कुंआ (पक्का/कच्चा)	वृक्षों का विवरण संख्या सहित	अन्य निर्माण
दितलाल पिता रुपा जाति कीर, निवासीग्राम भूमि स्वामी	124/6	0.119	-	-	-	-
रतनलाल, मोंगीबाई पिता धन्ना, मोहनलाल, अमरलाल, नानीबाई पिता मदनलाल, सुन्दरलाल, विद्याबाई, कृष्णा, रतनबाई पिता रामेश्वर जाति गायरी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	125	0.287	-	-	-	-
भंवरलाल पिता राधाकिशन जाति दुआ निवासी रुनासा भूमि स्वामी	126/1	0.263	-	-	-	-
[illegible] पिता मेघा कुम्हार, [illegible] ग्राम भूमि स्वामी	126/3	0.262	-	-	-	-
[illegible]चन्द पिता सीताराम जाति [illegible] निवासीग्राम भूमि स्वामी	130	0.297	-	-	-	-
जगदीश पिता लखमीचन्द जाति [illegible] निवासीग्राम भूमि स्वामी	131	0.429	-	-	-	-
दितलाल पिता रामचन्द्र जाति [illegible] निवासीग्राम भूमि स्वामी	144/1	0.105	-	-	-	-
[illegible]बाई पिता हमेर जाति [illegible] निवासी ग्राम भूमि स्वामी	144/2	0.105	-	-	-	-
[illegible]जीबाई बैवा हजारी, केशुराम पिता [illegible]चन्द, मोहनलाल, भंवरलाल पिता [illegible], जाति भील निवासी ग्राम भूमि स्वामी	150/9	0.250	-	-	-	-
रतनलाल पिता घनश्याम ओझा निवासी ग्राम भूमि स्वामी	150/1/1	0.350	-	-	-	-
ग्राम - [illegible]रपुरा						
[illegible] पिता [illegible], हुलासीबाई पति [illegible] जाति भील निवासीग्राम भूमि [illegible]	10	0.036	-	-	-	-

[illegible] अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) [illegible] जिला-[illegible]

(101)

ग्राम भूमि स्वामी	सर्वे नम्बर	अर्जित किया जाने वाला रकबा		परिसम्पत्तियों का विवरण		
		सिंचित (हेक्टर)	असिंचित (हेक्टर)	कुंआ (पक्का/कच्चा)	वृक्षों का विवरण संख्या सहित	अन्य निर्माण
पिता मॉगीलाल बंजारा निवासी ग्राम भूमि स्वामी	13/1	0.060	-	-	-	-
निलकंठ, राधेश्याम, बदराम, पिता जोधराम, जाति बलिया निवासी ग्राम जावी भूमि स्वामी	13/2	0.096	-	-	-	-
	योग :–	20.510	0.601			
	महायोग	21.111				

(वन्दना मेहरा "अटट")
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड–मनासा, जिला नीमच म0प्र0

605 /भू–अर्जन/2018

मनासा, दिनांक 20/02/2018

सूचना की एक प्रति कलेक्टर कार्यालय इस कार्यालय एवं तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा की जावे।

एक प्रति संबंधित ग्राम की ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावे।

एक प्रति संबंधित ग्राम की आम चौपाल पर चस्पा की जावे।

जिला जनसंपर्क अधिकारी जिला नीमच की ओर एक राज्य स्तरीय एवं एक जिला स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु।

(वन्दना मेहरा "अटट")
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड–मनासा, जिला नीमच म0प्र0

परि -13
(11)

तहसील–मनासा

गंगाबावड़ी जलाशय परियोजना

परियोजना के बांध निर्माण, डूब एवं नहर निर्माण हेतु अधिग्रहित की जाने वाली निजी भूमि का विवरण

जिला–नीमच

ग्राम पड़दा (गंगाबावड़ी) एवं भेरूपुरा

स. क्र.	कृषक का नाम पिता/पति का नाम	सर्वे न.	कुल धारित रकबा (हेक्टर में)	अधिग्रहित किये जाने वाला रकबा (हेक्टर में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
	(अ) बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र (ग्राम पड़दा)				
1	हीरालाल, कन्हैयालाल पिता देवा कुम्हार	90/3	3.913	0.020	—
2	सलमाबाई बेवा इकबाल हुसैन, मुर्तजा, मुस्तफा पिता इकबालहुसैन बोहरा	91/1	0.850	0.850	—
3	सलमाबाई बेवा इकबाल हुसैन, मुर्तजा, मुस्तफा पिता इकबालहुसैन बोहरा	91/2	0.091	0.091	—
4	भेरूलाल पिता हीरालाल कुम्हार	91/3	1.123	1.123	—
5	अंबाबाई पति अमरचन्द मेघवाल	91/4	0..85	0.550	—
6	प्रभूलाल, दयाराम, नागेश्वर, जगदीश, रामकन्याबाई, केशरबाई पिता बापूलाल गायरी	92	3.379	1.250	—
7	धापूबाई पति भेरूलाल चमार	93	0.809	0.769	—
8	मोहनीबाई बेवा नारायण, मुकेश, लालचंद, अर्जुन पिता नारायण ना.बा.पा. कर्ता माता मोहनीबाई स्वयं संतोषबाई बेवा प्रभू, कलमेश, अनील, रवीना ना.बा.सर. माता संतोषीबाई	94	2.144	2.144	—
9	अशोक कुमार पिता गंगाराम पंजाबी	95	1.295	1.295	—
10	अशोक कुमार पिता गंगाराम पंजाबी	101/1	0.405	0.060	—
11	जाकीर हुसैन पिता नबीनूर अंसारी	96	0.809	0.809	—
12	कंवरीबाई रूकमणीबाई बेवा भागीरथ, गोपाल, प्रकाश, तेजराम पिता भागीरथ बारेठ	97	1.092	1.092	—
13	कालू पिता अमरा बारेठ	98	1.295	1.295	—

परि-13

क्र.	कृषक का नाम पिता/पति का नाम	सर्वे न.	कुल धारित रकबा (हेक्टर में)	अधिग्रहित किये जाने वाला रकबा (हेक्टर में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
14	मांगीबाई बेवा मोहनलाल, किशनलाल पिता मोहनलाल कीर	99/1	1.012	1.012	—
15	मांगीबाई बेवा मोहनलाल, किशनलाल व पुत्र मोहनलाल कीर	99/2	1.011	1.011	—
16	उदीबाई बेवा भेरू, बापूलाल, भेरूलाल पिता नंदा	100	2.023	2.023	—
17	गुलाबसिंह पिता रूघनाथ राजपूत नि. मालाहेडा	1098	2.000	2.000	—
	योग (अ) :–	17		17.394	
	(ब) नहर निर्माण (ग्राम मड़दा)				
					—
					—
1	भांगीलाल पिता नाथु गायरी	123/1	2.653	0.087	—
2	शंकर, रमेश, केदार पिता नन्दा गायरी	123/2	2.653	0.087	—
3	हरदारीबाई बेवा घीसालाल, श्यामलाल पिता घीसालाल कीर	124/5	0.843	0.119	—
4	बद्रीलाल पिता रूपा कीर	124/6	0.843	0.119	—
5	केशरबाई बेवा धन्ना व भेरूलाल पिता धन्ना, घीसीबाई बेवा हरिराम, नंदलाल, अर्जुनलाल पिता हरिराम गायरी	125	4.699	0.287	—
6	भीमसेन पिता राधाकिशन दुआ	126/1	1.329	0.263	—
7	बसंतीलाल पिता मेघा कुम्हार	126/3	1.329	0.262	—
8	लखमीचंद पिता सीताराम तम्बोली	130	2.250	0.297	—
9	जगदीश पिता लखमीचंद तमोली	131	1.822	0.429	—
10	हीरालाल पिता रामचंद तमोली	144/1	1.072	0.105	—
11	गंगाबाई पिता हमेर तमोली	144/2	1.072	0.105	—

संजय कोहद

निरंतर

परि-13

क्र.	कृषक का नाम पिता/पति का नाम	खसरे नं.	कुल धारित रकबा (हेक्टर में)	अधिग्रहित किये जाने वाला रकबा (हेक्टर में)	रिमार्क
	2	3	4	5	6
11	एजीबाई बेवा हजारी, केशुराम, प्रेमचन्द, मोहनलाल, भंवरलाल पिता हजारी भील	150/9	1.225	0.250	—
13	रतनलाल पिता घनश्याम ओझा	150/1/1	1.430	0.350	—
	योग (ब) :–	13	-	2.760	-
	(स) नहर निर्माण (ग्राम भेरपुरा)				
14	छगन पिता अमरा, हुलासीबाई पति छगन भील	10	0.580	0.036	—
15	राजू पिता मांगीलाल बंजारा	13/1.	0.400	0.060	—
16	बालूराम, निलकंठ, राधेश्याम, नंदकिशोर पिता जोधराम कुल्मी नि. जावी	13/2.	2.100	0.096	—
	योग (स) :–	3	-	0.192	-
	महायोग (अ) + (ब) + (स) :–	35	-	20.346 हेक्टर	-

(टीना पाटीदार)
पटवारी
पटवारी हल्का नं. 40

(दिनेश मेहता)
राजस्व निरीक्षक
वृत्त क्र. 01, मनासा

(बी. एल. यामनिया)
तहसीलदार
तहसील मनासा

(एम. ए. सिद्दीकी)
उपयंत्री

(संजय कोहद)
अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसभाग, रामपुरा

(बी. एल. निनामा)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग, नीमच

गंगाबावडी जलाशय परियोजना

सहमति पत्र

तहसील–मनासा जिला–नीमच

हम कृषकगण गंगाबावडी जलाशय निर्माण कार्य के क्रियान्वयन के लिए हमारी निजी भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" अंतर्गत जल संसाधन विभाग को देने हेतु सहमत है एवं तदनुसार मुआवजा लेने हेतु सहमत है।

स. क्र.	कृषक का नाम पिता/पति का नाम	सर्वे न.	कुल धारित रकबा (हेक्टर में)	अधिग्रहित किये जाने वाला रकबा (हेक्टर में)	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
	(अ) बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र (ग्राम पड़दा)				
1	हीरालाल, कन्हैयालाल पिता देवा कुम्हार नि. मातारवाडी	90/3	3.913	0.020	
2	सलमाबाई बेवा इकबाल हुसैन, मुर्तजा, मुस्तफा पिता इकबालहुसैन बोहरा नि. पड़दा	91/1	0.850	0.850	सलमा जाफ Husain Paddawala Murtaza Paddawala
3	सलमाबाई बेवा इकबाल हुसैन, मुर्तजा, मुस्तफा पिता इकबालहुसैन बोहरा	91/2	0.091	0.091	सलमा जाफ Husain Paddawala Murtaza Paddawala
4	भेरूलाल पिता हीरालाल कुम्हार नि. मातारवाडी	91/3	1.123	1.123	
[illegible]	[illegible]बाबाई पति अमरचन्द मेघवाल नि. पड़दा	91/4	0..85	0.550	
6	प्रभूलाल, दयाराम, नागेश्वर, जगदीश, रामकन्याबाई, केशरबाई पिता बापूलाल गायरी नि. मातारवाडी	92	3.379	1.250	
7	धापूबाई पति भेरूलाल चमार नि. पड़दा	93	0.809	0.769	

संजय कीहव

परि -13

स. क्र.	कृषक का नाम पिता/पति का नाम	सर्वे न.	कुल धारित रकबा (हेक्टर में)	अधिग्रहित किये जाने वाला रकबा (हेक्टर में)	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
8	मोहनीबाई बेवा नारायण, मुकेश, लालचंद, अर्जुन पिता नारायण ना.बा.पा. कर्ता माता मोहनीबाई स्वयं, संतोषबाई बेवा प्रभु, कलमेश, अनील, रवीना नो.वा.सर. माता संतोषीबाई नि. रावतपुरा	94	2.144	2.144	
9	अशोक कुमार पिता गंगाराम पंजाबी नि. मलीसा	95	1.295	1.295	
10	अशोक कुमार पिता गंगाराम पंजाबी	101/1	0.405	0.060	
11	जाकीर हुसैन पिता नबीनूर अंसारी नि. भातारूडी	96	0.809	0.809	
12	कंवरीबाई रूकमणीबाई बेवा भागीरथ, गोपाल, प्रकाश, तेजराम पिता भागीरथ बारेठ नि. रावतपुरा	97	1.092	1.092	
13	कालू पिता अमरा बारेठ नि. बांगाबावड़ी	98	1.295	1.295	
14	मांगीबाई बेवा मोहनलाल, किशनलाल पिता मोहनलाल कीर नि. बांगाबावड़ी	99/1	1.012	1.012	
15	मांगीबाई बेवा मोहनलाल, किशनलाल, द. पुत्र मोहनलाल कीर नि. बांगाबावड़ी	99/2	1.011	1.011	
6	उदीबाई बेवा भेरू, बापूलाल, भेरूलाल पिता नंदा मीणा	100	2.023	2.023	

संजय कीरण
उपखण्ड अधिकारी
एवं सांगाना तथा भू. अ. रावतपुरा

परि -13

क्र.	कृषक का नाम पिता/पति का नाम	सर्वे न.	कुल धारित रकबा (हेक्टर में)	अधिग्रहित किये जाने वाला रकबा (हेक्टर में)	हस्ताक्षर
	2	3	4	5	6
17	मानसिंह पिता रूघनाथ राजपूत नि. मालाहेडा	1098	2.000	2.000	मानसिंह

परि -13

क्र.	कृषक का नाम पिता/पति का नाम	सर्वे न.	कुल धारित रकबा (हेक्टर में)	अधिग्रहित किये जाने वाला रकबा (हेक्टर में)	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
	(ब) नहर निर्माण (ग्राम पड़दा)				
18	मांगीलाल पिता नाथु गायरी	123/1	2.653	0.087	मांगीलाल
19	शंकर, रमेश, केदार पिता नन्दा गायरी	123/2	2.653	0.087	शंकर रमेश केदार
20	हरदारीबाई बेवा घीसालाल, श्यामलाल पिता घीसालाल कीर	124/5	0.843	0.119	
21	बद्रीलाल पिता रूपा कीर	124/6	0.843	0.119	
22	केशरबाई बेवा धन्ना व भेरूलाल पिता धन्ना, घीसीबाई बेवा हरिराम, नंदलाल, अमरलाल पिता हरिराम गायरी	125	4.699	0.287	भेरूलाल नन्दलाल अमरलाल
23	भीमसेन पिता राधाकिशन दुआ	126/1	1.329	0.263	भीमसेन
24	बंसतीलाल पिता मेघा कुम्हार	126/3	1.329	0.262	[illegible]
25	लखमीचंद पिता सीताराम तम्बोली	130	2.250	0.297	[illegible]
26	जगदीश पिता लखमीचंद तमोली	131	1.822	0.429	जगदीशचन्द्र
27	हीरालाल पिता रामचंद तमोली	144/1	1.072	0.105	हीरालाल
28	मैनाबाई पिता हमेर तमोली	144/2	1.072	0.105	[illegible]
29	ऐजीबाई बेवा हजारी, केशुराम, प्रेमचन्द, मोहनलाल, भंवरलाल पिता हजारी भील	150/9	1.225	0.250	[illegible]
30	रतनलाल पिता घनश्याम ओझा	150/1/1	1.430	0.356	[illegible]

आदेश द्वारा एम.आर. बघेल (भा.व.से.) वन संरक्षक
उज्जैन वृत्त उज्जैन

:: आदेश ::

आदेश क्रमांक/तकनीकी/2024/ 31 उज्जैन, दिनांक 08/07/2024

प्रकरण अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रं. 30, 31, 32 दिनांक 17.05.2022, से जारी तकनीकी स्वीकृति एतद् द्वारा निरस्त की जाकर, प्रकरण अन्तर्गत प्रभावित वनभूमि के रकबे मे संशोधन होने से वनमण्डलाधिकारी नीमच द्वारा उनके पत्र क्रं./तकनीकी/2024/3905 दिनांक 24–06–2024 से प्रेषित प्रस्ताव अनुसार नीमच जिले के अन्तर्गत गंगाबावड़ी जलाशय योजना हेतु प्रभावित वनभूमि रकबा 43.149 हे. के बदले कलेक्टर जिला नीमच के निम्नानुसार आदेशो से गैर वनभूमि वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल नीमच को हस्तांतरित की गई है।

क्रं.	आदेश क्रं./दिनांक	ग्राम का नाम	सर्वे नं.	रकबा हे. मे
01	10/अ–20(3)/2021–22 दिनांक 23.09.2021	हांसपुर	715, 716, 717, 719/2	3.399
02	62/अ–20(3)/2022–23 दिनांक 31.03.2023	डाबी, जेतलिया	01 (S)	28.25
03	10/अ–20(3)/2017–18 दिनांक 12.09.2018	फुसरिया	1158	7.75
04	121/अ–20(3)/2022–23 दिनांक 10.05.2023	दाता एवं भागल	497/2(S), 498	3.75
			योग :–	43.149

वनमण्डलाधिकारी नीमच द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त गैर वनभूमि 28.25 हे. मे प्रस्तावित क्षेत्र की स्थिति अनुसार 300 वृक्ष प्रति हे. पूर्व से उपलब्ध होने एवं 200 वृक्ष प्रति हे. पौधो का रोपण प्रस्तावित किया गया है। प्राप्त गैर वनभूमि 3.75 हे. मे 1750 पौधो का रोपण प्रस्तावित किया गया है। शेष क्षेत्र पथरीला एवं पहाड़ीनुमा होने से 1000 पौधा प्रति हे. रोपण संभव नही होने के कारण कुल शेष क्षेत्र 3.399+7.75+14.125+2.00 = 27.274 हे. के दुगने बिगड़े वनक्षेत्र 54.548 हेतु 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना प्रस्तावित की गई है।

क्रं.	परिक्षेत्र का नाम	प्राप्त गैर वनभूमि की योजना			बिगड़े वनक्षेत्र की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना			
		सर्वे नं.	रकबा हे. मे	राशि	बीट का नाम	कक्ष क्रं.	रकबा हे. में	राशि
01	मनासा	715, 716, 717, 719/2	3.399	2748000	श्योपुरिया	318	26.40	11852000
02	रतनगढ़	01(S) (300 वृक्ष प्रति हे. पूर्व से उपलब्ध+200 पौधो का रोपण)	28.25	6015149				
03	रतनगढ़	1158	7.75	3450365	ताल	199	28.25	13881756
04	रामपुरा	497/2(S), 498 (1750 पौधो का रोपण)	3.75	4289974				

वनमण्डलाधिकारी, (सा.) वनमण्डल नीमच द्वारा उपरोक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाऐं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) के पत्र क्रं. 4050 दिनांक 30–12–2019 से प्रेषित मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अनुसार निर्धारित प्रारुप पर तैयार कर प्रस्तुत की है। अतः म.प्र. बुक ऑफ फायनेंशनल पॉवर 2022 वॉल्यूम-2 में वन विभाग को प्रदत्त अधिकार के बिंदु क्रमांक 20 में निहित एवं प्रदत्त वित्तीय अधिकारों का उपयोग करते हुए वनमण्डलाधिकारी नीमच द्वारा प्रेषित उपरोक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाओं की Provisional तकनीकी स्वीकृती निम्न शर्तो के अध्यधीन प्रदान की जाती है :–

1) समस्त कार्य स्वीकृत जॉब दरो निर्धारित नार्म्स एवं बजट प्रावधानो के अन्तर्गत ही कराये जावे। यदि किसी कार्य की जॉब दर स्वीकृत न हो तो, स्वीकृती हेतु दर प्रस्तुत की जावे।
2) कार्य की गुणवत्ता उत्तम हों।
3) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञाप क्र./डी./3202/3827/2001/10/3 दिनांक 7 दिसंबर 2001 एवं क्रमांक–एफ–03-11/2018 /10-2, दिनांक 14 मई 2019 से प्रसारित दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करें।

Scanned with CamScanner

4) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र./572 दिनांक 07-02-2002 एवं 79 दिनांक 08-01-2018 में निहित निर्देशों की कडाई से पालना की जावें।

5) सामग्री क्रय करते समय म.प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन अधिनियम 2015 की धारा 7, 9, 10 एवं 11 के भण्डार नियमो का पालन अनिवार्य रूप से किया जावे। भण्डार क्रय नियमो के अन्तर्गत अनुसूची 'अ' मे सम्मिलित सामग्री म.प्र. लघु उद्योग निगम अथवा भारत सरकार के गर्वमेंट ई–मार्केट पोर्टल से ही क्रय की जावे। जो सामग्री राशि रू. 2.50 लाख के अन्दर तक की कोटेशन द्वारा प्राप्त की जानी है, उसे क्रय समिति से परीक्षण कराया जावे तथा अनुमोदन वनमण्ड़लाधिकारी द्वारा किया जावे।

6) फेंसिंग पोल/जाली/तार/लोहा/स्टील एवं अन्य सभी क्रय सामग्रियों का सत्यापन उपवनमण्ड़लाधिकारी द्वारा किया जावेगा। क्रय तथा उपयोग की सामग्री स्टोर पंजी में स्टोर प्रभारी द्वारा अनिवार्यतः इंद्राज की जावेगी, जिसकी पुष्टि वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा की जावेगी।

7) प्रस्तावित कार्य का वनमण्ड़लाधिकारी/उपवनमण्ड़लाधिकारी/वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा कार्य अवधि में न्यूनतम 25% वनमण्ड़लाधिकारी, 50% उपवनमण्ड़लाधिकारी एवं वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा 100% स्थल निरीक्षण अनिवार्य किया जावेगा।

8) वनमण्ड़लाधिकारी यह सुनिश्चित करे कि, कार्य आयोजना में निहित प्रावधानों के विपरीत कोई कार्य न हो। यदि विचलन की आवश्यकता हो तो तदनुसार प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय को भेजे तथा स्वीकृती उपरांत ही कार्य कराये जावे।

9) शासन तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक, आर्थिक तथा तकनीकी निर्देशों के पालन की जवाबदारी वनमण्ड़लाधिकारी की रहेगी।

10) मौके पर कार्य करने वाले कर्मचारी के पास स्वीकृती की प्रति, माप पुस्तिका, प्रस्तावित माप डिजाईनिंग एवं मानचित्र उपलब्ध होना आवश्यक है।

11) वनमण्ड़लाधिकारी सुनिश्चित करे, कि पूर्व में प्रस्तावित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य तो नही कराया गया है। स्वीकृत क्षेत्र का स्थल परिवर्तन मान्य नही होगा। यदि कोई स्थल कार्य योग्य नही है तो उस स्थल पर कार्य नही कराया जाकर स्वीकृत राशि समर्पित कर अवगत कराया जावे।

12) स्वीकृत कार्य समाप्ति उपरांत, स्वीकृति अनुसार किये गये कार्यो का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र मे इस कार्यालय को भेजा जावे।

13) मुख्यतः कार्य मजदूरो से कराया जावे, अत्यंत आवश्यक होने पर मजदूरो की उपलब्धता न होने पर ही यांत्रिकी साधन से कार्य कराया जावे।

14) स्थल पर रोपण होने पर मानक आकार के पौधे लगाये जावे।

15) रोपण मूल्यांकन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रं. 3410 एवं दिनांक 13–11–2013 के आधार पर रिकॉर्ड रखा जावे एवं वृक्षारोपण पंजी मे चस्पा किया जावे।

16) माप पुस्तिका पर कराये गए कार्यो की प्रविष्टि उपरांत वन परिक्षेत्राधिकारी, उपवनमण्ड़लाधिकारी के हस्ताक्षर लिये जावे।

17) किये गये कार्यो की प्रविष्टि कक्ष इतिहास, ई–ग्रीन वॉच पोर्टल, Plantation Monitoring System एवं MIS Portal मे समय–समय पर की जावे।

18) वनमण्ड़लाधिकारी प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम 2018 (CAF Rules 2018) के निर्देशो का पालन सुनिश्चित करेगें।

19) स्वीकृत राशि व्यय की अधिकतम सीमा है। परियोजना स्थल पर व्यय मितव्ययता रखते हुए कार्य किये जावे।

20) श्रमिकों को श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित देय न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जावे।

21) क्षेत्र घेराव हेतु फैंसिंग पर Green Hedge अनिवार्य रूप से तैयार किये जावे।

22) योजना मे रोपित किये जाने वाले पौधो का जीवितता प्रतिशत 75 प्रतिशत से अधिक होना अनिवार्य है।

23) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक 558 दिनांक 10.06.2020 द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

Scanned with CamScanner

24) उपरोक्त प्राक्कलन Provisional तकनीकी स्वीकृती प्रदान की गई है। कार्य समाप्त होनें के उपरांत मौके पर वास्तव में कराये गए कार्य अनुसार तकनीकी प्राक्कलन आपके द्वारा प्रस्तुत किये जानें पर अंतिम रुप से तकनीकी स्वीकृती दी जावेगी।

(एम.आर. बघेल)
भा.व.से.
वन संरक्षक
उज्जैन वृत उज्जैन

पृष्ठांकन क्रमांक/तकनीकी/2024/ 3255 उज्जैन, दिनांक 8/7/2024

(1) महालेखाकार (ऑडिट) ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(2) वनमण्डलाधिकारी (सा.) वनमण्डल नीमच की ओर उनके पत्र क्रं./तकनीकी/2024/3906 दिनांक 24–06–2024 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वन संरक्षक
उज्जैन वृत उज्जैन

Scanned with CamScanner

न्यायालय कलेक्टर जिला नीमच, मध्यप्रदेश

प्र.क्रं. 62/अ–20(3)/2022–23

वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल
नीमच————————आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन————अनावेदक

आदेश
(दिनांक 31 – 03 –2023)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल नीमच द्वारा पत्र क्र/मा.चि./2023/434 नीमच दिनांक 16.01.2023 के द्वारा उल्लेखित किया कि प्रकरण में बाणदा जलाशय योजना में प्रभावित 25.00 हे. वनभूमि, परवनी जलाशय में प्रभावित 8.80 हे. वन भूमि एवं गंगाबावड़ी जलाशय योजना में प्रभावित 28.25 हे. वन भूमि के बदले अन्यत्र स्थान पर गैर वनभूमि आबंटित करनें का अनुरोध किया गया।

2– प्रकरण में प्रस्तुत आवेदन पत्र की विधिवत जांच एवं प्रतिवेदन हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जांवद/नजूल अधिकारी उपखण्ड जावद को प्रेषित किया। प्रकरण में नजूल अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी जावद द्वारा विधिवत जांच कर प्रतिवेदन प्रेषित किया कि प्रकरण में सार्वजनिक उदघोषणा उपरांत आपत्तियों, दावों और सुझावों के संबंध में तहसीलदार तहसील सिंगोली के प्रतिवेदन अनुसार ग्राम पंचायत बाणदा से अभिमत लिया गया, जिसके अनुसार आबंटित किये जानी वाली भूमि अन्य योजना हेतु आरक्षित नही है। तहसीलदार सिंगोली द्वारा अपनें जांच प्रतिवेदन प्रतिवेदित किया कि प्रकरण में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही हुई है अतएव बाणदा, परवणी एवं गंगाबावड़ी जलाशय योजना में प्रभावित वनभूमि के बदलें प्रश्नाधीन भूमि आबंटित किये जाना उचित प्रतिवेदित किया गया। प्रश्नाधीन भूमि किसी अन्य संस्था द्वारा मांग नही की गई है, ना ही अन्य प्रयोजन हेतु आरक्षित है, ना ही लोक प्रयोजन हेतु भविष्य में संभावित है। जांचकर्ता अधिकारी द्वारा निम्न तालिका अनुसार जलाशय योजनाओं में प्रभावित वन भूमि के बदलें राजस्व भूमि को वन विभाग को भूमि आबंटन किये जानें के संबंध में प्रस्ताव जिला नजूल निर्वर्तन समिति को प्रेषित किया गया ।

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकबे का क्षेत्रफल	प्रस्तावित आवंटन हेतु रकबा
1	डाबी	1	54.559	50.00 हे.
2	जेतलिया	247	33.812	12.05 हे.
	योग		88.371	62.05 हे.

3– राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड–चार क्रं. 1 – मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 के अध्याय–दो कंडिका 11 के अनुसार राज्य शासन के किसी विभाग को नजूल भूमि का हस्तांतरण करने हेतु सक्षम प्राधिकारी जिला नजूल निर्वर्तन समिति को बनाया गया है। उक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में सक्षम प्राधिकारी जिला नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा दिनांक 29.03.2023 को हुई बैठक में उपरोक्त प्रकरण की जांच एवं परीक्षण उपरांत सर्व सहमति से ग्राम बाणदा जलाशय योजना, परवणी जलाशय योजना एवं गंगाबावड़ी जलाशय योजना में प्रभावित वन भूमि के बदलें राजस्व भूमि वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल नीमच को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है।

कलेक्टर
जिला–नीमच (म.प्र.)

(-6) वन मण्डल अधि

प्र.क्र. 62/अ–20(3)/2022–23

4– अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर जिला नजूल भूमि निर्वर्तन समिति की अनुशंसा एवं जांचकर्ता अधिकारी के अभिमत के आधार पर ग्राम डावी स्थित भूमि सर्वे नं. 1 रकबा 54.559 हे. में से रकबा 50.00 हे. भूमि तथा ग्राम जेतलिया स्थित भूमि सर्वे नं. 247 रकबा 33.812 हे. में से 12.05 हे. भूमि को मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 के अध्याय –दो कंडिका 14 के तहत ग्राम बाणदा जलाशय योजना, परवणी जलाशय योजना एवं गंगाबावड़ी जलाशय योजना में प्रभावित वन भूमि के बदले उपरोक्त राजस्व भूमि वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल नीमच को हस्तांतरित की जाती है ।

(मयंक अग्रवाल)
कलेक्टर
जिला नीमच (म.प्र.)

पृ.क्र. 1870/आर.टी.सी./2022–23 नीमच, दिनांक 31–03–2023

प्रतिलिपि:–

1– आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
2– वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल नीमच की ओर सूचनार्थ।
3– अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उपखण्ड /नजूल अधिकारी जावद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4– तहसीलदार सिंगोली की ओर भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करना एवं नियमानुसार बटांकन कर कब्जा दिया जाना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर
जिला–नीमच (म.प्र.)

3198
10.4.23
सामान्य वन मण्डल, नीमच

कलेक्टर
जिला–नीमच (म.प्र.)

10-4-23

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल, नीमच

क्रमांक/मा०चि०/23/3236 नीमच, दि.– 11.4.23

प्रतिलिपि:– (1) उपवनमण्डलाधिकारी नीमच (2) वनपरिक्षेत्राधिकारी रतनगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल, नीमच

न्यायालय कलेक्टर जिला नीमच, मध्यप्रदेश

प्र.कं. 121/अ–20(3)/2022–23
ग्राम भागल एवं दांता तह. मनासा

वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल नीमच
द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, नीमच
————————————————आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन————————————अनावेदक

आदेश
(दिनांक 10– 05–2023)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नीमच द्वारा पत्र कं. 616, 614,612 दिनांक 16.03.2023, के द्वारा उल्लेखित किया कि नया मालाहेड़ा तालाब योजना से प्रभावित वनभूमि रकबा 16.00 हे., कालिया खो जलाशय योजना से प्रभावित वन भूमि रकबा 2.76 हे., गंगाबावडी जालशय योजना से प्रभावित होने वाली वन भूमि रकबा 3.75 हे. कुल प्रभावित वन भूमि रकबा 22.51 हे. के बदले ग्राम दांता एवं भागल के सर्वे नं. 497, 498 एवं सर्वे नं. 129,130 में से रकबा 22.51 हे. भूमि वन विभाग को आबंटन किये जाने का अनुरोध किया गया ।

2– प्रकरण में प्रस्तुत पत्र के संबंध में विधिवत जांच एवं प्रतिवेदन हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मनासा /नजूल अधिकारी उपखण्ड मनासा को प्रेषित किया । प्रकरण में नायब तहसीलदार कुकडेश्वर द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया । प्रकरण में विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया । नियत समयावधि में कोई आपति प्राप्त नही हुई । ग्राम पंचायत दांता/कुण्डालिया से अभिमत प्राप्त । अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजस्व मनासा द्वारा नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन दिनांक 24.04.2023 से सहमत होते हुए प्रतिवेदित किया कि नया मालाहेड़ा तालाब योजना से प्रभावित वन भूमि के बदले ग्राम दांता स्थित भूमि सर्वे नं. 497, 498, एवं ग्राम भागल स्थित भूमि सर्वे नं. 129,130 में से रकबा 16.00 हे., कालिया खो जलाशय योजना से प्रभावित होने वाली भूमि के स्थान पर दांता स्थित भूमि सर्वे नं. 497,498 एवं ग्राम भागल स्थित भूमि सर्वे नं. 129, 130 में से रकबा 2.760 हे., गंगाबावडी जलाशय योजना से प्रभावित होने वाली वन भूमि के स्थान पर ग्राम दांता स्थित भूमि सर्वे नं. 129,130 में से रकबा 3.75 हे इस प्रकार कुल रकबा 22.51 हे. भूमि को वन विभाग को नजूल निर्वर्तन नियम नियम 2020 अंतर्गत नियमानुसार हस्तांतरण किये जाने से 2 प्रतिशत चरनोई भूमि प्रभावित नही होती है, प्रस्तावित भूमि संबंधित वन विभाग को हस्तांतरित किए जाने की अनुशंसा सहित प्रकरण जिला नजूल निर्वर्तन समिति को प्रेषित किया गया ।

कलेक्टर
जिला–नीमच (म.प्र.)

3– राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड–चार क्रं. 1 – मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 के अध्याय–दो कंडिका 11 के अनुसार राज्य शासन के किसी विभाग को नजूल भूमि का हस्तांतरण करने हेतु सक्षम प्राधिकारी जिला नजूल निर्वर्तन समिति को बनाया गया है। उक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में सक्षम प्राधिकारी जिला नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा दिनांक **09.05.2023** को हुई बैठक में उपरोक्त प्रकरण की जांच एवं परीक्षण उपरांत सर्व सहमति से ग्राम दांता स्थित भूमि सर्वे नं.497 रकबा 8.250 हे., में से रकबा 5.05 हे., सर्वे नं. 498 रकबा 10.460 हे. एवं ग्राम भागल स्थित भूमि सर्वे नं. 129 रकबा 9.49 हे. में से रकबा 2.00 हे., सर्वे नं. 130 रकबा 14.80 हे. में से रकबा 5.00 हे. कुल किता 4 कुल रकबा 22.51 हे. भूमि को प्रभावित वन भूमि के बदले वन विभाग को आबंटित किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

4– अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर जिला नजूल भूमि निर्वर्तन समिति की अनुशंसा एवं जांचकर्ता अधिकारी के अभिमत के आधार पर ग्राम दांता स्थित भूमि सर्वे नं. 497 रकबा 8.250 हे., में से रकबा 5.05 हे., सर्वे नं. 498 रकबा 10.460 हे. एवं ग्राम भागल स्थित भूमि सर्वे नं. 129 रकबा 9.49 हे. में से रकबा 2.00 हे., सर्वे नं. 130 रकबा 14.80 हे. में से रकबा 5.00 हे.मद ना.का.का. में परिवर्तित करते हुए कुल किता 4 कुल रकबा 22.51 हे. भूमि जल संसाधन विभाग की उक्त योजनाओं में प्रभावित वन भूमि के बदले राजस्व भूमि वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल, वन विभाग नीमच को मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 के अध्याय –दो कंडिका 14 के तहत हस्तांतरित की जाती है ।

10/5/23
(दिनेश जैन) I.A.S.
कलेक्टर
जिला–नीमच (म.प्र.)
जिला नीमच (म.प्र.)

पृ.क्र.151/आर.टी.सी./2023 नीमच, दिनांक 10 – 05–2023

प्रतिलिपिः–

1– आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
2– वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल जिला नीमच की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3– अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उपखण्ड मनासा/नजूल अधिकारी मनासा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4– नायब तहसीलदार कुकडेश्वर की ओर भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करना एवं नियमानुसार बटांकन कर कब्जा दिया जाना सुनिश्चित करें।
5– कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नीमच की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

10/5/23
कलेक्टर
जिला–नीमच (म.प्र.)

न्यायालय कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 40/अ–20(3)/2021–22

वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल नीमच
द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग
नीमच————————————आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन————————अनावेदक

आदेश

(पारित दिनांक 23–09–2021)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नीमच द्वारा पत्र कं. 1803/कार्य/गंगाबावडी जलाशय/21 दिनांक 27.08.2021 के द्वारा उल्लेखित किया कि गंगाबावडी जलाशय योजना से प्रभावित होने वाली वन भूमि का क्षेत्र 39.84 हे. आकलित किया गया है । जिसमें से 0.441 हे. वन भूमि का डिनोटिफिकेशन पाया गया है । शेष बची वन भूमि 39.399 हे. में से अन्य किसी राज्य/वनविभाग के कक्ष का डिनोटिफिकेशन नही पाया गया है । पूर्व में तहसीलदार सिंगोली द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि दिनांक 17.02.2018 को वनमण्डलाधिकारी जिला नीमच व अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन विभाग नीमच एवं वन परिक्षेत्राधिकारी रतनगढ के साथ पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं स्थल निरीक्षण किया गया जिसमें उभयग्राम की प्रश्नाधीन भूमियों को वनमण्डलाधिकारी नीमच ने वन विभाग को आवंटन हेतु उपयुक्त पाया है। उसके उपरांत इस न्यायालय के प्रकरण कं. 10/अ–20(3)/2017–2018 द्वारा ग्राम लुंवा हल्का नं. 20 रेतपुरा रा.नि.वृत झांतला तहसील सिंगोली के सर्वे नं. 56,167 एवं 168 में रकबा 28.25 हे. एवं ग्राम फुसरिया तहसील सिंगोली के सर्वे नं. 1158 में रकबा 7.750 हे. कुल रकबा 36.00 हे. भूमि आबंटित की गई थी, जो वन विभाग को हस्तांतरित कर दी गई है । उक्त भूमि आबंटन के पश्चात गंगाबावडी जलाशय योजना हेतु शेष 3.399 हे. वन भूमि के स्थान पर अन्य राजस्व/गैर वनभूमि और उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया ।

2– प्रकरण में तहसीलदार मनासा द्वारा विधिवत जांच कर आदेशिका दिनांक 07.09.2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में पटवारी मौजा हांसपुर द्वारा रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस के इस न्यायालय को प्रस्तुत कर अवगत कराया कि मौजा हांसपुर स्थित शासकीय भूमि जो वन विभाग को आबंटित की गई थी, उक्त भूमि के समीप अन्य राजस्व भूमि रकबा 3.399 हे. भूमि के आबंटन हेतु ग्राम हांसपुर के सर्वे नं. 715 रकबा 1.230 हे., सर्वे नं. 716 रकबा 0.700 हे., सर्वे नं. 717 रकबा 0.800 हे. , सर्वे नं. 719पैकी रकबा 0.669 हे. भूमि नोईयत चरागाह की भूमि को गंगा बावडी जलाशय योजना के तहत रकबा 3.399 हे. भूमि वन विभाग को आबंटित किये जाने के पश्चात ग्राम हेतु न्युनतम संरक्षित चरागाह रकबा 2 प्रतिशत पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा ।
म.प्र.भू.रा.सं. 1959 के अंतर्गत निहित प्रावधानों अनुसार उक्त भूमि गंगा बावडी जलाशय योजना हेतु रकबा 3.399 हे. को आबंटित किया जाना उचित होगा ।

3– अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड–मनासा द्वारा तहसीलदार मनासा के प्रतिवेदन दिनांक 07.09.2021 एवं 13.09.2021 से सहमत होकर प्रकरण में मौजा ग्राम हांसपुर स्थित प्रश्नाधीन भूमि वन विभाग को नियमानुसार हस्तांतरित किये जाने की अनुशंसा सहित प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया गया ।

कलेक्टर
जिला–नीमच (म.प्र.)

3 2

4– मेरे द्वारा प्रकरण पत्रिका का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया । विवेचना में पाया जाता है कि तहसीलदार मनासा एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उपखण्ड मनासा द्वारा ग्राम हांसपुर स्थित भूमि सर्वे नं. 715 रकबा 1.230 हे., सर्वे नं. 716 रकबा 0.700 हे., सर्वे नं. 717 रकबा 0.800 हे., सर्वे नं. 719पैकी रकबा 0.669 कुल रकबा 3.399 हे. नोईयत चरागाह को गंगाबावडी जलाशय योजना से प्रभावित होने वाली वन भूमि के स्थान पर गैर वन भूमि आबंटित किये जाने की अनुशंसा की गई है । प्रकरण के समग्र विशलेषण में पाया कि मौजा पटवारी रिपोर्ट अनुसार प्रश्नाधीन भूमि चरागाह मद की है,जिसे आबंटन किये जाने पर 2 प्रतिशत चरागाह का रकबा प्रभावित नही होता है । प्रस्तावित भूमि का उपयोग लोकप्रयोजन हेतु किया जाना है । ऐसी स्थिति में प्रस्तावित भूमि वन विभाग को हस्तांतरित कि जाना उचित प्रतीत होता है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मनासा एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उपखण्ड मनासा के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए ग्राम हांसपुर तहसील मनासा स्थित भूमि सर्वे नं. 715 रकबा 1.230 हे., सर्वे नं. 716 रकबा 0.700 हे., सर्वे नं. 717 रकबा 0.800 हे., सर्वे नं. 719 में से रकबा 0.669 कुल रकबा 3.399 हे. भूमि को म.प्र.भू.रा.सं. 1959 की धारा 237 के तहत चरागाह मद से ना.का.का. मद में परिवर्तित करते हुए गंगाबावडी जलाशय योजना से प्रभावित होने वाली वन भूमि के स्थान पर गैर वन भूमि म.प्र. शासन वन विभाग नीमच को निम्नलिखित शर्तो पर हस्तांतरित की जाती है:–

1. विभाग हस्तांतरित भूमि का उपयोग आदेश में उल्लेखित किये गये प्रयोजन अनुसार ही करेगा।
2. भूमि पर पर्याप्त मात्रा में वृक्षारोपण कराया जायेगा ।
3. विभाग भूमि का उपयोग नियत प्रयोजन से हटकर नहीं करेगा अन्यथा अनाधिकृत कब्जेदार मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जावेगी।
4. विभाग को गंगाबावडी जलाशय योजना अंतर्गत प्रभावित वन भूमि के बदले राजस्व भूमि प्राप्त करने उपरांत प्रभावित वन भूमि का आधिपत्य राजस्व विभाग को सौंपना होगा ।
5. उपरोक्त शर्तो का पालन नही होने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।

(मयंक अग्रवाल)
कलेक्टर
जिला नीमच (म.प्र.)

पृ.क्र. 447/आर.टी.सी./2021 नीमच, दिनांक 23 – 09–2021

प्रतिलिपिः–

1– आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
2– वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल नीमच की ओर सूचनार्थ।
3– अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उपखण्ड मनासा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4– तहसीलदार मनासा की ओर भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद कराना सुनिश्चित करें ।
5– कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नीमच की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कलेक्टर
जिला नीमच (म.प्र.)

23.9.2021

न्यायालय कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 10/अ–20(3)/2017–2018

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन
संभाग, नीमच ———आवेदक
विरूद्ध
मध्यप्रदेश शासन————अनावेदक

संशोधित आदेश
(पारित दिनांक 27–02–2018)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, नीमच द्वारा पत्र क्रमांक 65/कार्य/गंगाबावडी/2018 दिनांक 05.01.2018 के द्वारा उल्लेख्ति किया कि गंगाबावड़ी तालाब से प्रभावित होने वाली वन भूमि के बदले राजस्व भूमि उपलब्ध करवानें के लिए ग्राम लुहारिया जाट के शासकीय सर्वे नं. 253/1/इइ–1 का उप वनमण्डलाधिकारी के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसे वनमणडलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल नीमच द्वारा अनुपयुक्त करार देने से योजना के लिए अन्य शासकीय भूमि उपलब्ध करानें का अनुराध किया गया।

2– प्रकरण में तहसीलदार सिंगोली द्वारा विधिवत जॉच कर प्रतिवेदन दिनांक 21/2/2018 के द्वारा प्रतिवेदित किया कि प्रकरण दर्ज किया जाकर विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। नियत समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही हुई। तहसीलदार सिंगोली द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि दिनांक 17.02.2018 को वनमण्डलाधिकारी जिला नीमच व अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन विभाग नीमच एवं वन परिक्षेत्राधिकारी रतनगढ के साथ पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं स्थल निरीक्षण किया गया जिसमें उभयग्राम की प्रश्नाधीन भूमियों को वनमण्डलाधिकारी नीमच ने वन विभाग को आवंटन हेतु उपयुक्त पाया है। तहसीलदार सिंगोली द्वारा प्रकरण में ग्राम पंचायत रेतपुरा/फुसरिया से प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में अभिमत/अनापत्ति चाही गई, जो प्रकरण में शामिल है,जिस अनुसार ग्राम पंचायत फुसरिया द्वारा अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर बताया कि उक्त आवंटित भूमि पर ग्रामवासियों द्वारा बाउण्ड्री बनाकर मवेशियों को चरने हेतु सुरक्षित कर रखा जाना बताया गया है एवं ग्राम पंचायत रेतपुरा द्वारा भी अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर प्रश्नाधीन भूमि वन विभाग को आवंटित किये जाने में असहमति दी है। तहसीलदार सिंगोली द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्रकरण में पटवारी मोजा लुंवा/फुसरिया से रिपोर्ट मय खसरा, नक्शा सहित चाही गई प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्रामवार बिन्दुवार प्रतिवेदन इस प्रकार है कि **ग्राम लुंवा प.ह.न.20 रेतपुरा रा.नि.वृत्त झाँतला** प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमि की खसरा प्रतिलिपि संलग्न है। प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई है, किन्तु उनके द्वारा आपत्ति का कोई उचित आधार प्रस्तुत नही किया गया है, कि उनको उक्त भूमि वन विभाग को आवंटित करने में क्या आपत्ति है, अतएव आपत्ति चलने योग्य नही होने से निरस्त की जाती है। .प्रकरण में सर्वे न.वार आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि का रकबा, मद एवं प्रस्तावित रकबे का उल्लेख किया जाकर पटवारी प्रतिवेदन के सलंग्न है। प्रकरण में चारागाह भूमि के संबंध में प्रतिवेदित है, कि 2 प्रतिशत् के मान से चरागाह भूमि का पर्याप्त रकबा शेष रहेगा एवं चरागाह भूमि पर कोई प्रभाव नही पडेगा। गंगाबावडी तालाब योजना से प्रभावित होने वाली वन भूमि के बदले राजस्व भूमि वन विभाग को आवंटित किये जाने संबधित भूमि का सर्वे न., रकबा, मद व प्रस्तावित रकबा निम्नानुसार है:–

ग्राम का नाम	सर्वे न.	रकबा	मद	प्रस्तावित रकबा
लुंवा	56	5.18हे.	प्रस्तावित वन	4.11हे.
प.ह.नं. 20 रेतपुरा	167	25.21हे.	ना.का.का.	22.53हे.
रा.नि. वृत्त झांतला	168	3.39हे.	नाला	1.61हे.
	योग 03	33.78हे.		28.25हे.

ग्राम फुसरिया प.ह.न. 4 रा.नि.वृत्त सिंगोली प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमि की खसरा प्रतिलिपि संलग्न है। प्रकरण में ग्राम पंचायत फुसरिया द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत कर बताया कि उक्त आवंटित भूमि पर

ग्रामवासियों द्वारा करीब 5 हेक्टर भूमि पर बाउण्ड्री बनाकर मवेशियों को चरने हेतु सुरक्षित कर रखा जाना बताया गया है, जबकि प्रश्नाधीन भूमि कुल रकबा 21.824हे. में से 7.750हे. भूमि ही वन विभाग को आवंटित की जा रही है, शेष भूमि अन्य प्रयोजन के लिये शेष रहेगी। अतएव आपत्ति निरस्त की जाती है। प्रकरण में सर्वे नं.वार आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि का रकबा,मद एवं प्रस्तावित रकबे का उल्लेख किया जाकर पटवारी प्रतिवेदन के सलंग्न है। प्रकरण में चरागाह भूमि के संबंध में प्रतिवेदित है कि 2 प्रतिशत् के मान से चरागाह भूमि का पर्याप्त रकबा शेष रहेगा एवं चारागाह भूमि पर कोई प्रभाव नही पडेगा। गंगाबावडी तालाब योजना से प्रभावित होने वाली वन भूमि के बदले राजस्व भूमि वन विभाग को आवंटित किये जाने संबधित भूमि का सर्वे न., रकबा, मद व प्रस्तावित रकबा निम्नानुसार है:–

ग्राम का नाम	सर्वे न.	रकबा	मद	प्रस्तावित रकबा
फुसरिया प.ह.नं. 4 रा.नि.वृत सिंगोली	1158	21.824हे.	ना.का.का.	7.750हे.
	योग 01	**21.824हे.**		**7.750हे.**

इस प्रकार तहसीलदार सिंगोली द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि पटवारी रिपोर्ट व ग्राम पंचायत फुसरिया/रेतपुरा के अभिमत व प्रकरण में आये तथ्यों के आधार पर गंगाबावडी तालाब योजना से प्रभावित होने वाली वन भूमि के बदले उक्तानुसार प्रस्तावित कुल रकबा 36.00 हे. राजस्व भूमि वन विभाग म.प्र. शासन को आवंटित किये जाने हेतु प्रकरण अग्रिम योग्य कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सिंगोली को प्रेषित किया गया।

3– अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड–सिंगोली द्वारा नायब तहसीलदार सिंगोली के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए गंगाबावडी तालाब योजना से प्रभावित होने वाली वन भूमि के बदले उक्तानुसार प्रस्तावित कुल रकबा 36.00 हे. राजस्व भूमि वन विभाग म.प्र. शासन को आवंटित किये जाने हेतु प्रकरण अग्रिम योग्य कार्यवाही हेतु इस न्यायालय को प्रेषित किया गया ।

4– मेरे द्वारा प्रकरण का परीक्षण किया गया तथा संलग्न अभिलेखों का अवलोकन किया गया । प्रकरण में पूर्व इस न्यायालय के आदेश दिनांक 14.11.2017 में पारित आदेशानुसार ग्राम लुहारियाजाट तहसील सिंगोली स्थित भूमि सर्वे नं. 253/1/इइ–1 में से रकबा 36.00 हे. भूमि जल संसाधन संभाग नीमच को हस्तांतरित की गई थी, किन्तु वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल नीमच के अनुसार उक्त भूमि उपयोगी नही होने से पुनः भूमि की मांग की गई । जिसके संबंध में गंगाबावडी तालाब योजना तहसील मनासा अंतर्गत प्रभावित वन भूमि के बदले राजस्व भूमि उपलब्ध कराने हेतु वनमण्डलाधिकारी नीमच, वन परिक्षेत्राधिकारी रतनगढ़ एवं तहसीलदार सिंगोली द्वारा ग्राम लुंवा एवं ग्राम फुसरिया की भूमियों का स्थल निरीक्षण किया गया, जिसमें वनमण्डलाधिकारी नीमच द्वारा उक्त ग्रामों की प्रश्नाधिन भूमियों को उपयुक्त पाया है । तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी सिंगोली द्वारा भी ग्राम लुंवा प.हं.नं. 20 तहसील सिंगोली स्थित भूमि सर्वे नं. 56 मद प्रस्तावित वन रकबा 4.11 हे. सर्वे नं. 167 मद ना.का.का. में से रकबा 22.53 हे., सर्वे नं. 168 मद नाला में से रकबा 1.61 हे. कुल रकबा 28.25 हे. एवं इसी प्रकार ग्राम फुसरिया प.ह.नं. 4 तहसील सिंगोली स्थित सर्वे नं. 1158 मद ना.का.का. में से रकबा 7.750 हे. इस प्रकार कुल रकबा 36.00 हे. भूमि कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नीमच को आबंटित किये जाने की अनुशंसा की गई है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिंगोली एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सिंगोली के प्रतिवेदन से सहमत होते हुऐ पूर्व में इस प्रकरण के आदेश दिनांक 14.11.2017 से आबंटित भूमि ग्राम लुहारियाजाट तहसील सिंगोली स्थित सर्वे नं. 253/1/इइ–1 में से रकबा 36.00 हे. भूमि का आबंटन निरस्त किया जाता है तथा उसके स्थान पर ग्राम लुंवा प.हं.नं. 20 तहसील सिंगोली स्थित भूमि सर्वे नं. 56 मद "प्रस्तावित वन" रकबा 4.11 हे., सर्वे नं. 167 मद "ना.का.का." में से रकबा 22.53 हे., व सर्वे नं. 168 मद "नाला" में से रकबा 1.61 हे. कुल रकबा 28.25 हे. एवं इसी प्रकार ग्राम फुसरिया प.ह.नं. 4 तहसील सिंगोली स्थित सर्वे नं. 1158 मद "ना.का.का." में से रकबा 7.750 हे. इस प्रकार कुल रकबा 36.00 हे. भूमि कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नीमच को गंगाबावडी तालाब योजना तहसील मनासा अंतर्गत प्रभावित वन भूमि के बदले राजस्व भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में निम्नलिखित शर्तो पर हस्तांतरित की जाती है:–

विभाग हस्तांतरित भूमि का उपयोग आवेदन पत्र में उल्लेखित किये गये अनुसार करेगा।

2. भूमि पर निर्माण कार्य के पूर्व अभिन्यास नगर तथा ग्राम निवेश, नीमच से अनुमति प्राप्त करेगा ।

3. भूमि पर पर्याप्त मात्रा में वृक्षारोपण कराया जायेगा ।

4. विभाग भूमि का उपयोग नियत प्रयोजन से हटकर नहीं करेगा अन्यथा अनाधिकृत कब्जेदार मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जावेगी।

5. यदि भूमि का बाद में नियत प्रयोजन का उपयोग नहीं रह जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों एवं परिसम्पत्तियों के साथ राजस्व विभाग में निहित हो जावेगी और आवेदक विभाग को उसका कोई मुआवजा देय नहीं होगा।

6. शासन के प्रतिनिधि तथा कलेक्टर या उसके प्रतिनिधियों को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तो के परिपालन का निरीक्षण करने के लिए कभी भी भूमि तथा उस पर निर्मित संरचनाओं के निरीक्षण का अधिकार होगा । उक्त भूमि किसी शर्ते का पालन नहीं होने पर वापसी ली जा सकेगी ।

7. उक्त भूमि का उपयोग व्यवसाईक प्रयोजन हेतु नही करेगा अन्यथा अनाधिकृत कब्जेदार मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जावेगी।

8. भूमि आगामी 30 वर्षो की स्थायी लीज पर हस्तांतरित की जा रही है, पश्चात् विभाग को लीज नवीनीकरण समय पर कराना होगा अन्यथा भूमि राजस्व विभाग में वैष्ठित हो जावेगी ।

9. आवेदक को जिस प्रयोजन हेतु भूमि का आबंटन किया गया है उस पर 06 माह तक की समयावधि के अंदर कार्य प्रारंभ करना अनिवार्य होगा अन्यथा भूमि आबंटन निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

10. यदि शासन द्वारा भूमि के मूल्य भू–भाटक आदि के संबंध में संशोधन कर निर्देश दिये जाते है या अन्य कोई शर्त अधिरोपित की जाती है तो उन्हे मानने के लिए संबंधित विभाग बाध्य होगा ।

11. उपरोक्त शर्तो का पालन नही होने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।

(कौशलेन्द्र विक्रम सिंह)
कलेक्टर
जिला नीमच (म.प्र.)

पृ.क. 430/आर.टी.सी./2017
नीमच, दिनांक 27–02–2018

प्रतिलिपिः–

1– आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।

2– अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व मनासा/जावद की ओर सूचनार्थ ।

3– अधीक्षक भू–अभिलेख जिला नीमच की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

4– नजूल अधिकारी जिला नीमच की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

5– तहसीलदार, जावद की ओर भेजकर लेख है कि आदेशानुसार पूर्व में आबंटित भूमि **ग्राम लुहारियाजाट तहसील सिंगोली स्थित सर्वे नं. 253/1/इइ–1 में से रकबा 36.00 हे. को निरस्त कर उसके स्थान पर ग्राम लुंवा एवं ग्राम फूसरिया की भूमियों का आबंटन** राजस्व अभिलेख में अमल–दरामद करना सुनिश्चित करें ।

6– कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नीमच की ओर आदेशानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कलेक्टर,
जिला–नीमच,म.प्र.

28.2.2018

व्यय की पूर्व अदायगी के
ना डाक द्वारा भेजे जाने के
लिये अनुमत. अनुज्ञप्ति-पत्र
भोपाल-505/ब्ल्यू. पी.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
122 (एम. पी.)

मध्य प्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 391] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 12 नवम्बर 1990—कार्तिक 21, शक 1912

वन विभाग

भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर 1990

क्र. एफ. 15-81-89-दस-तीन-(12).—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) की धारा 27 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया वन या वन का भाग जिसे इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1623-एफ-एफ-114, तारीख 9 अगस्त 1964 द्वारा रक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था, इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित हो जाने की तारीख से रक्षित वन नहीं रहेगा:—

अनुसूची

जिला—मंदसौर, डिवीजन—सतीय मंदसौर, तहसील—मनासा, परिक्षेत्र—मनासा

अ. क्र.	आरक्षित वन खण्ड का नाम	अतिक्रमण केन्द्र का नाम व क्रमांक	प्रकोष्ठ क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कंजार्डा	रावतपुरा (ए)	506	22.257	उत्तर—नई सीमा रेखा के पिलर नं. 156 अ से 148 ब
			4.5 507 509		पूर्व—नई सीमा रेखा के पिलर नं. 148 ब से पुरानी सीमा रेखा कंजार्डा आरक्षित वन का पिलर नं. 148
					दक्षिण—कंजार्डा आरक्षित वन खण्ड की पुरानी सीमा रेखा के पिलर नं. 148 से 172 तक
					पश्चिम—पुरानी रेखा के पिलर नं. 172 से नई रेखा के पिलर नं. 156 ए
		(बी)	508	3.600	उत्तर—पुरानी सीमा रेखा के पिलर नं. 144 से नई सीमा रेखा के पिलर नं. 142 अ
					पूर्व—नई सीमा रेखा के पिलर नं. 142 अ से पुरानी रेखा सीमा रेखा के पिलर नं. 142 आरक्षित वन खण्ड कंजार्डा
					दक्षिण—कंजार्डा आरक्षित वन खण्ड की पुरानी रेखा के पिलर नं. 142 से 143 तक
					पश्चिम—आरक्षित वन कंजार्डा की पुरानी रेखा के पिलर नं. 143 से 144 तक
	योग		रावतपुरा केन्द्र	25.857	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	कंजार्डा	गंगावावडी (सी) 10 से 13	508	5.521	उत्तर—आरक्षित वन कंजार्डा के पुराने पिलर नं. 1 से नई सीमा रेखा के पिलर नं. 138क. पूर्व—नई रेखा के पिलर नं. 138 ब से पुरानी रेखा पीलर नं. 137 अ. दक्षिण—पुरानी रेखा के पिलर नं. 137 अ से कंजार्डा खण्ड की पुरानी रेखा के पिलर नं. 139. पश्चिम—आरक्षित वन कंजार्डा की पुरानी रेखा के पिलर नं. 139 से 141 तक.
		कंजार्डा गंगावावडी (डी) 10 से 13	508	4.624	उत्तर—नई सीमा रेखा के पिलर नं. 135 अ से पुरानी रेखा के पिलर नं. 131 अ. पूर्व—पुरानी सीमा रेखा के पिलर नं. 131 अ से 136 तक. दक्षिण—पुरानी सीमा रेखा का पिलर नं. 136. पश्चिम—पुरानी सीमा रेखा का पिलर नं. 136 से नई रेखा का पिलर नं. 135 अ.
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	उत्तर—नई सीमा रेखा के पिलर नं. 128 अ से 128 ब. पूर्व—नई सीमा रेखा के पिलर नं. 128 ब से पुरानी रेखा के पिलर नं. 128 अ. दक्षिण—पुरानी सीमा रेखा के पिलर नं. 128 अ से 129. पश्चिम—पुरानी रेखा के पिलर नं. 129 से नई सीमा रेखा के पिलर नं. 128 अ.
		(एफ)	511	2.023	उत्तर—पुरानी रेखा के पिलर नं. 123 अ से नई रेखा के पिलर नं. 123 ब. पूर्व—नई रेखा के पिलर नं. 123 ब से 123 अ. दक्षिण—नई रेखा के पिलर नं. 123 अ से पुरानी रेखा के पिलर नं. 123. पश्चिम—पुरानी रेखा के पिलर नं. 123 से 123 अ आरक्षित वन खण्ड कंजार्डा.
		(जी)	516	0.324	उत्तर—पुरानी रेखा के पिलर नं. 119 ब से नई रेखा के पिलर नं. 119 अ. पूर्व—नई रेखा के पिलर नं. 119 अ से 119 ब तक. दक्षिण—नई रेखा के पिलर नं. 119 ब से पुरानी रेखा के पिलर नं. 119 अ. पश्चिम—पुरानी रेखा के पिलर नं. 119 अ से 119 ब आरक्षित वन खण्ड कंजार्डा.

R.D. Nawale